राजस्थान विधान सभा

५८ वीं बैठक, शुक्रवार, दिनांक-२० अगस्त, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर में ८-३ बजे प्रातः प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तम लाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता, प्रश्न १४७९.

प्रश्न संख्या १४७९

सरवाड़ ग्राम के निकट तामड़े की खानों को पुनः चालू करना

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सरवाड़ ग्राम के पास बहुत बढ़िया तामड़े की खानें हैं ?

(२) यदि हां, तो क्या वे खानें चालू हैं ?

(३) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री नरसिंह कछवाहा (उप मंत्री)—(१) सरवाड़ में तामड़े की पुरानी खानें हैं।

(२) चालू नहीं हैं।

(३) क्योंकि मिनरल कन्सेशन रूल्स, १९४९, के अन्तर्गत किसी ने चालू करने की दरख्वास्त पेश नहीं की।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि ये तामड़े की खानें विश्व की सर्वोत्तम खानों में से हैं ?

श्री नरसिंह कछवाहा—हो सकती हैं।

Page No.2

श्री चांदमल मेहता—क्या इन खानों का तामड़ा देश-विदेश में होने वाली एग्ज़ीबिशन में भी राजस्थान सरकार की ओर से भेजा गया है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—मैंने इसका उत्तर दे दिया है कि कोई अगर दरख्वास्त करे तो मिल सकती है।

(हंसी)

श्री चांदमल मेहता—मेरा प्रश्न दूसरा है। ऐसा लगता है कि माननीय मन्त्री महोदय उसे समझ नहीं पाये हैं। मेरा यह पूछना है कि देश विदेश में होने वाली एग्ज़ीबिशन में भी इस खान के तामड़े को एग्ज़ीबिट करने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से भेजा गया है क्या ?

श्री नरसिंह कछवाहा—इसकी सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार इस महत्वपूर्ण खान के तामड़े को भविष्य में प्रदर्शिनियों में भेजने का प्रयास करेगी ?

श्री नरसिंह कछवाहा—मैंने बताया कि कोई अगर दरख्वास्त फिर देगा तो सरकार विचार करेगी।

(हंसी)

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या पूछा गया है मालूम है आप को ? आपने सुना नहीं या शायद समझा नहीं ?

श्री नरसिंह कछवाहा—खान के लिये पूछा और जवाब दिया।

(हंसी)

कु० श्री जसवन्तसिंह--उन्होंने पूछी प्रदर्शनी में एग्ज़ीबिट करने के लिए भेजने की बात और आपने जवाब यह दिया कि दरख्वास्त आवेगी तो विचार होगा।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—आइन्दा कोई एग्ज़ीबिशन होगी तो भेजा जा सकता है।

Page No.3

कु० श्री जसवन्तसिंह—ऐसी कोई बात नहीं है साहब । Sir, it is very unfair for the House that the reply is given by...

(बाधा)

We must have a proper minister to reply.

(विराम)

तामड़ा क्या चीज होती है, आप जानते हैं ?

श्री नरसिंह कछवाहा—एक छोटा मिनरल प्रोडक्ट है । इसको अंगरेजी में गार्नेट कहते हैं ।

श्री चांदमल मेहता—तो क्या इससे यह मतलब समझा जावे कि छोटी सी चीज एग्ज़ीबिशन में नहीं भेजी जाती है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—मैंने इसकी काफी बातें बता दी हैं, आगे बता नहीं सकता ।

(अट्टहास)

श्री हिम्मतसिंह—इस तामड़े की उपयोगिता क्या है ?

श्री नरसिंह कछवाहा--उपयोगिता...

श्री अध्यक्ष--यह तो उपयोग करने वाले पर निर्भर है । (हंसी)

नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १४८०

घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा ऋण व सहायता

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये पिछले ५ वर्षों में सरकार द्वारा कितने रुपये कर्ज या सहायता के रूप में दिये गये ?

[श्री चांदमल मेहता]

(२) किशनगढ़ सब डिविजन में उक्त रकम में से कितनी रकम खर्च की गई ?

(३) भारत सरकार ने ५३-५४ के वर्ष में इस कार्य के लिए कितने रुपये राजस्थान सरकार को दिये ?

(४) सन् ५४-५५ में कितने रुपये मिलने की संभावना है ?

श्री नरसिंह कछवाहा (उप मंत्री)—(१) घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये पिछले पांच सालों के अन्दर ३,२२,५००) रुपये सरकार द्वारा कर्ज और सहायता के रूप में दिये गये हैं।

(२) किशनगढ़ सब डिविजन में उक्त रकम में से कोई रकम खर्च नहीं की गई।

(३) भारत सरकार द्वारा सन् ५३-५४ के वर्ष में ४,२७,७४०) रुपया व ४५,६५०) रुपया ताड़ गुड़ के लिये कुल ४,७३,३९०) रुपया मिला है।

(४) ५४-५५ के वर्ष में २,८९,५००) रुपया भेड़ तथा ऊन के लिये और ५५,५५०) रुपये ताड़ गुड़ के लिये, कुल ३,४४,०५०) रुपये मिलने की सम्भावना है।

श्री चांदमल मेहता—इस रकम में से कितनी रकम लोन के रूप में और कितनी रकम सहायता के रूप में दी गई है पिछले पांच वर्षों में ?

श्री नरसिंह कछवाहा—यह सवाल अलग से पूछा जावेगा तो उत्तर दिया जा सकेगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो रकम लोन और सहायता के रूप में दी गई है उसका अधिकांश हिस्सा शहरी क्षेत्र में खर्च किया गया है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—इसके मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

श्री चांदमल मेहता—किशनगढ़ सब डिविजन को इतनी बड़ी रकम में से कुछ भी नहीं दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—हो सकता है बंटवारे में किशनगढ़ न आया हो।

(हंसी)

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि राजस्थान के निर्माण के बाद किशनगढ़ के घरेलू उद्योग-धन्धों को सहायता न देने की वजह से वहां के सारे गृहउद्योग समाप्त हो गये हैं ?

Page No.5

श्री **नरसिंह कछवाहा**—ऐसी बात तो नहीं मालूम पड़ती है ?

(हंसी)

श्री **चांदमल मेहता**—क्या यह सही है कि ५३-५४ के वर्ष में अन्य प्रान्तों के मुकाबले में राजस्थान सरकार को बहुत कम रकम मिली है और इस सम्बन्ध में प्रधान कारण राजस्थान सरकार की उदासीनता रही है रकम अधिक प्राप्त करने में ?

श्री **नरसिंह कछवाहा**—रकम के कम और ज्यादा के बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूं । जो कुछ मिली है वह मैंने बता दी है ।

श्री **चांदमल मेहता**—क्या यह सही है कि राजस्थान की सरकार द्वारा इस पिछड़े प्रान्त को देखते हुए ज्यादा रकम की मांग भारत सरकार से नहीं की गई ।

श्री **नरसिंह कछवाहा**—ज्यादा रकम के लिये मांग की गई ।

श्री **चांदमल मेहता**—सन् ५३-५४ में ज्यादा रकम की मांग नहीं करने का क्या कारण है ?

श्री **नरसिंह कछवाहा**—यह कोई पुख्ता तौर से मैं नहीं बता सकता ।

श्री **चांदमल मेहता**—५३-५४ में कितनी रकम की मांग की गई थी ?

(उत्तर प्राप्त नहीं होने पर)

श्री **रामदयाल उपाध्याय**—यह सबसे ज्यादा रकम कौन से जिले में खर्च की गई थी ?

श्री **नरसिंह कछवाहा**—मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

श्री **चांदमल मेहता**—क्या अब इसकी कोई विस्तृत योजना सरकार ने बनाई है ?

श्री **नरसिंह कछवाहा**—सर्वे की जा रही है और सरवे का नतीजा आने पर बताया जा सकता है ।

श्री **मोहनलाल भटनागर**—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि विस्तृत योजना नहीं बनने के कारण से ही भारत सरकार से रकम नहीं मिल रही है ?

(पुनः उत्तर प्राप्त नहीं होने पर)

Page No.6

श्री रामदयाल उपाध्याय—घरेलू उद्योगों में कौन कौन से कार्य लिये गये हैं ?

(पुनः कोई उत्तर नहीं)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—Sir, I have to ask a very important supplementary.

श्री अध्यक्ष—All supplementaries are important.

कु० श्री जसवन्तसिंह—My question is this.

ये जो उद्योगधन्धे हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए यहां इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन की स्थापना करने की तज़वीज़ है, सरकार के सामने ?

श्री नरसिंह कछवाहा—इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के लिए मेरा ऐसा ख्याल है, कोई योजना विचाराधीन है । (हंसी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री रामदयाल उपाध्याय ।

प्रश्न संख्या १४८१

पारोली (त० कोटड़ी) के एक बड़े घास के बीड़ की काश्तकारों द्वारा कृषि के हेतु मांग

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या वन विभाग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि ग्राम पारोली, तहसील कोटड़ी, में एक बड़ा घास का बीड़ है जिसको, आसपास के कई भूमिहीन किसान काश्त के लिये लेना चाहते थे ?

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त बीड़ की जमीन भूमिहीन उन किसानों को न दी जाकर एक ही व्यक्ति के नाम रिलीज़ कर दी गई है ?

(ग) क्या यह सही है कि वन विभाग में उन भूमिहीन किसानों के प्रार्थना-पत्रों पर विचार तक नहीं किया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या (खाद्य मंत्री)—(वन मंत्री की अनुपस्थिति में) (क) केवल एक ही दरख्वास्त आई थी ।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(ख) और उसी एक व्यक्ति को सन् १९५१ में यह जमीन दी गई।

(ग)-(क) के जवाब में यह प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या यह सही है कि जितनी दरख्वास्तें आईं वे रेन्जर ने सारी दाब लीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक दरख्वास्त आई थी और जमीन सन् ५१ में ही दी गई है।

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या यह सही है कि जमीन दी गई है वह एक ही व्यक्ति को दी गई जो वहां से कम से कम १०० मील दूर रहता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां। दूसरी दरख्वास्तें आई थीं उनको भी दी गई है, और दूसरी दरख्वास्तें जो आई थीं उनमें भी दूर के रहने वाले हैं; काफी जमीन उनको दी गई है, यह सत्य है।

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या यह सत्य नहीं है कि एक के बजाय २, ४ आदमियों को वह जमीन रेन्ज में दी गई है।

श्री भोगीलाल पंड्या—जमीन जो दी गई है वह रेवेन्यू बोर्ड की मन्जूरी से एक ही व्यक्ति को दी गई है।

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या यह सही है कि रेवेन्यू बोर्ड से जो जमीन रिलीज की गई है वह कई दरख्वास्तों पर की गई है ? अगर नहीं की गई है, तो एक ही दरख्वास्त पर क्यों की गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—एक बार बताया गया है कि एक दरख्वास्त आई थी उसको जमीन दी गई है और कोई दरख्वास्त नहीं आई है।

श्री रामदयाल उपाध्याय—और भी दरख्वास्तें अगर रेकार्ड में मिल जायं तो इसके लिये उन आफिसरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने को तैयार हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जरूर। मगर मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं; फिर भी आप नई सूचना दे रहे हैं और अगर वह ठीक है तो उचित कार्यवाही की जा सकती है।

प्रश्न संख्या १४८२

राष्ट्रीय ऋण योजना के अन्तर्गत परबतसर एवं किशनगढ़ सब डिवीजन द्वारा एकत्रित रकम

श्री चांदमल मेहता---क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राष्ट्रीय ऋण योजना के अन्तर्गत ३० जून, सन् १९५४ तक कितने रुपये एकत्रित किये गये ?

(२) उक्त रकम में राज्याधिकारियों द्वारा दी गई कितनी रकम है ?

(३) परबतसर सब डिविजन और किशनगढ़ सब डिवीजन से कितनी कितनी रकम एकत्रित की गई ?

श्री नरसिंह् कछवाहा (उप मंत्री)---इस संबंध में रिज़र्व बैंक आदि से जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई, परन्तु पूर्ण आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके। सरकार के पास जो सूचना आई है उसके अनुसार राष्ट्रीय ऋण योजना में ३०- ६- ५४ तक ९६ लाख रुपया राजस्थान में एकत्रित किया गया था।

(२) पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(३) पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या आंकड़े बाद में दिये जायेंगे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—क्या ?

श्री चांदमल मेहता—क्या जो प्रश्न का हिस्सा बाकी रह गया है उसका जवाब बाद में दिया जायगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां, रिजर्व बैंक से मंगाये गये हैं। जब आयेंगे तब आपको दिये जा सकते हैं बशर्ते कि आप दुबारा प्रश्न करेंगे या खानगी में पूछेंगे तो।

श्री चांदमल मेहता—परबतसर और किशनगढ़ सब डिवीजन के आंकड़े नहीं होने के क्या कारण हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सारे राजस्थान के लिए मांगे गये थे। रिज़र्व बैंक से आयेंगे तो उसमें किशनगढ़ के भी हैं, सारे राजस्थान के हैं; अलग अलग नहीं हैं।

श्री जसवन्तसिंह—तो ऋण के लिए डिपार्टमेंटल फण्ड्स से कितना दिया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—करीब २५ लाख राजस्थान सरकार के पास जो फन्डस् थे उनसे दिया गया है। करीब ३ लाख देवस्थान डिपार्टमेंट से दिया गया है।

प्रश्न संख्या १४८३

पी० टी० एस० किशनगढ़ में ट्रकों का उपयोग

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) पी० टी० एस० किशनगढ़ में कितने ट्रक हैं ?

(२) उक्त ट्रकों पर ५३-५४ के वर्ष में कितना खर्चा किया गया ?

(३) उक्त ट्रक किस उपयोग में लाये जाते हैं ?

श्री नरसिंह कछवाहा (उप मन्त्री)—(१) केवल एक।

(२) २४१७ रु० १२ आ० ६ पाई।

(३) यह ट्रक ट्रेनिंग स्कूल के केडटों और अफसरों के पानी लाने और उनके खाने का सामान गेहूँ आदि व रिसाले का सामान व घोड़ों का दाना आदि लाने में तथा फायरिंग रेन्ज पर टारगेट उनको ले जाने व अन्य विभिन्न कार्यों के काम में आता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या जो रकम बताई गई है उसके अलावा भी इस ट्रक के ऊपर खर्च किया जा रहा है ? वियर टियर व मेन्टीनेंस के दूसरे खर्च कितने हैं ?

श्री नरसिंह कछवाहा—ये सब इसमें शामिल हैं।

श्री चांदमल मेहता—वियर एन्ड टियर भी इसमें शामिल है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—जी हां।

श्री **चांदमल मेहता**—तो वियर और टियर पर कितना है, पेट्रोल पर कितना है और ड्राइवर पर कितना है ?

श्री **नरसिंह कछवाहा**—रिपेयर्स पर है १०६१ रु० ४ आ०, पेट्रोल पर १२५१ रु० ० आ० ६ पा० और मोबिल आॅइल पर ५७ रु० ४ आ० ।

श्री **चांदमल मेहता**—ड्राइवर और क्लीनर की तनख्वाह को छोड़ दिया गया है ?

श्री **नरसिंह कछवाहा**—वह तो पुलिस का जो कॉन्स्टेबल होता है वह काम करता है ।

श्री **चांदमल मेहता**—क्या यह सही है कि इस ट्रक का उपयोग सिर्फ पी० टी० एस० के पानी के लिए किया जाता है ?

श्री **नरसिंह कछवाहा**—मैंने बताया कि सारी बातों के लिए है ।

प्रश्न संख्या १४८४

प्रथम पंचवर्षीय योजना में खर्च किया गया रुपया

श्री **चांदमल मेहता**—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किस किस जिले में कितना २ रुपया खर्च किया जा चुका है ।

(ख) प्रत्येक जिले में प्रति व्यक्ति पर खर्च की औसत क्या है ।

श्री **भोगीलाल पंड्या** (खाद्य मन्त्री)—(श्री विकास मन्त्री की अनुपस्थिति में)पंचवर्षीय योजना सारे राज्य के विकास को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है । इसमें ६४,९७,८२७ रु० २ आ० ६ पा० का खर्चा है । ऐसी योजनाओं पर हुआ है जिन्हें जिलेवार विभक्त नहीं किया जा सकता । बाकी खर्चे की सूची इस प्रकार है :

नाम जिला	रकम खर्च की गई (रुपयों में)
अलवर	३८,५३,६७२
भरतपुर	५२,३५,५४७

Page No.11

[श्री भोगीलाल पंड्या]

१	२
जयपुर	१,३१,५०,६६७
झुन्झुनू	४,६२,६४६
सवाई माधोपुर	५६,७६,२०२
सीकर	४,०६,७१५
टोंक	१२,७७,८७६
बाड़मेर	७,४५,१३६
जैसलमेर	२,८१,१०५
जालौर	७,६३,७८५
जोधपुर	५६,९७,६७०
नागौर	१७,१५,३४८
पाली	६४,६८,०८६
सिरोही	५,८८,७६४
बांसवाड़ा	१७,५५,७८३
भीलवाड़ा	३०,६३,८३६
चित्तौड़गढ	१३,५५,३२७
डूंगरपुर	१४,८६,४८०
उदयपुर	४८,११,७२०
बीकानेर	२८,२८,५५५
चूरू	६,०५,७२३
गंगानगर	२१,१०,६६०
बूंदी	१६,६६,७००
झालावाड़	६ ,८०,५७३
कोटा	६१,४१,४०८

श्री चांदमल मेहता--मेरे इसके पार्ट (२) का जवाब नहीं मिला कि प्रत्येक जिले में प्रति व्यक्ति औसत क्या है ?

Page No.12

[श्री भोगीलाल पंड्या]

नाम जिला	प्रति व्यक्ति खर्च
अलवर	४.४७
भरतपुर	५.७६
जयपुर	७.६४
झुनझुनू	.७८
सवाई मधोपुर	७.८१
सीकर	.६०
टोंक	३.१८
बाडमेर	१.६८
जैसलमेर	२.७३
जालोर	१.७२
जोधपुर	८.२३
नागोर	२.२४
पाली	१४.३२
सिरोही	२.४६
बांसवाड़ा	४.६२
भीलवाड़ा	४.२५
चित्तोड़गढ़	२.३२
डूंगरपुर	४.८३
उदयपुर	४.०३
बीकानेर	८.५६
चूरू	१.७३
गंगानगर	३.३५
बूंदी	५.६५
झालावाड़	२.६२
कोटा	८.१५

श्री चांदमल मेहता—यह प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो खर्च किया गया है उसका बेसिस क्या था ? किस बेसिस पर यह योजना तैयार की गई।

श्रीभोगीलाल पंड्या—एक विकास बोर्ड बना था और उसने जो कुछ ठीक समझा उसके अनुसार योजना बनाई गई और प्रत्येक जिले में जहां जैसी उपयोगिता थी वहां पर यह काम शुरू किया गया।

श्रीचांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस योजनामें जयपुर जिला, जो कि खास महत्व रखता है उसकी अवहेलना की गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी नहीं। सबसे ज्यादा रुपया खर्च किया जा रहा है।

श्री चांदमल मेहता—क्या प्रत्येक व्यक्ति पर सबसे ज्यादा खर्चा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वह पर्सेन्टेज कुछ जिलों में ज्यादा और कुछ में कम है। इसके मायने यह नहीं हैं कि और जिलों से बहुत कम है।

कु० श्री जसवन्त सिंह—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बीकानेर जिले में जो २८ लाख रुपया पंचवर्षीय योजना में खर्च किया जाना बतलाया गया है तो उस २८ लाख का मतलब २८ हजार से है या क्या ? वह कौन सा काम है जिस पर १ लाख भी खर्च हुआ है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने बताया कि २८,२८,१५५, रु० हैं। वही संख्या ठीक है।

कु० श्री जसवन्त सिंह—तो बतलाइयेगा कि २८ लाख रुपये की क्या चीज है जिसमें यह खर्च हुआ ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सबसे बड़ा वहां पर पॉवर हाउस है।

श्री जसवन्तसिंह—पॉवर हाउस के लिए टरबाइन खरीद लिया गया तो इसके मायने यह हो गये कि वहां पर पंचवर्षीय योजना का एक हिस्सा पूरा होगया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां, इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता होगी, पॉवर ज्यादा मिलने लगेगा। उससे लोगों को बिजली मिलेगी, उद्योग चालू किये जायेंगे, सिंचाई होगी तथा और कई काम होंगे।

श्री चौधरी मोतीराम—पॉवर हाउस तो पहले भी था, यह नया बनाया गया क्या पंचवर्षीय योजना में ?

श्री भोगीलाल पंड्या—पहले था, लेकिन उससे ज्यादा पॉवर मिलेगी ऐसी व्यवस्था की जा रही है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—पॉवर हाउस के बनने से बीकानेर जिले में जो आपने कहा कि सिंचाई शुरु हो जायगी तो कितने साल में कितनी एकड़ की खेती हो जायगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ। पॉवर हाउस बन जायगा तो और ज्यादा पॉवर मिलने के साथ सारे के सारे विकास के काम शुरु हो जावेंगे।

कं० श्री जसवन्तसिंह—आपने यह फरमाया कि बीकानेर जिले में पॉवर हाउस से पानी मिलने लगेगा और सिंचाई होगी तो यह सरकार की अनभिज्ञता है, यह तो मुझे कहना है नहीं, लेकिन फिर भी यह जानना चाहूँगा कि २८ लाख और कितने रुपये खर्च हुए किसमें ?

श्री भोगीलाल पंड्या—खर्चा तो पंचवर्षीय योजना में किया जायगा। मैंने कभी नहीं कहा कि खर्च किया गया। दूसरी बात की सरकार की कोई अनभिज्ञता नहीं है। वह निराश नहीं हों। जैसा कि कहा गया है कि कुऐ बहुत गहरे हैं तो वहां पॉवर का उपयोग नहीं हो सकता है; ऐसा नहीं ख्याल करना चाहिए।

श्री रामदयाल उपाध्यक्ष—जैसेलमेर में सब से कम परसेन्टेज रखी है, तो मंत्री महोदय का क्या यह ख्याल है कि वह एरिया पहले से बहुत डेवलप्ड है।

श्री भोगीलाल पंड्या—वहां पर २.७३ है इसलिए पर्सेन्टेज कम नहीं है। एक बात और है कि जैसलमेर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जो कार्य किये जा सकते थे वे बराबर लिये गये हैं।

प्रश्न संख्या १४८५

श्री अध्यक्ष—प्रभुदयाल।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ पर देखिये)

प्रश्न संख्या १४८६

घरेलू उद्योगों के प्रोत्साहनार्थ समिति का निर्माण तथा उसके द्वारा किये गये कार्य

श्री चान्दनल मेहता—क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कोई समिति का निर्माण किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो कब और कौन कौन उसके सदस्य मुकर्रर किये गये हैं ?

(ग) इस समिति की अब तक कितनी बैठकें हुई है और क्या क्या तजवीजें सरकार के सामने रखी गई है !

[श्री चांदमल मेहता]

(घ) उक्त तजवीजों में किन किन पर सरकार ने अमल किया है ?

श्री नरसिंह कछवाहा (उपमंत्री)—क. गवर्नमेंट ने घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये खादी एन्ड विलेज इन्डस्ट्रीज़ डवलपमेंट बोर्ड का निर्माण किया है।

ख. हां, इसके निम्नलिखित सदस्य मुकर्रर किये गये हैं ;

१. इन्डस्ट्रीज़ मिनिस्टर		चेयरमेन
२. सेक्रटरी कॉमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट		मेम्बर
३. डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़ एन्ड कॉमर्स		मेम्बर
४. शीप एन्ड वूल इम्प्रूवमेंट ऑफिसर		मेम्बर
५. श्री. ए.सी. दास. गुप्ता, डि० डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़ एन्ड कॉमर्स		मेम्बर सेक्रटरी
६. श्री. द्वारकादास पुरोहित	जोधपुर	मेम्बर
७. श्री ओमदत्त	जयपुर,	मेम्बर
८. श्री चिरंजीलाल शर्मा वकील	जयपुर	मेम्बर
९. श्री रामरतन कोचर	बीकानेर	मेम्बर
१०. श्री माणिक्यलाल वर्मा	उदयपुर	मेम्बर
११. श्री नाथूलाल, वकील	कोटा	मेम्बर

ग. इस उपसमिति की दो बैठकें हुई, हैं; पहली बैठक में सारे राजस्थान प्रान्त का हैन्डलूम सप्ताह मनाने का प्रोग्राम रखा था।

घ. पहली मीटिंग की तज़वीज़ पर सरकार ने अमल किया है। दूसरी बैठक की तज़वीज़ अभी सरकार के पास पेश नहीं हुई है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस कमेटी में घरेलू उद्योग का अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति नहीं है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—इसमें ऐसे व्यक्ति हैं।

श्री चांदमल मेहता—वे कौन कौन व्यक्ति हैं जो घरेलू उद्योग चलाते हैं और जिनको इसका अनुभव है।

श्री नरसिंह कछवाहा—लगभग सभी इसको जानते हैं।

श्री चांदमल मेहता—उनमें से कौन कौन घरेलू उद्योग चला रहे हैं।

Page No.16

श्री नरसिंह कछवाहा—श्री चिरंजीलाल शर्मा घरेलू उद्योग चला रहे हैं, माणिक्य-लाल वर्मा भी चला रहे हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार इस उद्योग को सुचारू रूप से चलाने के लिये डिस्ट्रिक्ट वाइज़ इस तरह की समितियां बनाने की योजना रखती है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस वक्त इस तरह की समितियां डिस्ट्रिक्ट वाइज़ नहीं हैं ?

श्री नरसिंह कछवाहा—इस वक्त नहीं हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या माननीय उप-मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि यह समिति कांग्रेस पार्टी द्वारा स्थापित की गई है या कांग्रेस पार्टी के लिए सरकार द्वारा स्थापित की गई है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—सरकार द्वारा स्थापित की गई है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—इसमें ज्यादातर सदस्य कांग्रेस के ही हैं इसके क्या माने हैं ?

श्री नरसिंह कछवाहा—जो योग्य होते हैं उनको रखते हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह समझा जाय कि सिवाय कांग्रेसमेन के देश भर में और कोई योग्य हैं ही नहीं ?

श्री नरसिंह कछवाहा—यह बिल्कुल ठीक है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या माननीय मित्र को इसीलिये उपमंत्री बनाया गया है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री जवानसिंह—A very important supplementary, Sir.

श्री अध्यक्ष—I am looking to the nature of the questions wnich are "very important" (श्री जवानसिंह से) Yes.

श्री जवानसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकारी वर्ग के अलावा दूसरे जितने भी इस समिति के सदस्य हैं उनमें से कांग्रेस के अलावा दूसरे कितने सदस्य हैं ?

श्री नरसिंह कछवाहा—वह बोर्ड खादी इम्प्रूवमेंट बोर्ड है, इसलिये इसमें खादी उत्पादन से सम्बन्ध रखने वाले ही सदस्य हैं।

श्री जवानसिंह—मेरा प्रश्न था कांग्रेस के अलावा कितने सदस्य हैं ?

श्री नरसिंह कछवाहा—दूसरे वर्गवालों को इसमें रुचि नहीं है। आप सामने ही दूसरे कपड़े पहने हुए बैठे हैं।

श्री हिम्मतसिंह—क्या इसमें किसी खुदाबख्श को नहीं रखा ?

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर।

प्रश्न संख्या १४८७

श्री अध्यक्ष—श्री विश्म्भरनाथ जोशी।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या १४८८

ग्राम बरा, सब तहसील सेपऊ (धोलपुर) में मुरली वैश्य के यहां ३१-७-५४ को डाके से वहां की जनता में आतंक

श्री हंसराज जटिया—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सत्य है कि ता० ३१-७-५४ को ग्राम बरा, सब तहसील सेपऊ, धोलपुर युनिट में किसी मुरली नामक वैश्य के यहां डाका पड़ा ?

(ख) क्या यह सत्य है कि जिसके यहां डाका पड़ा उसको बुरी तरह मारा, पीटा गया और उसको जलाया भी गया है ?

(ग) क्या यह बतलाने की कृपा की जावेगी कि कितनी धनराशि डाके में गई ?

(घ) क्या यह सत्य है कि वहां की जनता में फिर से आतंक फैल गया है और उसे मिटाने के लिये सरकार ने कितनी गिरफ्तारियां की हैं ? यदि उत्तर हां में है, तो डकैत कहां कहां के हैं, और किस जाति के हैं ?

Page No.18

श्री नरसिंह कछवाहा (उप गृह मंत्री)—जी नहीं; यह डकैती नहीं कही जा सकती; यह कुछ बदमाशों द्वारा चोरी का मामला है

(ख) जी हां।

(ग) १७८१ रु० की चोरी हुई।

(घ) जी नहीं, यह काम कुछ बदमाशों द्वारा किया गया है जो कि आसपास के गांवों के रहने वाले हो सकते हैं। मामला जेर तफतीश है। वहां की जनता में कोई आतंक नहीं है।

श्री रामदयाल उपाध्याय—कितने रुपयों का माल बरामद किया गया है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—मामला अभी जेर तफतीश हैं।

श्री रामदयाल उपाध्याय—इन्वेस्टीगेशन किस स्टेज पर है ? कोई गिरफ्तारी हुई है या किस स्टेज पर मामला है ?

श्री नरसिंह कछवाहा—यदि सबूत मिलेगा तो गिरफ्तारी करेंगे।

श्री जवानसिंह—अब तक कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया या नहीं ?

श्री नरसिंह कछवाहा—मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री जवानसिंह—यह बात प्रश्न में ही निहित है, फिर क्यों नहीं है सूचना ?

श्री नरसिंह कछवाहा—अभी तक मामला जेर तफतीश है।

श्री जवानसिंह—जेर तफतीश होते हुए भी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—इनके पास इसकी कोई सूचना नहीं है। Questions are over.

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, मेरे तारीख १३ के क्वेश्चन नं० १४१२ के ऊपर एक सप्ताह में स्टेटमेंट देने के बारे में कहा गया था और आज एक सप्ताह समाप्त हो रहा है। क्या सरकार की ओर से कोई स्टेटमेंट आज दिया जायगा ? यह प्रश्न था एसेम्बली की प्रोसिडिंग्ज छपने के बारे में और माननीय अध्यक्ष ने कहा था कि इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—मन्डे तक दे देंगे या आज देना चाहते हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—चीफ मिनिस्टर साहब अभी हाउस में नहीं हैं इसलिये मन्डे तक दे देंगे।

श्री जवानसिंह—उपग्रह मंत्री दे देंगे।

श्री अध्यक्ष—I think the Hon'ble Member is very keen to hear from him.

कुं० श्री जसवन्तसिंह— Very keen. ऐसी अमृतवाणी और कहां सुनने का मौका मिलता है।

राजस्थान कृषि भू-धारण विधेयक, १९५३ (अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श)

खण्ड (२०)

श्री अध्यक्ष—The questions are also of limited number. Now the questions are over and we come to Clause 20.

खण्ड २० चल रही है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—यह धारा मूव हुई है। It has been only moved.

श्री अध्यक्ष—इस एमेन्डमेन्ट के पक्ष में या विरोध में जो बोलना चाहें वे बोल सकते हैं।

श्री भोलानाथ—आज बोलने के लिये ही तो कल पोस्टपोन किया था।

श्री जसवन्तसिंह—आपको अच्छी तरह से सुनने के लिये कल पोस्टपोन किया था।

श्री भोलानाथ—२० वीं धारा बहुत ही सीधी-सादी धारा है। इसमें कुछ ऐसे शब्द आये हैं जिनकी इस समय आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती। इसके लिये श्री नाथूरामजी ने अपना एमेन्डमेन्ट पेश किया है। जिन शब्दों की आवश्यकता नहीं थी उनको हटाया गया है इसलिये मैं इस संशोधन को मंजूर करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—(राजस्व मंत्री से) संशोधन आपको स्वीकार है ?

(मंत्री महोदय द्वारा मौन स्वीकृति)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २० में श्री नाथूरामजी मिर्धा ने जो नया क्लॉज़ सब्स्टीट्यूट करने का जो संशोधन रक्खा है वह स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि नया रखा हुआ क्लॉज़, क्लॉज़ २० की भांति विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

नया रखा हुआ क्लॉज़, क्लॉज़ २० की भांति विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

खंड २१

खंड २१, श्री नाथूराम मिर्धा ।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मौजूदा टिनेन्सी एक्ट का जो क्लॉज़ २१ है उसमें 'सेसेस' हेडिंग के नीचे यह दिया गया है :

(1) Notwithstanding any custom or contract to the contrary, no cess whatsoever other than payment in kind which forms part of the rent of a holding shall be levied on or recovered from a tenant in addition to the rent of his holding.

(2) In case of doubt the State Government may declare whether or not any payment is a cess of which the levy is prohibited by sub-section (1)."

इस मौजूदा क्लॉज़ में मैंने एक संशोधन रखा है कि इस धारा को हटा कर इसकी बजाय में एक नई धारा जोड़ी जाय । उसका हैडिंग है :

"Prohibition of payment other than rent."

इसके बारे में दूसरी क्लॉज़ सब्स्टीट्यूट कर दी जाय । वह क्लाज़ जो मैं चाहता हूँ, वह इस तरह रीड करता है :

[श्री नाथूराम मिर्धा]

"Notwithstanding any custom or contract to the contrary, no payment, by whatever name called or known, shall, in addition to the rent of the holding, or any other charge approved by the State Government, be levied on, or recovered from, a tenant."

इन शब्दों को देखने से पता चलता है कि मंशा वही है जो कि इस पुरानी सेक्शन में थी। उसमें सिर्फ "सेस" करके उसके दायरे को लिमिट कर दिया था कि रेंट के अलावा और कोई 'सेस' किसी दूसरे नाम से, चाहे वह कितने ही ओल्ड कस्टम के अनुसार या किसी और नाम से वसूल की जाती हो, वसूल नहीं की जायगी। इसके बारे में मैंने जो संशोधन रखा है उसमें ये शब्द और जोड़ दिये हैं।

"other charge approved by the State Government"

ये खास तौर से उन चीजों के लिये हैं कि रेंट के अलावा सरटेन जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और पंचायतें नई कायम हो रही हैं उनके काम चलाने के लिए नई 'सेस' गवर्नमेंट की मंजूरी से लगाई जा सकती है, इसके लिये यह नया क्लॉज़ जो मैं सब्स्ट्रीट्यूट करना चाहता हूं, प्रोविजन देता है। जब तक स्टेट गवर्नमेंट मंजूरी नहीं करदे तब तक किसान से रेंट के अलावा और कोई 'सेस' वसूल नहीं किया जायगा और अगर कोई चीज ली जा सकती है मौजूदा टाइम में तो वह इसी सेक्शन के लागू होने के बाद ही ली जा सके। वह स्टेट गवर्नमेंट से एप्रूव कराने के बाद में लगाया जा सकता है, इसको छोड़ कर बाकी सब वही मंशा है इसकी। यह क्लॉज़ सब्स्ट्रीट्यूट करने से मौजूदा क्लॉज़ का ढांचा और भी सुन्दर बनेगा।

श्री अध्यक्ष—It is not clear whether sub-clause (1) and (2), both should be removed.

श्री नाथूराम मिर्धा—Both the clauses should be removed and this should be substituted. This will serve the whole purpose.

श्री जवान सिंह—और कोई संशोधन नहीं है।

श्री भोलानाथ—नहीं।

श्री अध्यक्ष—संशोधन तो सर्कुलेट हो गये आपको ?

श्री जवानसिंह—जी हां।

Page No.22

[श्री जवानसिंह]

माननीय अध्यक्ष, यह जो संशोधन श्री नाथूराम जी मिर्धा द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसके विरोध में निवेदन करना चाहता हूँ। इस साधारण से कहे गये संशोधन को ठीक प्रकार से देखें तो इसके अन्दर सरकार अपने हाथों में जो यह अधिकार लेना चाहती है उसके लिये खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि इस कानून के फोर्स में आने के पश्चात् सरकार विभिन्न तरीकों से काश्तकारों के ऊपर और दूसरे लोगों पर चार्जेज़ लागू कर सकती है, इस प्रोविजो के तहत में, और इसके लिये टेनेन्सी लॉ में जो यह एक प्रोविजो रखा जा रहा है, अधिकार दिया जा रहा है, उसके लिये दलील पेश की गई है कि चूंकि हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को डेवेलप करना चाहते हैं, और प्रजातन्त्र में आम लोगों के हाथों में शासन की बागडोर देना चाहते हैं, इसलिये सरकार को अधिकार दिया जाय कि इसके बारे में जरूरी और आवश्यक कर वसूल किया जाय और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को आगे बढ़ाये।

मैं निवेदन करूंगा कि अभी इस समय में और पुराने राजाओं और जागीरदारों के जमाने में काफी अन्तर आ गया है। इस अन्तर को ध्यान में रखना है। उस वक्त कानून की तहत में दिये गये अधिकारों के मातहत कर वसूल करते थे तो उधर बैठने वाले साहबान सरकार का विरोध करते थे और कहते थे कि यह अनुचित है। लेकिन अब स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पश्चात् जो इस वक्त भी हम इस प्रकार के अधिकार सरकार के हाथ में देना चाहते हैं, जिस वक्त कि हम काश्तकारी कानून पास करने जा रहे हैं, और यह तय करने जा रहे हैं कि किस जमीन पर कितना लगान होना चाहिये, उस समय उस लगान के अलावा भी सरकार कर वसूल कर सके, इस तरह का अधिकार सरकार के हाथों में देने जा रहे हैं, यह कहां तक न्यायसंगत और उचित है? हम यहां पर यह काश्तकारी कानून पास करने जा रहे हैं तो ऐसी सूरत में भूमि संबंधी मामले ही इस कानून की तहत में होने चाहिये। इस काश्तकारी कानून में हम दूसरे कानूनों के लिये प्रोविज़न करें और यह प्रोविज़न इसमें रखें कि दूसरे कानूनों के तहत इस इस तरह के कर वसूल हो सकेंगे, इसके लिये काश्तकारी कानून में प्रोविज़न रखें, क्या यह उचित होगा? इस पर सदन को गौर करना है। जब हम इस बात को दूसरे कानूनों की रोशनी में देख सकेंगे तभी सदन इस बारे में कोई निर्णय पर पहुँच सकेगा।

पंचायत कानून हमने पास किया है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट हमने पास किया है, इस प्रकार के कर वसूल करने के लिये इस प्रकार के कानून पास किये हैं और उनके तहत में जो खर्चा होगा वह उन कानूनों की तहत में वसूल हो सकेगा, इसमें किसी भी तरह की आपत्ति या बाधा नहीं आयगी। अब आश्चर्यजनक बात यह है कि उन कानूनों के जरिये सरकार ने अधिकार अपने हाथ में ले लिये हैं तो क्या आवश्यकता हुई कि इस काश्तकारी कानून के अन्दर इस तरह के कर वसूल करने का प्रोविजन रखा जाय। उन कानूनों में जो कर वसूल किये जायंगे वे उन बातों से ताल्लुक रखने वाले होंगे पर यहां जो कर वसूल किया जायगा वह काश्तकारों से और भूमि

[श्री जवानसिंह]

से सम्बन्ध रखेगा। इसलिये हमें सोचना है कि काश्तकारों से, अलावा लगान के किसी तरह के और चार्जेज़ वसूल किये जा सकते हैं सिर्फ इस नाम के लिये कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का काम शुरू होगा इसके लिये काम आयेगा।

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पदासीन)

हमें गंभीरता से सोचना है कि जिस परिपाटी की हमने आज तक आलोचना की है कि किसानों के ऊपर अलावा लगान के बोझा नहीं आना चाहिये, इसीलिए तो हमने इन्टरमीडियेरीज़ को खत्म किया है। किसान के ऊपर लगान के अलावा और किसी तरह का कर का बोझा नहीं पड़े, और कोई रोड़ा नहीं हो, जब लगान के अलावा और बोझे को हटाने जा रहे हैं, तो क्या आवश्यकता है कि इस काश्तकारी कानून में ऐसा प्रोविज़न लावें कि लगान के अलावा किसान से और भी कर वसूल किये जांय और इसके लिये सरकार को अधिकार दिये जांय। लिहाजा मेरा मत है, और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को यह मान कर चलना चाहिये कि काश्तकार पर लगान के अलावा कोई किसी प्रकार का दूसरा टैक्स नहीं डालना है और इसी लगान के लिये ही बदली हुई धारा को सुधारनी पड़ेगी। लगान के अलावा काश्तकार पर किसी प्रकार का दूसरा बोझ नहीं डालना चाहिये। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से, माननीय चेयरमेन, अपील करता हूं कि वे इस पर गंभीरता से सोचें और इस बात का मार्ग निर्धारित करें कि किसानों से लगान ही लेना है और लगान के अलावा कुछ नहीं और इसलिये इस धारा को संशोधित किया जावे और सरकार को केवल यही निश्चय करना है कि किसानों पर कोई बोझ लगान के अलावा नहीं लादा जावे। इसलिए जो संशोधन किया गया है उसको मंजूर............(अश्रव्य)

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय चेयरमेन, मेरे मित्र श्री जवानसिंहजी के भाषण के बाद मैं इस पर ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं समझता और न कोई आवश्यकता ही रही है। फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि गवर्नमेंट के इस संशोधन पर एक्ट करने की इजाजत दी जा रही, है दी गई, तो इसका नतीजा बड़ा भयंकर होगा। उधर तो सरकार काश्तकारों के हित के लिये आज से नहीं २० सालों से, मेरा इससे मतलब कांग्रेस ओर्गेनाइजेशन से है, यह कहती है कि वह काश्तकारों की भलाई के लिये सब कुछ करने के लिये तैयार है और इधर इस प्रकार के संशोधन ला रही है तो उसका नतीजा यह निकलेगा कि लैन्ड रेवेन्यू के अलावा सरकार को यह भी अधिकार दिया जावे कि काश्तकारों पर वह दूसरा टैक्स जो वह लगाना चाहे लगाने की छूट हो। सरकार चाहे तो दूसरे सिटीज़न्स पर टैक्स लगावे या व्यापारियों पर लगावे तो हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन काश्तकारों पर अगर सरकार चाहे कि लेन्ड रेवेन्यू के अलावा कोई भी टैक्स लगावे तो मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि हम यह नये टैक्स लगाने का अधिकार सरकार को नहीं दे सकते। यह तो सदन के अधिकार में है, जो लेजिस्लेचर के रूप में फंक्शन करता है, जो कि सरकार का अंग

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

है, उसका अधिकार है, और वही नये टैक्स लगा सकता है, लेकिन इस संशोधन द्वारा सरकार यह अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है, और इसीलिये यह एमेन्डमेंट, जो सदनके सामने है, पेश किया है। यह एमेन्डमेंट एक गवर्नमेंट स्पोन्सर्ड एमेन्डमेंट है। हालांकि यह अमेंन्डमेंट श्री नाथूरामजी द्वारा उनके नाम से किया जा रहा है लेकिन वास्तव में यह गवर्नमेंट स्पोन्सर्ड एमेन्डमेंट है जैसा कि माननीय सदस्य देखते हैं कि बार बार श्री मिर्धा जी जागीर कमिश्नर और सरकारी अधिकारियों के पास भाग भाग कर जाते हैं और राय के लिये उनको जाना पड़ता है। इससे यह समझा जाना चाहिये कि यह एक सरकार का ही एमेन्डमेंट है और सरकार के इशारे पर ही यह एमेंडमेंट पेश किया गया है और सरकार के इशारे के अलावा वे एक कदम भी इधर उधर नहीं उठा रहे हैं। ऐसी हालत में सरकार यह चाहती है कि लेजिस्लेचर का अधिकार जो है वह सरकार को दे दिया जावे और जब सरकार चाहे नये टैक्स उन पर लगा सके। मैं यह कहूँगा कि जब कि सरकार इन्टरमीडिएरीज़ को हटा रही है और काश्तकारों के हित के लिये सब कुछ कर रही है, कुछ समय पहले जागीर रिज़म्पशन एक्ट पास हो गया है ; और एक दो महिनों में जागीरें समाप्त हो जावेंगी, इसके बाद काश्तकार और सरकार के बीच सीधा सम्बन्ध हो जावेगा। मुझे इस बारे में अधिक कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं यह कहूँगा कि इस एमेन्डमेंट के द्वारा यह साफ होता है कि सरकार अपने हाथ में लेजिस्लेचर के अधिकार लेना चाहती है और जिस टैक्स को लेन्ड रेवेन्यू के अलावा काश्तकारों पर लगाना चाहे, लगा सकेगी। इसलिये मैं यह कहूँगा कि सदन इस पर विचारेगा। अच्छा होता यदि सरकार यह बता देती कि हम फलां फलां टैक्स काश्तकारों पर लगाना चाहते हैं। लेकिन सरकार तो यह चाहती है कि लेजिस्लेचर को जिस तरह से काश्तकार पर टैक्स लगाने का अधिकार है वह मिल जावे तो मैं नम्रता से निवेदन करूंगा कि सदन इतने वास्ट पॉवर्स सरकार को नहीं दे, क्योंकि एग्ज़िक्यूटिव के पास इतने पॉवर्स नहीं होने चाहिये। मैं तो यह कहूँगा कि किसी भी तरह से अनडिफाइन्ड पॉवर्स सरकार को किसी तरह से भी नहीं दिये जावें।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय चेयरमेन, यह जो क्लॉज़ २१ पर विचार हो रहा है उसको पढ़ने से पता चलता है कि बड़े साधारण तरीके से सरकार ने अपने हाथ में कुछ अधिकार इस प्रकार के टैक्स लगाने के ले लिए हैं जो किसी भी तरह से काश्तकारों पर नहीं लगाया जाना चाहिये। सिद्धांततः काश्तकारों से भूमि कर जो काश्त करने के एवजाने में उनसे लगान के रूप में लिया जाता है उसके अलावा कोई दूसरा कर नहीं लिया जाना चाहिये। अगर कोई भी काश्तकार किसी टिनेन्ट की भूमि पर काश्त करता है तो उससे प्रीमियम लिया जाता है, फिर उससे प्रीमियम के अलावा किसी भी प्रकार का टैक्स लिया जाना सिद्धान्त के खिलाफ होगा, लेकिन जिस प्रकार यह क्लॉज़ रखा गया है उसको देखने से मालूम होता है कि एक तरफ सरकार यह कहती है कि रेन्ट के अलावा कोई भी किसी तरह का टैक्स काश्तकारों से नहीं लिया जावे, दूसरी तरफ सब क्लाज़ (२) में जो शब्द हैं उनसे यह साफ साबित होता है कि अगर कोई प्रीमियम लिया जाता है, और सरकार यह कह दे कि यह लाफुल्ली लेट नहीं है तो सेस को मान कर वह

Page No.25

[श्री वेदपाल त्यागी]

लिया जावेगा। कहने का तात्पर्य यह कि किसी भी प्रकार का लगान लेने का अधिकार सरकार अपने हाथ में रखती है, उन लोगों से जो भूमि जोतते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां तक सिद्धान्त का ताल्लुक है, यह सब क्लाज (२) कभी नहीं रखा जाना चाहिये। जो संशोधन श्री नाथूरामजी ने रखा है उससे भी मेरा इत्तफाक नहीं है।

"Notwithstanding any custom or contract to the contrary, no payment, by whatever name called or known, shall in addition to the rent of the holding, or any other charge approved by the State Government, shall, be levied on or recovered from a tenant."

तो यहां ये शब्द रखे हैं "or any other charge approved by the State Government."

इनसे मैं मतभेद रखता हूँ क्योंकि सिद्धान्ततः पहले मैंने बताया कि काश्तकारों से सिवाय लगान के भूमि जोतने के अलावा कोई टैक्स वसूल नहीं किया जावे। अगर इसके अलावा और कोई किसी प्रकार का चार्ज लगाते हैं तो वह एक प्रकार का टैक्स उन लोगों पर है। किसानों पर किसी प्रकार का टैक्स लगाने का अधिकार सरकार को नहीं दिया गया है, यह विधान सभा को अधिकार है। विधान सभा के अधिकार को किसी भी तरह से तोड़-मरोड़ कर सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है वह सरकार के हाथ में नहीं देना चाहिये। इसलिये ऐसी सूरत में मैं चाहता हूँ कि सब क्लाज़ (२) निकाल दिया जाना चाहिये। जब तक सब क्लाज़ (२) रहेगा, यह टैक्स का अधिकार सरकार के हाथ में रहेगा।

अब रहा सवाल टैक्स का। मैं यह निवेदन करूंगा कि भारतवर्ष में आज सब जगह यह बात अनुभव की जा रही है कि काश्तकारों पर लगान के अलावा किसी तरह का टैक्स नहीं लगाया जावे और हमारे यहां राजस्थान में भी कई रियासतों में काश्तकारों पर कोई टैक्स सिवाय लगान के नहीं था। बहुत से इलाके ऐसे थे जहां किसी तरह का टैक्स नहीं था। कोटा स्टेट में रामगंज बहुत बड़ी मंडी है, वहां पर पहले कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, अब लिया जाने लगा है, लोग पहले टैक्स देने के आदी नहीं थे इसलिये उन्हें यह टैक्स देना बहुत तकलीफदे मालूम होता है। इसके अलावा उनकी टैक्स देने की शक्ति भी नहीं है। वे यह अनुभव करते हैं कि स्वराज्य में यह ऐसा टैक्स का बोझा क्यों प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। उन लोगों से टैक्स बढ़ाना चाहिये जो व्यवसायी हों। काश्तकारों से सिवाय लैंड रेवेन्यू के कोई दूसरा टैक्स वसूल नहीं करना चाहिये।

अगर आपको टैक्स लगाना हो तो टैक्स के नाम पर उसको लगाइयेगा, किन्तु इस तरह से रेंट के अलावा पेमेंट लेने का अधिकार सरकार को नहीं मिलना चाहिये। आपने

[श्री वेदपाल त्यागी]

एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पहले ही लगा दिया है। जिन लोगों की आमदनी अधिक है वे एग्रीकल्चर इनकमटैक्स भी दे सकते हैं, लेकिन जिनकी आमदनी अधिक नहीं है उनसे इस प्रकार का अधिकार लेकर पेमेन्ट के नाम से कोई चीज़ लेना ठीक नहीं होगा और न न्यायसंगत ही, तो ऐसी सूरत में मैं निवेदन करूंगा कि सदन इस क्लॉज़ को गौर से देखे, और गौर से देखने के बाद सब क्लांज़ (२) जो कि सरकार को इन्डाइरेक्ट वे में, इन्डाइरेक्ट तरीके पर, पेमेंट लेने का अधिकार देता है उसको डिलीट कर दिया जाय।

रावल श्री शम्भू सिंह—माननीय चेयरमेन महोदय, क्लॉज़ दो पर जो एमेन्डमेंट रखा गया है उसके विरोध में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। माननीय चेयरमेन महोदय, अब तक यह दावा किया जाता था कि टिनेन्सी बिल काश्तकारों के हित के वास्ते पास किया जा रहा है, परन्तु जब हमने यह अमेंडमेंट देखा और खास कर उस पक्ष के एक सदस्य के द्वारा पेश होते हुए देखा तो हमने उससे बड़ा खतरा महसूस किया। राजस्थान के काश्तकार लगान के बोझ से पहले से काफी दबे हुए हैं और इसके अलावा इस अमेंडमेंट द्वारा हम सरकार के हाथ में ऐसे पावर्स देना चाहते हैं, जिन अधिकारों के द्वारा सरकार मनमाने तरीके से जितना लैन्ड होल्डर्स, जिनके पजेशन में जमीन है, रेंट दे रहे हैं, उससे एडीशन में चार्ज सरकार लगा सकेगी। तो यह बहुत बड़ा काश्तकारों के हक में अन्याय होगा। जब हम इसकी शब्दावली को देखते हैं तो पाते हैं कि "In addition to the rent of the holding, or any other charge approved by the State Government......" तो स्टेट गवर्नमेंट जो कि एक एक्ज़ीक्युटिव बोडी है उसके हाथ में उस होल्डिंग के रेन्ट के अलावा चाहे जितना चार्ज लगाने का और उसको एप्रूव करने का अधिकार दे देना, एक ऐसा खतरा है जिसकी हद नहीं हो सकती।

माननीय चेयरमेन महोदय, टैक्सेशन का सीधा सम्बन्ध लेजिस्लेचर से है। अगर इस प्रकार के अधिकार विधान सभा द्वारा सरकार को दे दिये जावेंगे तो, जब कि पहले ही काश्तकारों की रीढ़ की हड्डी टैक्स के बोझ से दबी हुई है उससे ज्यादा सरकार द्वारा जब इस प्रकार के अधिकार मिल जाने पर टैक्स लगाये जावेंगे तो फिर हमारे हाथ से इस प्रकार के अधिकार देने का मतलब हुआ कि काश्तकारों के ऊपर चाहे जितने बोझ डाल कर उनकी रीढ़ की हड्डी को बिलकुल ही तोड़ दें अथवा माननीय चेयरमेन, जो सुधारवादी लोग जिस वक्त यह कहा करते थे कि सामन्तशाही जमाने में लाग बाग और टैक्स से किसान ज्यादा दबे हुए हैं और हम उनको टैक्सेज़ से मुक्त करना चाहते हैं, किन्तु आज हम उन्हीं के द्वारा लाये गये इस अमेंडमेंट को देखकर आश्चर्य से चकित हो गये हैं। ऐसे सुधार करने वाले और काश्तकारों के हमदर्द बनने वाले व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार के विस्तृत अधिकार सरकार के हाथ में दिये जाने की जो व्यवस्था की जा रही है, वह कदापि उचित नहीं कही जा सकती। अतः, माननीय चेयरमेन, मैं आपके द्वारा सदन से अनुरोध करता हूँ कि इस प्रकार का विस्तृत अधिकार देने वाला अमेंडमेंट कदापि स्वीकार नहीं होना चाहिये।

श्री श्रीदास गोयल—जो एमेंडमेंट माननीय श्री मिर्धाजी ने प्रस्तुत किया है, उसके सिलसिले में विरोधी पक्ष से यह कहा गया कि किसानों के हित चाहने वाले और हमदर्द......

श्री जवानसिंह—माननीय सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं।

श्री श्रीदास गोयल—सुन लीजिये आपको मालूम हो जायगा।

कु० श्री जसवन्त सिंह—जल्दी ही हो जाय तो अच्छा है।

श्री श्रीदास गोयल—थोड़ी देर से सही।

(हंसी)

तो विरोध करते हुए और किसानों के सम्बन्ध में लम्बे चौड़े हितों का जिक्र करते हुए यह फरमाया कि वे जो लोग उनका उत्थान सोचते हैं, हित सोचते हैं, लम्बे लम्बे कानून बनाते हैं, और इस प्रकार की गुंजायश अगर इस क्लॉज़ में रखेंगे तो बड़ा आघात पहुंचेगा। माननीय चेयरमेन, किसी कानून को बनाते वक्त उसकी व्यवहारिकता को नहीं भूलना चाहिये और साथ ही यह भी नहीं भूलना है कि सरकार कानून बनाती जरूर है, वह जनप्रतिनिधित्व कर रही है, उसके लिये दो राय नहीं हो सकती, और अधिक से अधिक किसानों का उसमें हित है। टिनेन्सी बिल उनके लिये पास हो रहा है, जागीर रिजम्प्शन एक्ट हम पास कर चुके हैं, और वह एक्जीक्यूट भी होने जा रहा है; तो यह सब दलीलें दी जा सकती हैं कि वास्तव में किसानों का, जमीन से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों का हित हो रहा है। यह कहा गया है कि यह साधारण है, और इसको रेन्ट तक ही सीमित रखा जाना चाहिये। तो मैं निवेदन करूं कि नाल-बंट का क्या होगा? आगे हमने नाल-बंट वसूल करने के लिये क्लॉज़ रखा है। अगर इसको रेन्ट तक ही सीमित रख दिया जाता है तो नाल बंट वसूल करने का अधिकार नहीं होगा। नतीजा यह भी होगा कि कोई किसान अपने पड़ोसी को कुए से पानी देना बन्द कर देगा तो उसकी खेती बरबाद हो जायगी और काफी दिक्कतें पेश आवेंगी। तो इसका विरोध करने के पहले यदि व्यवहारिकता को ओर देखा जाय तो वस्तु स्थिति का ज्ञान हो जायगा।

दूसरा सवाल आता है सेस चार्ज करने का। मैं निवेदन करूं कि सेस लगाने के समय इस सम्बन्ध में सेटलमेन्ट के वक्त कंसीडर किया गया था और उसी वजह से रेन्ट्स भी कायम किये थे। जिस तरह से पटवार फन्ड, मलवा फन्ड; ये सेसेज़ हैं किन्तु ये सेसेज़ से अलग-अलग होते हैं। अगर इस क्लाज़ में इस प्रकार की गुन्जायश नहीं रखी जाती है तो जो लाखों रुपया इस प्रकार से वसूल हो रहा है जिनको सेटलमेन्ट के वक्त कन्सीडर कर लिया गया था और इस तरह से अधूरा क्लाज़ बनाकर छोड़ दिया गया तो जो मलवा फन्ड और पटवार फन्ड से रुपया वसूल हो रहा है वह नहीं होगा। सरकार का कार्य सूर्य की तरह चलता है। जिस प्रकार सूर्य समुद्र से पानी खींच कर पृथ्वी पर देता है उसी प्रकार सरकार भी टैक्स वसूल कर कार्य चलाती है।

[श्री श्रीदास गोयल]

(सरकारी पक्ष द्वारा करतल ध्वनि एवं विरोधी पक्ष द्वारा हियर, हियर)

ऐसी स्थिति में इस प्रकार विरोध किया जाय, तो मैं उचित नहीं समझता। मैं ऐसी परिस्थिति में निवेदन करूंगा कि माननीय श्री मिर्धाजी ने जो एमेन्डमेन्ट रखा है वह वस्तु-स्थिति से व्यवहारिक है और उसका रखना जरूरी है।

श्री **चांदमल मेहता**—माननीय चेयरमेन, माननीय श्री मिर्धाजी ने जो अमेंडमेंट रखा है उसका विरोध करने के लिए मैं खड़ा हो रहा हूं।

(विरोधी पक्ष द्वारा हियर, हियर)

चेयरमेन महोदय, राजस्थान के निर्माण के पहले ज्योंही सर्व प्रथम राजस्थान का एकीकरण हुआ और जिसे भूतपूर्व राजस्थान कहा गया, उसने सबसे पहले अगर कोई कार्य किया तो यह किया था कि लाग दस्तूर एकदम बन्द किये जांय। लाग दस्तूर के सिलसिले में पटवार फन्ड और मलवा फन्ड को आप जिस तरह से महत्व देते हैं वह तो राजस्थान की उस भूतपूर्व सरकार ने ही समाप्त कर दिया था और यह निर्णय किया कि लगान के अलावा कोई इस प्रकार की लाग वसूल नहीं होगी। अगर हमने यह एमेंडमेंट स्वीकार किया तो हम समझेंगे कि हम सरकार के हाथ में लाग-दस्तूर वसूल करने का अधिकार देते हैं। पटवार फन्ड और मलवा फन्ड आदि लाग-दस्तूर की बीमारी जयपुर स्टेट में हो सकती है, जहां वे उसको पसन्द करते हों, किन्तु भूतपूर्व राजस्थान ने जब किशनगढ़ सब डिविजन की तहसील अराई और रूपनगढ़ में सेटलमेंट किया तो मलवा फन्ड और पटवार फन्ड नाम की कोई लाग नहीं रखी किन्तु जब वृहत्-राजस्थान निर्माण के बाद किशनगढ़ और रूपनगढ़ तहसीलों में सेटलमेंट किया गया तो इस प्रकार की लाग पटवार फन्ड और मलवा फन्ड लगा दी गई। चूंकि वे लाग-दस्तूर जयपुर स्टेट के वक्त में लगी थीं, हो सकता है कि यह उनको पसन्द हो, किन्तु जो भूतपूर्व राजस्थान सरकार ने कई वर्षों पहले इस प्रकार की लाग-दस्तूर वसूल नहीं की और न ही लगाई उनको फिर से कायम रखना, यह शोभा की बात सरकार के लिए नहीं हो सकती।

सैस के बारे में मेरे माननीय साथी ने कहा, लेकिन सैस का इससे सम्बन्ध नहीं है; डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कानून है और उसमें उसकी व्यवस्था है, यह मैं निवेदन करूं; उसके अन्तर्गत वसूल हो सकता है।

इसलिए मैं माननीय मिर्धा साहब से निवेदन करूंगा कि वे अपने अमेंडमेंट पर फिर से सोचें और इस प्रकार का एमेंडमेंट लाने की कोशिश न करें जिससे कि जिन हिस्सों से लाग-दस्तूर नहीं थी उनको भी लाग देने को बाध्य होना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६):——माननीय चेयरमेन महोदय, जो क्लाज़ २१ के सम्बन्ध में विचार सदन में चल रहा है वह क्लाज़ स्वयंमेव ही इतना खूबसूरत बना हुआ है, लेकिन इसकी खूबसूरती को देखा जाय तो इसमें सिवाय इसके ड्राफ्टिंग की खूबसूरती के भावों में किसी प्रकार की भी खूबसूरती नहीं रखी गई है।

मिर्धाजी ने जो संशोधन पेश किया है, मैं समझता हूँ, उसमें सिर्फ शब्दों की ही खूबसूरती है जब हम उसके अन्दर निहित विचारों के ऊपर विचार करें तो उसमें केवल शाब्दिक सुन्दरता ही बढ़ी है; भावार्थ में तो उसमें प्रतिक्रियावादी कदम है। यही भाव भाषा से प्रतीत होते हैं।

आज से नहीं जब से इस देश में स्वतन्त्रता का आन्दोलन चला था उस समय से लेकर आज तक खास तौर से जनरल इलेक्शन के समय बड़े-बड़े नेताओं ने, ऐसे नेताओं ने जो सत्तारूढ़ दल में हैं और जो भाषण दिया करते थे, उनसे अनेक बार सुना है कि अगर इस देश के काश्तकारों की आर्थिक स्थिति ठीक करनी है तो जो कर काश्तकारों से जागीरदार वसूल करते हैं वे बन्द किये जायं। यह कार्य इलेक्शन के पहले पहले तो किया भी गया लेकिन बाद में परिस्थिति ऐसी आई कि इलेक्शन के बाद, बदकिस्मती से समझ लीजिये या उन लोगों की खुशकिस्मती से समझलें, शासन की बागडोर उनके हाथ में आई तो उनको दूसरे ही अनुभव होने लगे और अब यह कहा जा रहा है कि हमने किसानों को राहत पहुँचाने के लिए फलां फलां भूमि सुधार किये हैं; जागीरों का पुर्नग्रहण किया है इसके अलावा कुछ नहीं, हमने इन्टरमिडियरीज़ को खत्म किया है और काश्तकारों और सरकार के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित किया है।

अब इस सम्बन्ध में सोचना यह है कि कितना काम किया है, और कितना काम करना शेष है। अगर हम कार्य सम्पूर्ण कर चुके, तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि सम्पूर्ण हुए कामों में किस प्रकार टैक्स लगा सकते हैं। लेकिन इस सदन के बराबर इस तरफ बैठने वालों ने ही नहीं बल्कि कांग्रेस की तरफ बैठने वाले कई माननीय सदस्यों ने यहां तक कहा है अपने भाषणों में, मैं किसी का स्पेसिफिक नाम लेना नहीं चाहता, कि हमारे राजस्थान के किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इस स्थिति को ठीक करना है। कहने को तो वे यह कह जाते हैं, किन्तु जब कानून बनता है एग्रीकल्चर इन्कमटेक्स, इर्रिगेशन चार्जेज़, पंचायत टेक्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सेस लगाने की योजना सामने आती है तब वे इस विचारधारा को सदन से बाहर छोड़ चले आते हैं। मैं समझता हूँ कि वे सारी की सारी चीजें महज इस दृष्टि से सामने रखते हैं कि आगामी चुनाव उनको लड़ने हैं और दुनियां को जाकर यह भी कहना है कि हमने इतने सुधार किये, किन्तु उनमें सुधार के नाम की कोई चीज नहीं। टैक्स इम्पोज़ करते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि टैक्स यह आने वाला था किन्तु हमने इसको विदड्रा कर लिया है, हम इतने उदार हैं व काश्तकारों की सुख सुविधा हमारे ध्यान में है। वे इन सारी चीजों को दुनियां के हृदय पर अंकित करना चाहते हैं। दुनियां के सामने यह भी लाना चाहते हैं कि हमने ऐसा बिल पेश किया है जिसमें किसी प्रकार टेक्स इम्पोज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए

[श्री भैंरूसिंह]

नहीं कर रहे हैं कि हमारे यहां के काश्तकारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। मैं यह मानता हूँ कि कांग्रेस के मेनिफेस्टों में जितनी भी चीजें लेन्ड रिफोर्म्स के बारे में थीं उनमें से सिवाय एक के सब चीजें पूरी कर दीं। हो सकता है कि वे नाम मात्र से ही पूरी कर दी हों, लेकिन उनके साथ साथ उन्होंने एक दूसरा तरीका और जोड़ दिया है और वह टेक्सेशन का। आज आप किसानों को देखिये जिन पर केवल रेन्ट देने का बोझ नहीं है, अपितु उन पर नाना प्रकार के टैक्स लगा दिये गये हैं। अगर आप इस धारा के सब सेक्शन (१) को उठाकर देखेंगे तो उसमें लिखा है कि 'नो सेस केन बी इम्पोज्ड'। कितनी सरकार उदार है, जो सेस भी लेना नहीं चाहती! इसमें यह है कि 'नो सेस केन बी इम्पोज्ड' इतना ही पढ़कर आगे न पढ़ें। अगर आगे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर कोई डिस्प्यूट हो तो उसमें सरकार आरबीट्रेटर होगी और वही फैसला करेगी; इसमें रेन्ट लेना है या और कुछ। इस तरह से सरकार एक तरफ तो आरबीट्रेटर बनकर इस बात का फैसला करेगी और दूसरी ओर वह काश्तकारों को कहती है कि हम इतने उदार हैं कि काश्तकारों को राहत पहुंचाना चाहते हैं और उनको टैक्सों से मुक्त करना चाहते हैं। लेकिन जो आगे जाकर टैक्स प्रेसक्राइब किये हैं इस कानून में वे खुले रूप में किसानों के ऊपर लगाये जा सकते हैं। इस प्रकार जितने भी टैक्सेज़ हैं वे सेस के रूप में या अन्य किसी भी रूप में लागू किये जा सकते हैं। इस प्रकार प्रेसक्राइब्ड सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। अब यह सोचना है कि सरकार सेस लगा सकती है। एग्रीकल्चर इनकमटैक्स लगाया जा सकता है, मलबा या पटवार फंड लगाया जा सकता है। सरकार राय दे सकती है कि काश्तकारों में अमुक अमुक टैक्स कितना बाकी है। सरकार इस तरह से अपने पास एक हथियार रखना चाहती है ताकि काश्तकारों पर टैक्स किसी भी रूप में परिणत कर सकती है। यह एक प्रकार से काश्तकारों के गले के ऊपर छुरा डालने जैसी बात है कि जिसका मुठिया रहेगा सरकार के हाथ में। ताकि काश्तकारों को हमेशा यह भय बना रहे कि सरकार जब चाहे उस मुठिये से काश्तकारों पर वार कर सकती है। अगर आप वास्तव में भूमि सुधार या काश्तकारों को राहत पहुंचाना चाहते हैं तो हर प्रकार के अधिकार अपने पास रखें, यह सरकार के लिये शोभा की चीज नहीं हो सकती है। इस प्रकार की चीजों से काश्तकारों में ऐसा वातावरण हो जाय, जिस वातावरण से, हो सकता है, हमारे मित्र जो आज सरकार चला रहे हैं उनको कहीं दूसरा रास्ता पकड़ना न पड़े। जिस तरह से मलबा और पटवार फंड आप वसूल करते रहें तो इससे काफी फन्ड इकट्ठा होता है। यह बातें इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में कही हैं कि जागीरदार जो मलबा और पटवार लेते हैं अब वही चीजें सरकार लेना चाहती है। यह कहां का न्याय है? जिस तरह से आपने जागीरदारों को खत्म किया, जागीरी प्रथा खत्म कर दी, क्योंकि आप सोचते थे कि इसमें बुराइयां हैं, इसलिये यह खत्म कर दी, तो फिर उसी चीज को आपके द्वारा लागू करना और उसकी आमदनी सरकार द्वारा लेना कतई शोभा की बात नहीं है। आप इस तरह से किसानों के साथ उदारता के स्थान पर जबरदस्ती कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि यह असेम्बली आपको इस प्रकार के अधिकार दे दे, हमारा डाइरेक्शन यह हो कि आप कौनसी सेस रेन्ट के रूप

[श्रीभैरूसिंह]

में की जा सकती है कौनसी नहीं की जा सकती, मलवा और पटवार फन्ड वसूल कर सकते हैं या नहीं ?

जब समेरी सेटलमेन्ट होने वाला था उस वक्त यह कहा गया था कि जितना भी समेरी सेटलमेन्ट में खर्चा पड़ेगा वह जागीरदारों से वसूल करेंगे। जागीरदारों ने सोचा, चलो कोई बात नहीं इस सेटलमेंट से भविष्य में उनको फायदा होने वाला है; अतः उन्होंने वह मन्जूर कर लिया। अब जो पटवार फन्ड या मलवा आप वसूल करना चाहते हैं वह किससे वसूल होगा ? वह होगा, काश्तकार से। दोनों आपसी सम्बन्धित हैं और वसूल दोनों ही से होने वाले हैं। पटवारी के जरिये लगान वसूल करना मलवा या पटवार फन्ड लेना पड़ेगा चाहे वह लगान ले या नहीं। आर्थिक स्थिति इससे भी सरकार की सुधरने वाली नहीं है, लगान देने के बाद भी उसको दुनियां भर के मलवा और पटवार फन्ड आदि टैक्स देने पड़ेंगे।

इन सारे करों का बोझ किसानों पर पड़ेगा। आपका कहना है कि हमें पटवारियों आदि को तनख्वाह देनी पड़ेगी; यह सब हम मलवा फंड के जरिये मीट आउट करेंगे। यह एक प्रकार से काश्तकारों पर अतिरिक्त बोझा होगा। इस बोझे से काश्तकारों को किसी प्रकार का फायदा होने वाला नहीं है।

पं० जवाहरलाल नेहरू ने झांसी कांग्रेस अधिवेशन में यह घोषणा की थी कि हमें जिन किसानों के पास छोटी-छोटी होल्डिंग्ज़ हैं इकोनोमिक होल्डिंग नहीं हैं उनको हमें करों से मुक्त करना है। लेकिन यहां इन करों से मुक्त करने का सवाल नहीं, करों के अलावा भी दूसरे कर लगा रहे हैं। दूसरी तरफ अब आप अमेरिका के काश्तकारों को देखिये वहां न एग्रीकलचर इनकमटेक्स है और न किसी प्रकार का कर ही देना पड़ता है। लगान न देने की सूरत में भी अमेरिका का पैसा दूसरों देशों को जाता है जिससे वे देश अपनी उन्नति करते हैं। जहां एग्रीकलचर इनकमटेक्स जैसी चीज नहीं है फिर भी वहां के काश्तकार संपन्न क्यों है, इसका एक मात्र कारण है वहां के शासकों की कार्य कुशलता। आज उन्होंने अपनी कार्यकुशलता से अपने देश को इतना आगे बढ़ा दिया है कि आज उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसके मुकाबले आज हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमारे यहां इतने प्रकार के टेक्सेज़ होते हुए भी हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं ? यदि हम इस बात को सोचते हैं तो हमें सिर्फ यही दिखाई देता है कि हम ईमानदारी से और परिश्रम से काम लेना नहीं चाहते। हमें चाहिये कि इस प्रकार के टैक्स लगाने के बजाय हमें फिजूलखर्ची बन्द करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारे किसानों की क्या हालत है, और उसी हालत के अनुसार उन पर टेक्स लगाना चाहिये ? आज राजस्थान के काश्तकार भारतवर्ष के अन्य प्रान्तों से बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत गरीब हैं, वे इस लायक नहीं हैं कि एग्रीकलचर रेन्ट अलावा और दूसरे किसी प्रकार के टेक्स देते रहें। तो चाहिये तो यह कि इस

[श्री भैंरूसिंह]

क्लॉज़ को बिल्कुल डिलीट कर दिया जाय। जो माननीय मिर्धाजी ने संशोधन पेश किया है उसमें शाब्दिक हेर-फेर है।

मेरा संशोधन है कि इस क्लॉज़ को बिल्कुल डिलीट कर दिया जावे और अगर इसको डिलीट नहीं किया जाता है और नाम ही रक्खा जाता है तो सेकंड सब सेक्शन तो बिलकुल नहीं रहना चाहिये। इससे यह स्पष्ट हो जावेगा कि गवर्नमेंट रेन्ट के अलावा और कोई टैक्स नहीं लगा सकेगी काश्तकार पर। अगर ऐसा आप करेंगे तो हर किसान आपको आशीर्वाद देगा फलने फूलने का और अगर ऐसा नहीं करेंगे और उन पर टैक्स पर टैक्स बढ़ाते ही जावेंगे तो उनका वह आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होगा। आज जिस स्थान पर आप लोग बैठे हैं उसके लिए यह भी सम्भावना हो सकती है कि आपको उन स्थानों को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर बैठना पड़े। तो ऐसी स्थिति में मेरी माननीय मन्त्री महोदय से और खास कर सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना है कि इस क्लॉज़ को अगर स्वीकार करना है तो पहले भाग को आप स्वीकार कर लें, दूसरे भाग को डिलीट कर दें। इससे इस सदन का भी एक ऐसा उदाहरण बन जावेगा कि लोग और खास कर किसान यह समझेंगे कि वास्तव में सदन ने आज उनके लिए भलाई का कार्य किया है उन्होंने जिस वक्त काश्तकारों की भलाई के, उनके हित के, सवाल आये हैं उस वक्त सदन के इन लोगों ने मिलकर काश्तकारों से और कोई टैक्स नहीं लिया जावेगा ऐसा निश्चय किया है।

खास तौर से मैं सवाई माधोपुर से आये अपने मित्रों से कहूंगा कि वे दो तरह की बातें न करें। सवाई माधोपुर में वहां कान्फरेंस में आप एक तरफ तो उन किसानों को यह आश्वासन देते हैं अपने लम्बे-चौड़े भाषणों द्वारा कि हम तुम्हारे हित की बातें करने वाले हैं, तुम्हारे पर कोई लाग-बाग न रहे, टैक्स न रहे, ऐसा हम प्रयत्न करेंगे। तो या तो आप इस तरह की बातें न करें, और अगर करते हैं तो यहां आकर चुप रहें। इस तरह के कानून बनाने में मदद न करें।

काश्तकारों पर बहुत बोझा है और यह समझकर हम बीच की चीज को खत्म करने जा रहे हैं और यह तय कर रहे हैं कि आयन्दा किसान पर और कोई टैक्स और लाग बाग नहीं रहेगी और फिर लगाये जा रहे हैं, दुनिया भर के टैक्स। तो ऐसी चीजें आप न करें, इसी में सुन्दरता है। नहीं तो फिर किसान सम्मेलन हुआ तो आफत हो जावेगी और काश्तकारों द्वारा पूरी आफत हो ही जावेगी।

तो मेरा कहना यह है कि अगर सारे क्लॉज़ को आप डिलीट कर दें तो सबसे सुन्दर; नहीं तो सैकन्ड सब-सेक्शन को बिल्कुल न रक्खें। यही मेरा निवेदन करना है।

श्री सभापति—श्री विश्वम्भरनाथ जोशी।

Page No.33

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी—सभापति महोदय, इस संशोधन पर तो मैं भी अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

मुझे अफसोस है कि विरोधी पक्ष के अधिकांश सदस्य एक चार्ज में जो कि डवलेपमेंट के लिए, खेती के विकास के लिये और खाद्य समस्या के हल करने के लिये लिया जाता है, उसमें और लाग-बाग में कोई फर्क नहीं देखते हैं।

(हंसी)

कहा गया है कि इस संशोधन के जरिये लाग-बाग लगा रहे हैं, किसानों पर टैक्स लगा रहे हैं, और न जाने क्या क्या लगा रहे हैं? लाग-बाग वास्तव में एक बहुत ही निन्दनीय बात थी जिसका आधार किसी कानून पर नहीं था। बल्कि एक कस्टम था, बिना किसी कानूनी सेंक्शन के सिर्फ कस्टम के तौर पर यह लाग-बाग ली जाती थी जागीरदारी जमाने में।

श्री चांदमल मेहता—अब कानूनन लाग लगाई जावे, इसको आप ठीक मानते हैं क्या?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—मैं बोल रहा हूँ। Have patience.

श्री वेदपाल त्यागी—He (Shri Chandmal Mehta) wants clarification

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—एक बात कही जाती है कि हम ऐसे अधिकार सरकार को नहीं दे सकते। इस पर मुझे थोड़ा सा अफसोस यह होता है कि एक ऐसी सरकार जो वैधानिक तौर पर जनता का प्रतिनिधित्व करती है उसे यह अधिकार प्राप्त है; इसके बारे में उनको कोई एतराज करने का हक हासिल नहीं है। अब यह कहना है कि सरकार को यह अधिकार नहीं देना चाहिये तो यह सरकार वह सरकार है जिसको इस राजस्थान की एक करोड़ और ६२ लाख जनता के प्रतिनिधियों ने बनाया है। (विरोधी पक्ष की ओर से हीयर हीयर की आवाज) और ये अधिकार जो दिये जा रहे हैं वे ऐसी ही सरकार को दिये जा रहे हैं। किसी सरकारी अधिकारी या अफसर को नहीं दिये जा रहे हैं कि जो टैक्स लगाकर वसूल करना शुरु कर देंगे।

यह अधिकार मिल रहा है प्रजातन्त्री सरकार को, जनता की चुनी हुई सरकार को। (विरोधी पक्ष द्वारा हीयर हीयर) आप जनतन्त्र की अवहेलना और उपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए यह अधिकार आपको इस जनतन्त्री सरकार को देने में शंका नहीं होनी चाहिये। (विरोधी पक्ष द्वारा हीयर हीयर)

वे टैक्स जो किसानों के हक में ठीक होंगे, खेती के (एग्रीकल्चर के) बैटरमैंट के लिए ठीक होंगे, कौन कौन से होंगे इसको जांच कर हम ठीक करेंगे, और तब वे टैक्स लगाये जावेंगे और उस

[श्री विशम्भर नाथ जोशी]

टैक्स की एक एक पाई वसूल की जावेगी एप्रूव किये गये चार्जेज़ की। इसमें किसी को दखल नहीं करने दिया जावेगा। (विरोधी पक्ष द्वारा 'हियर हियर') और इस वसूल किये गये टैक्स की एक एक पाई किसानों के ही हित में खेती की बहतरी के लिये खर्च की जावेगी। इस बातका पूरा पूरा आश्वासन है यह आपको समझ लेना चाहिये।

(पुनः विरोधी पक्ष द्वारा 'हियर, हियर')

इसके अलावा निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष का तो हमेशा यह एक तरह का रवैया रहा है कि सरकार जो भी टैक्स लगाए, चाहे वह जनता के हित में ही क्यों न हो, उसका विरोध करने की उनकी आदत सी पड़ गई है। उन्होंने हर ऐसे मोके पर विरोध किया है। ऐसा एक भी अवसर मुझे याद नहीं जब कि उन्होंने सरकार की ऐसी किसी बात का समर्थन किया हो। इसके विपरीत जहां सवाल आता है कभी भी सड़कें, स्कूलें और अस्पताल आदि बनाने का, वहां वे अधिक से अधिक बढ़ाने की बातें करते हैं। औषधालय भी खोले जावें और दुनिया भर के सारे काम भी किये जावें, पर टैक्स सरकार न लगावे तो इस तरह से ऐसे मामलों में तो वे मांग पर मांग करते जाते हैं लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी भी मामले में इन कामों के लिए जब टैक्स की बात आई तो उन्होंने सरकार का समर्थन किया हो।

श्री जवानसिंह—इस टैक्स से आप स्कूलें खोलेंगे क्या ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—खेती की पैदायश बढ़ाने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए, ट्रैक्टर और खाद आदि मंगाने के लिए। फिर अभी तो टैक्स लगाया नहीं जा रहा है। (विरोधी पक्ष द्वारा हियर हियर) यह तो आपके दिमाग का बिना वजह का खतरा है। आप तो इस वहम से घबराते हैं। इस संशोधन के जरिये कोई टैक्स लगाया ही नहीं जा रहा है।

(विरोधी पक्ष द्वारा हियर हियर)

खेती के लिये वैज्ञानिक तरीके, अच्छी खाद दिये जाने की व्यवस्था आदि के बारे में सोच सकते हैं, इम्प्रूव्ड सीड्स को बात सोच सकते हैं, और भी ऐसे बहुत से काम हो सकते हैं खेती के विकास के लिये जो सरकार को करने पड़ते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारे काम सरकार कर रही है; पर अतिरिक्त मात्रा में करने की आवश्यकता हुई तो इसके लिए पैसे की भी जरूरत होती है और बिना पैसे के कोई काम होते नहीं, यह आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिये। तो यह खर्चा जिस मद में होता है उसी मद से आमदनी होनी चाहिये। सारी बातें बातों से नहीं होतीं, पैसे की जरूरत पड़ती है और इसका सरकार को कहीं न कहीं से इन्तजाम तो करना ही पड़ता है। मैं कहना चाहता हूं कि इसको अगर नहीं रखा गया तो खेती के विकास और उसकी

[श्री विशम्भरनाथ जोशी]

उन्नति के लिए जो कुछ भी आवश्यक पैसा प्राप्त करने का कानूनी दरवाजा है वह भी बन्द हो जावेगा। और खेती की प्रगति के लिए आवश्यक दरवाजा बन्द कर दें तो इसका मतलब यह है कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के सारे रास्ते, सारे दरवाजे, बन्द कर दें।

(हियर, हियर)

और फिर बाद में बार बार कानूनों में तरमीम की जावे। छोटी-छोटी बातों के लिये अलग अलग कानून असेम्बली में रोज लाए जावें और पास किये जावें और सदन का समय, सदस्यों का समय और रुपया वेस्ट किया जावे तो यह अक्लमन्दी की बात नहीं होगी। तो ऐसी आने वाली दिक्कतों को आज ही महसूस करके, आज ही कानून पास करते समय ही ऐसे प्रोविज़न रख दिये जाने चाहिये।

(विरोधी पक्ष : 'हियर हियर')

एक बात, सदन के उस ओर बैठने वाले सदस्यों में कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जो अपने आपको प्रगतिशील कहते हैं, जो हमेशा दूसरे मुल्कों, सोवियट रशिया से प्रेरणा लेते हैं; तो मैं उनको यह याद दिला देना चाहता हूं कि वे भी यह बात जान लें कि सोवियट रशिया में तो यहां तक है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आमदनी का ९० प्रतिशत से ज्यादा भाग टैक्सों के रूप में सरकार को दे देना पड़ता है; (विरोधी पक्ष : 'हियर हियर') उनकी सूचना के लिए मैं यह बताना चाहता हूं, और वे कल्पना करते हैं साम्यवादी व्यवस्था की।

श्री भैरूसिंह (वि०सं० १६)—जब आप कल्याणकारी राज्य की कल्पना लेकर चलते हैं तो वे इसकी...

श्री सभापति—(श्री हिम्मतसिंह) ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—तो नोर्मल बजट से अतिरिक्त पैसा इस खेती की उन्नति के लिए सरकार लगाना चाहती है इसके लिए अतिरिक्त पैसा चाहियेगा। अगर यह जितना नोर्मल बजट से पूरा होगा तो उससे पूरा करेगी और जो बाकी रहेगा उसके लिए कुछ टैक्स जनता पर अवश्य लगायेगी। तो सरकार के लिये यह मुमकिन होगा कि इसके लिये स्पेशल सरकम्सटेन्सेज में डेवलपमेंट के कार्यों को पूरा करने, अपने फर्ज को पूरा करने के तौर पर यह प्रोविज़न रक्खा जा रहा है और आपको ध्यान रहना चाहिये कि फिर ये टैक्सेज़ उस सरकार को दिये जा रहे हैं जो जनता की प्रतिनिधि सरकार है। जनतन्त्री सरकार हमेशा जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की होगी और जनता की जब प्रतिनिधि सरकार होगी तो हमेशा जनमत को देखते हुए ही टैक्स लगावेगी।

[श्री विशम्भरनाथ जोशी]

यही हमारे देश के महान् नेता नेहरूजी ने कहा था कि वे देश प्रगति नहीं कर सकते जो टेक्सों से घबराते हैं ।

यह माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे देश के महान् नेता पंडित नेहरू ने कहा था कि टैक्स के बिना दुनियां में प्रगति नहीं हो सकती । (विपक्षी दल की ओर से 'हियर, हियर') पंडित नेहरू का कहना है कि टैक्स लगाया जाय तो वह कई कामों के लिए होता है । उसका श्रेष्ठतम सदुपयोग होना चाहिये । सिर्फ 'टैक्स नहीं लगाओ' के नारों में नहीं पड़ना चाहिये । Running after the catch words wo'nt do. टैक्स नहीं लगाना चाहिये तो टैक्स के बगैर भी क्या कोई काम हो सकता है ? बच्चों की सी बात है, नासमझी की बात है । समझदारी रखने वाला हर व्यक्ति जानता है कि हर काम पैसे से होता है । Money makes the mare go.

(हियर, हियर)

श्री भैरूंसिंह—यही होगा साहब आपकी तरफ से ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—यही मुझे निवेदन करना था कि कानून में यह लिखा है कि सरकार अलावा लेन्ड रेवेन्यू के कोई लागबाग किसी तरह की कस्टम के बेसिस पर नहीं लगायगी और ऐसे कोई कर वसूल नहीं किये जा सकते हैं अलावा उन चार्जेज़ के जिनको कि सरकार ने एप्रूव किया है । सरकार को स्वयं एक बोनाफाइड कायदे से डिसकस करना पड़ेगा । मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूं कि वह एक वाजिब सी बात होती है । एक एक पैसा किसान के फायदे के लिये लगाया जायगा । इस आश्वासन के बाद मैं समझता हूं कि यदि विरोधी दल के सदस्य सस्ती लोकप्रियता के लिये कोशिश नहीं करते हैं, तो वह इसका विरोध नहीं करेंगे ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—औन ए प्वाइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन, सर । मेरे माननीय मित्र ने दो बातें कहीं, वे मेरी समझ में नहीं आईं; उनको क्लियर कर दें तो अच्छा होगा ।

पहली बात तो यह फरमाई कि हमारी सरकार को राजस्थान की १,६०,००,००० जनता ने चुन कर तख्तारुढ़ किया है । माननीय मित्र, श्री जोशीजी, ने यह फरमाया है कि हमारी राजस्थान सरकार को राजस्थान की १,६०,००,००० जनता ने चुनकर......

श्री कपिलदेव अग्रवाल—५८ लाख बताया था ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—(अपना पूर्व भाषण जारी रखते हुए) तख्तारूढ़ किया ! मैं यह जानना चाहूंगा कि, जैसा कि बिल्कुल सही सा है कि ५० प्रतिशत वोटर्स ने विरोधी पक्ष को वोट दिया; क्या यह मानें कि वह वोट केन्सिल करके सरकार के समझे जांय, यानि सब के सब ने सरकार को ही वोट दिया ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—वह लोग सरकार में आ गये।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए) एक तो यह है। दूसरा, मैं सेक्रेटरी जनरल आफ कांग्रेस पार्टी से यह पूछना चाहता हूं कि उस ड्राफ्ट को देखते हुए यह समझा जाय कि कांग्रेस का उद्देश्य है कि रशिया में जो टैक्सेशन की पोलिसी है वह आयन्दा से यहां पर ६० परसेन्ट कराने के लिए तैयार हैं। वह हमारी कांग्रेसी सरकार क्यों नहीं लगाये ? तो यह भी समझा जाय कि आयन्दा कांग्रेस का उद्देश्य टैक्सेशन जैसा कि रशिया में जनता पर रूस की सरकार कर रही है तो आयन्दा हमारी सरकार से यही उम्मीद रखें।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, श्री विश्वम्भरजी का भाषण इतना विस्तृत और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी (हंसी) था कि उसके बाद भी माननीय कुंवर साहब को शंका की गुंजायश रह गई !

श्रीमती यशोदा देवी—माननीय उपाध्यक्ष, यह जो संशोधन रखा है इसमें करनी और कथनी में बहुत अन्तर है। हमारी सरकार जो कहती है वह कभी नहीं करती है, और उसके आगे भी कभी भी कोई चीज़ या कोई काम क्रियान्वित नहीं होता है।

मैं आपको बताऊं कि इसमें जो टैक्स किसानों पर लगाया जायगा और जो टैक्स अभी तक रहा है उसको तो सरकार छोड़ने नहीं जा रही है; तो क्या सदन उसके करने लायक नहीं है ? वह इस वक्त ही हो जाना चाहिए। 'सेस' शब्द का क्या मतलब है? हमारी सरकार 'सेस' शब्द से उन किसानों पर कौन सा टैक्स लगाने वाली है ? मुझे इसमें भी शक है कि किसानों के पास जो कपड़ा है, यानि जो वह एक लंगोट पहने हैं वह भी इस टैक्स से छीनी जा रही है। वह नहीं बरदाश्त करेंगे इस चीज के कहने को कि सरकार टैक्स लगायेगी तो उस टैक्स से स्कूल खोलने, अस्पताल खोलने, की योजना बनाई जाती है, उनमें खर्च किया जायगा। माननीय शिक्षा मंत्रीजी और माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से यह पूछती हूं कि क्या कभी आपने अपने सारे राजस्थान का दौरा करके देखा है कि कौन से देहात में कौन से टैक्स से स्कूलें खोली गई हैं और कौन से देहात में कहां-कहां अस्पताल कायम किये गये हैं ? यह मैं मानती हूँ कि यह टैक्स क्यों लगाये जा रहे हैं ? शहरी जनता के लिए रुपये की जरूरत है, क्योंकि वह रात दिन आपके सामने रहते हैं, वहां आपको स्कूलें कायम करनी पड़ेंगी। देहात का आपको पता नहीं क्योंकि देहात के काश्तकार आपके पीछे पीछे नहीं फिरते हैं। उनको बड़े बड़े आश्वासन हमारे साथी लोग दे रहे हैं कि चुनाव आया है तो उनको टैक्स से हल्का कर लें और बड़े बड़े प्रलोभन देकर उनको आश्वासन दिया जाता है। मैं पूछती हूं कि चुनाव के बाद कौन से टैक्स से, कौन से काश्तकारों को फायदा हुआ है। माननीय अध्यक्ष, सही मायने में अगर पूछा जाय हमारी सरकार से, मैं तो कहती हूं कि गवर्नमेंट (सरकार) से, कि यह टैक्स लगाने से किसको फायदा होगा ? जब बड़ा इलेक्शन होता है तो ४०,५० और ८० हजार रुपये तक पानी की तरह बहाया जाता है, वह कहां से आता होगा।

(विपक्षी दल की ओर से हियर, हियर)

[श्रीमती यशोदादेवी]

वह इस टैक्स से आता है। प्रजातन्त्र राज्य है हमारा। जनता पूछने की हकदार है कि वह चुनाव का पैसा कहां से गवर्नमेंट खर्च कर रही है? वह क्या कोई कुआ खोदा गया है कि कुए में से पैसे निकाले जा रहे हैं? (हियर, हियर) यह टेक्स सोच सोच कर लगाये जा रहे है? मैं यह कहना चाहती हूं कि यह टैक्स क्लेक्टर और अफसरों को बड़ी बड़ी तनख्वाह देने के लिए हैं। किसान लोग इसको बरदाश्त नहीं करेंगे और नया कदम उठाना पड़ेगा।

इसके पश्चात् अगर वह वसूल किया जाता है टैक्स तो वह उसी गांव पर खर्च किया जाय और ग्राम पंचायत को वह रकम सौंप दी जाय।

श्री भोलानाथ—चेयरमेन महोदय,......

श्री सभापति—क्या आप जवाब देंगे ?

श्री भैरोंसिंह—राजस्व मंत्रीजी आ गये हैं तो वे जवाब देंगे।

श्री भोलानाथ—मैंने सुना है इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री सभापति—इस क्लाज़ को आप ही पायलोट करेंगे।

श्री भोलानाथ—माननीय चेयरमेन, बहस जो इस क्लॉज़ पर शुरु हुई है वह इस तरीके से बढ़ गई जैसे कोई पालिसी ऑफ टेक्सेशन की बहस चल रही हो। यह टिनेन्सी बिल है। टेक्सेशन की पालिसी पर कोई डिस्कशन नहीं था। अपनी मरजी का एक व्यू लेकर पंचायतों और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के बारे में कहा जा रहा है। यह कह कर श्री जवानसिंहजी ने डिबेट शुरू कर दी वह ऐसी लगी कि सारे हाउस में जो बोलने वाले सदस्य थे वे उसमें बह गये। किसी ने मेन क्लॉज़ को पढ़ने की कोशिश नहीं की और न एमेंडमेंट की क्लाज़ को पढ़ने की कोशिश की। इस क्लाज २१ का मकसद कोई टैक्स लगाना नहीं, बल्कि निगेटिव फार्म का एक क्लॉज़ है जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि जो गैरवाजिब टैक्स हैं, सरकार उनको नहीं लगाने देगी। ऐसे टेक्स को मन्जूर नहीं करेगी।

कु० श्री जसवन्तसिंह—इसके क्या मायने "any other charges approved by the State Government" समझे जांय।

श्री जवानसिंह—अभी तो पढ़ा ही कहां है।

श्री भोलानाथ—इसके मायने हैं जो वाजिब तौर पर वसूल कर रहा था उसको वसूल नहीं करेंगे। यह साफ मतलब है। आपने पढ़ने की कोशिश नहीं की। इसमें टिनेन्ट को जो लोग

[श्री भोलानाथ]

खुदकाश्त करते हैं उनको खातेदारी राइट्स मिल जायेंगे । लेकिन जो लोग मामूली टिनेन्ट्स पर टेक्स लगाकर वसूल करना चाहेंगे उनको सरकार एप्रूव नहीं करेगी । जागीरदार लोगों की यह कोशिश है कि किसानों पर ऐसे टेक्स लगावें और वसूल करें, इसको सरकार कतई पसन्द नहीं करती ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—अब जागीरदार हैं कहां ?

श्री भोलानाथ—अब भी आपकी लीज़ है, खुदकाश्त हैं, पट्टे हैं, आपके लिए और, और तरह की रियायतें मौजूद हैं । आपके लिए कम्पेन्सेशन भी वही तय किया गया है जो आप पहले वसूल करते थे । पहले जो क्लाज़ शुरू में रखी गई थी उसमें सेटलमेंट की वजह से कहा गया था कि जो कुछ सिस्टम पुराना है जिसके अनुसार लगान वगैरह वसूल किया जा रहा है उसको जायज मान लिया जाय लेकिन जो बेज़ाब्तगियें होने की संभावना है उनको रोकने के लिए यह बढ़िया क्लाज़ लाई गई, इसको मिस इन्टरप्रेट करने की कोशिश की जा रही है । जागीरदारों और कांग्रेस के बारे में कहा गया । श्री चांदमलजी मेहता को भी उकसा कर जोश दिलाने की कोशिश की गई ।

श्री चांदमल मेहता—फॉरमर राजस्थान के किसान पटवार और मलबा लाग से मुक्त थे, वे यदि अब भी मुक्त रहेंगे तो मुझे अपना विरोध वापिस लेने में आपत्ति नहीं है ।

श्री भैरूसिंह (वि० सं० १६)—यह केबिनेट में तय होगा ।

श्री भोलानाथ—इस क्लाज़ से कोई पटवार और मलबा सेस नहीं लग रही है और न इस तरह के अधिकार ही हैं । सरकार टैक्स लगाना चाहती है या नहीं, यह सवाल नहीं है । सवाल यह है कि गैरकानूनी कार्यवाही कहीं भी नहीं चलने दी जायंगीं ।

श्री चांदमल मेहता—सरकार ने इसे वाजिब मान लिया तो यह चलती रहेंगीं ।

श्री भोलानाथ—यह बात ठीक है । जिसको वाजिब माना है वह चलती रहेगी लेकिन जो वाजिब नहीं है उसे नहीं रहने दिया जायगा । जागीरदारों को खुदकाश्त के अधिकार दिये गये हैं और पुराने काश्तकारों को खातेदारी राइट्स दिये गये हैं । इस टिनेन्सी कानून से काश्तकारों को अच्छे अधिकार प्राप्त हुए हैं । इसके अनुसार जो सब टिनेन्ट्स रखे गये हैं उनको जुल्म से बचाने की कोशिश की गई है कि उनसे कोई गैरवाजिब टैक्स वसूल नहीं किया जा सकेगा । इससे बढ़िया कोई दूसरा क्लाज़ इस कानून में हैं नहीं......

कुं० श्री जसवन्तसिंह—जरूर इससे बढ़कर कोई दूसरा क्लाज़ नहीं होगा ।

Page No.40

श्री भोलानाथ—(भाषण जारी रखते हुए) इसके अनुसार गैरवाजिब लाग लेना रोका जायगा। सरकार के नोटिस में ऐसी बात लाई गई तो जुल्म करने वाले के खिलाफ कार्यवाही की जायगी। अभी हमारे मित्र विश्वम्भरनाथ जी ने कई बातें दूसरी जगह से लाकर जोश में आकर कह दीं। श्री भैरूसिंह जी ने अमेरिका का डेस्क्रिपशन रखा तो उन्होंने सोचा कि दूसरा तरीका रूस का है इसलिए रूस की बात कह दी। इसमें न तो रूस का सवाल था और न अमेरिका का सवाल था। हमारी बहिन ने तो यह कहना शुरू कर दिया कि स्कूलों और अस्पतालों के लिए भी रुपये इसी से वसूल होने वाले हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मिर्धाजी ने इसका जो हेडिंग दिया है वह भी अच्छा हेडिंग है। पहले जहां सेस का मतलब था वहां उन्होंने 'प्रोहिबिशन' रख दिया है, चेक रख दिया है। यह एक निगेटिव क्लाज़ है अफरमेटिव में रखा जा सकता है। लेकिन हेडिंग अच्छा रख दिया है, ऐसी हालत में किसी का यह कहना कि सरकार इस तरह की बात सोचती है; ठीक नहीं है। यह एमेन्डमेन्ट अच्छा एमेंडमेन्ट है, मैं इसे मंजूर करता हूँ।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह)—क्लाज़ २१ में श्री नाथूरामजी ने एमेन्डमेन्ट रखा है जिसके द्वारा ओरिजिनल क्लॉज़ को सब्सटीट्यूट किया है और मन्त्री महोदय इसको मंजूर करते हैं। क्या सदन की राय है कि श्री नाथूरामजी का संशोधन, नया क्लॉज़ सब्सटीट्यूट करने का स्वीकार किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

Ayes have it

विरोधी पक्ष—Noes have it, Sir.

एक माननीय सदस्य—एक बार और पूछ लिया जाय।

श्री सभापति—I call it once more-

प्रश्न यह है कि श्री नाथूरामजी मिर्धा के एमेन्डमेन्ट को स्वीकार किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

Ayes have it.

विरोधी पक्ष—Noes have it, Sir.

श्री सभापति—क्या आप डिवीजन चाहते हैं ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—जी हां, काश्तकार भी यह जान तो लें कि हमारी सरकार उनके लिए क्या कर रही है।

(विभाजन की घंटी के पश्चात्)

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि श्री नाथूरामजी मिर्धा का क्लॉज़ नं० २१ पर जो संशोधन है वह स्वीकार किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

Ayes have it

विरोधी पक्ष—Noes have it, Sir.

श्री सभापति—क्या प्रोपर डिवीजन चाहते हैं ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—जी हां।

श्री सभापति—हां पक्ष वाले 'हां' की लोबी में जावें और 'ना' पक्ष वाले 'ना' की लोबी में।

(विभाजन के पश्चात्)

डिवीजन का परिणाम इस प्रकार है :

हां पक्ष में—६३ वोट

ना पक्ष में—१७ वोट

हां पक्ष जीता।

एमेन्डमेंट स्वीकार किया गया।

(विभाजन सूची के लिए कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २१ एज़ सबस्टीट्यूटेड, विधेयक का अंग बने।

क्लॉज़ विधेयक में क्लॉज़ २१ के रूप में जोड़ा जावे।

(स्वीकृत)

The substituted clause is added to the Bill as clause 21.

(विराम)

[श्री सभापति]

खंड २२

क्लॉज़ २२ पर श्री नाथूराम मिर्धा अपना एमेन्डमेन्ट मूव करें।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय चेयरमेन, मैं अपना एमेन्डमेन्ट मूव करना नहीं चाहता।

श्री जवानसिंह—आखिरकार काश्तकारों को कुछ डर लगा तो सही। खुद काश्तकार हैं, डिवीजन का इफेक्ट पड़ा तो सही।

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस)—आपको संतोष होना चाहिये।

श्री सभापति—एक एमेन्डमेन्ट इस क्लॉज़ पर श्री श्रीदास गोयल का आया है। यह एक छोटा सा एमेन्डमेंट है वे उसे मूव करें।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय चेयरमेन, मेरा क्लॉज़ २२ पर एक छोटा सा एमेन्डमेंट है और वह यह है। क्लॉज़ २२ इस प्रकार है :

"Use of Materials: Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, a tenant shall have the right to remove and utilize for any work in connection with his holding or residential house, stones or other materials lying on, or within a yard of the surface of his holding, or obtained by digging during the course of making an improvement." उसमें 'ए टिनेन्ट' शब्द जहां पर आया है उसके 'ए' के बाद और 'टिनेन्ट' शब्द के पहले 'खातेदार' शब्द एड करने की इस्तदुआ मैंने की है और वह इस उसूल से की कि वहां 'टिनेन्ट' शब्द रखने से एक बहुत जबरदस्त कन्सेशन उनको दिया जा रहा है जो कि बोनाफाइड टिनेन्ट हैं। टिनेन्ट की डेफिनेशन है उसमें 'a co-tenant or a tenant of khudkasht or a sub-tenant or a mortgagee of tenancy rights." इन सब को इन्क्लूड कर दिया गया है। इसलिये अगर यह अधिकार उनको दे दिया जावेगा तो वाजिब नहीं होगा। इसलिये मैंने 'खातेदार' शब्द का प्रयोग 'ए' और 'टिनेन्ट' के बीच में करने का एमेन्डमेंट मूव किया है। मौजूदा क्लॉज़ से क्या होगा ? एक व्यक्ति ने एक साल के लिये बहैसियत सबटिनेन्ट के जमीन ली, उसने मकान बनाने की इजाजत ले ली। उसको मिल गई; उसको मालूम हुआ कि इसमें मालिक ने अन्डर ग्राउन्ड बहुत सी चीजें रखी हैं। मसलन मोटर वह उसने उटा ली और इसके अलावा पत्थर आदि जो भी जमीन के मालिक के थे सब को निकाल कर अपने मकान की इमारत के लिये ले गया ; उसको इस कानून के जरिये से ले जाने

[श्री श्रीदास गोयल]

का हक है और वह ले जावेगा। मगर दरअसल में हाउस की यह भावना नहीं है कि लेन्ड-होल्डर का सामान वह टिनेन्ट निकाल कर ले जाये। हमने मकान बनाने के लिये जो बातें रखी हैं उसमें 'खातेदार' हटाकर टिनेन्ट शब्द रखा है। वह भी एक बड़े खतरे का है। वह एक दम अपना मकान बना लेगा। इसी तरह से मोर्टगेज की बात है। वह एक साल के लिये या दो साल के लिये और ज्यादा से ज्यादा २० साल के लिये होगा। अगर इस प्रकार का कन्सेशन हम इनडिस्क्रीमीनेटरी देना शुरु कर देंगे और दिया तो गलत होगा, और बड़ी मुसीबत में हमें डाल देगा, आम तौर से उन लोगों को जिनका होल्डिंग है और जिनका इसमें इन्ट्रेस्ट है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह 'खातेदारी' शब्द जोड़ दिया जावे। गवर्नमैन्ट यह कन्सेशन एक आदमी को उसकी जमीन का फायदा पहुँचाने के मकसद से दे रही है। इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिये। इसलिये मैंने यह 'खातेदारी' शब्द रखा है। मुझे विश्वास है कि हाउस इसे पास करेगा।

श्री चांदमल मेहता—माननीय चेयरमेन, अभी जो श्रीदासजी गोयल ने जो एमेन्डमेंट रखा है उसका विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ। (विरोधी पक्ष की ओर से हंसी) जहां तक 'टिनेन्ट' के पहले और 'ए' शब्द के बाद 'खातेदार' शब्द जोड़ने का सम्बन्ध है और इसके बारे में दलीलें दी गई हैं और यह कहा गया है कि यह एक छोटा सा एमेन्डमेंट है, उन्होंने ये दलीलें सिर्फ होल्डर्स के सम्बन्ध में दी हैं, लेकिन अगर वे देखें तो 'खातेदार' शब्द लगाने के बाद वह होल्डर्स तक ही सीमित नहीं होगा लेकिन जिस जगह किसानों के मकान बनाने की इजाजत मिल गई है और जो मकान बनाना चाहते हैं मेटीरियल इकट्ठा करना चाहते हों तो उस पर भी रोक लग जाती है, और जो जमीन एक मर्तबा किसान को एलॉट की और उसके बाद में यह रेस्ट्रिक्शन लगाना कि जो मेटीरियल इसमें है या रखा है, उसका उपयोग नहीं कर सकता तो यह एक बहुत बड़ी ज्यादती होगी। मैं आशा करता हूँ कि या तो वे खुद इस एमेन्डमेंट को एमेन्ड कर देंगे। जहां तक होल्डर का सवाल है टीक है। मगर जहाँ तक मकान बनाने का सवाल है तो यह बहुत बड़े अन्याय की बात होगी कि उसको सामान नहीं लेने दिया जावे। इसलिये या तो वे अपने एमेन्डमेंट को एमेन्ड कर देंगे या वापिस ले लेंगे।

कु० श्री जसवन्तसिंह—मुझे यह खुशी होती यह जान कर कि हमारे एक साथी तो प्रोग्रेसिव उधर भी हैं ही, जो हमेशा प्रोग्रेसिव रहे हैं और प्रोग्रेसिव होने के नाते वे हमेशा उनका विरोध करते हैं, जो कांग्रेस की तरफ से गवर्नमेंट स्पेन्सर्ड एमेन्डमेंट होते हैं उन पर प्रोग्रेसिव कांग्रेसमेन होने के नाते खड़े हो जाते हैं, चाहे 'टिनेन्ट' हो चाहे 'खातेदार टिनेन्ट' हो; 'टिनेन्सी लॉ' बनाने में यह एक सिद्धान्त होना चाहिये कि काश्तकार को जो खेती करता है, हर तरह की सहूलियतें दी जांय। चाहे वह 'खातेदार टिनेन्ट' हो, चाहे 'सब टिनेन्ट' हो। जिस व्यक्ति का हक हो उसको सहूलियतें दी जावें। इस सिद्धान्त को मद्देनजर रखते

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

हुए यदि यह खातेदार तक ही सीमित रख दिया जावेगा तो बहुत हद तक जो दूसरे काश्तकार होंगे या टीनेन्ट होंगे उनको बहुत नुकसान होगा। आखिरकार हम उन्हें दे क्या रहे हैं? क्लॉज़ २२ में हम उन्हें बहुत कम हक दे रहे हैं :

"A tenant shall have the right to remove and utilize for any work in connection with his holding...."

आपने काश्त की जमीन के बारे में जो बातें कही हैं उनको इन्क्ल्यूड करने के लिये, तो इससे तो काश्तकारों को अगर पत्थर की जरूरत हो या ऐसे सामान की जरूरत हो जो जमीन पर पड़े हों या खोदने से आसानी से हाथ में आ सकते हो उनको हटाने का और अपना मकान बनाने में काम में लेने का कोई हक नहीं होगा, तो बड़ी हानि होगी। यह तो एक नेसेसिटी ओफ लाइफ की चीज है और उसको काम में लेने का उसको हक होना चाहिये। इसमें किसी को भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये और खास कर काश्तकार के हित में। अगर किसानों की बहबूदी करने वाले और चाहने वाले ही ऐसी बाधा उनके मार्ग में डालेंगे तो इससे काश्तकार का बहुत बड़ा अहित हो जावेगा। आप यहां पर यह कहते हैं कि यह एक मामूली एमेन्डमेंट है और छोटा सा एमेन्डमेंट है। सिर्फ 'खातेदार' वर्ड ही लगाया जा रहा है मगर इससे काफी लोगों को नुकसान होगा। छोटे जागीरदारों को, काश्तकारों को, जिनके हाथ में जमीन आ जावे किसी तरह से, उनको काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके साथ साथ यह बात है कि यह एक गवर्नमेंट स्पोन्सर्ड एमेन्डमेंट है। मैं यह कहूँगा कि काश्तकारों का इससे किसी तरह का हित नहीं होगा। विरोधी दल ने जो कदम उठाया है उसका हमारे साथी ने समर्थन किया है और इसमें वे नहीं घबराते हैं इसलिये मैं उनके साहस की सराहना करता हूं। और कम से कम डर से ही यह स्टेप लिया उसके लिए हमें खुशी है, लेकिन यह छोटा सा शब्द डाल कर जो अच्छा इसका तात्पर्य निकलने वाला था, जो अच्छा मतलब निकलने वाला था उसको माननीय श्रीदासजी गोयल रखने वाले थे उसको सदन मंजूर न करे और चाहे छोटे काश्तकार हों, चाहे बड़े, चाहे खातेदार टिनेन्ट हों, चाहे सब-टिनेन्ट हों सबको मकान बनाने के लिए या जो कुछ सहूलियतें मिल सकें वे मिलनी ही चाहिए।

श्री भीमसिंह—माननीय चेयरमेन, श्री गोयलजी ने जो एमेंडमेंट प्रस्तुत किया है वह इस वजह से वाजिब है कि सब-टिनेन्ट नावाजिब फायदा उठा लेगा। मैं इसके विपरीत हूँ। सब-टिनेन्ट के लिए तो पाबन्दी आप लगाना चाहते हैं, लेकिन आपने ख्याल भी किया है कि उसको क्या फायदा होने वाला है? सब-टिनेन्ट की मयाद ज्यादा से ज्यादा एक साल या दो साल की हो गई और जो सामान वह खेत से निकालेगा यह नये काम के लिए निकालेगा। यह भी सोचिये कि खेत में से क्या २ निकाल सकता है। मोरिन्डा वगैरह ६-७ फीट गहराई तक हो सकते हैं किन्तु आपने तीन

[श्री भीमसिंह]

फीट रखा है। यह हो सकता है कि दरख्त काट दिया गया हो और उसकी जड़ बाकी रह गई हो, तो वह सब-टिनेन्ट खोदकर निकाल सकता है। अगर सारे खेत में से दो चार सूखे फरड़े ही निकाल ले तो क्या? दूसरी चीज़ चिकनी मिट्टी, और तीसरी चीज़ मोरिन्डा निकाल सकते हैं। छप्पर वगैरह बनाने के लिए और दीवाल वगैरह बनाने के लिए वे मोरिन्डा वगैरह काम में ले सकते हैं, किन्तु इसके अलावा कोई उस जमीन से हीरे या मोती थोड़े ही निकलने वाले हैं कि जिससे खातेदार को नुकसान हो जायगा। इसका मतलब यह हुआ चूंकि खातेदार को नुकसान हो जायगा इसलिए उनको उससे महरूम किया जाय। ऐसी सूरत में, मैं निवेदन करूंगा कि श्री गोयलजी अपने एमेंडमेंट को विद्ड्रा कर लें और जो सहूलियत सब टिनेन्ट्स को मिलने वाली है, उससे उनको वंचित न करें।

श्री भैरोंसिंह—(डि० नं० १६) माननीय चेयरमेन महोदय, श्री श्रीदासजी गोयल ने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि इस 'टिनेन्ट' शब्द के आगे 'खातेदार' और जोड़ दिया जाय। इसमें मेरा निवेदन यह है कि क्लॉज़ २२ का सम्बन्ध थोड़ा बहुत क्लॉज़ १७ से भी रहता है और क्लॉज़ १७ को हमने कल ही पास किया है—

"Subject to rules, if any, framed by the State Government in this behalf a Khatedar tenant........."

ओरिजिनल बिल में 'खातेदार टिनेन्ट' था और कल संशोधन के द्वारा 'खातेदार' शब्द को हटा दिया गया और यह रखा कि—

"Subject to rules, if any, that may be made by the State Government in this behalf, a tenant shall have the right, free of charge." सवाल यह आता है कि जब हम एक टिनेन्ट को अधिकार देते हैं, चाहे वह टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त हो, चाहे टेम्परेरी टिनेन्ट हो या और किसी प्रकार का टिनेन्ट हो। हमने उसे क्लॉज़ १७ के मातहत यह अधिकार दे दिया है कि रेजिडेन्शियल मीन्स के लिए, आबाद होने के लिए, बिना चार्ज के प्राप्त कर सकता है। जब हमने उसको यह अधिकार दे दिया है तो फिर क्लॉज़ २२ में यह रेस्ट्रिक्शन क्यों डालें? क्यों बाधा डालें उसकी सुविधा में, जबकि उसकी होल्डिंग में अगर कोई चीज़ है, क्यों नहीं वह उसकी तरक्की के लिए, डोमेस्टिक अफेयर्स के लिए उसको काम में ले सकता है? मान लीजिये कि किसी खेत में, जो कि सब टिनेन्ट को दे दिया गया है, पत्थर की खान है और वह टेम्पोरेरी टिनेन्ट होने के नाते उस प्रकार की रियायतें पाने का हकदार नहीं है कि वह पत्थर निकाल सके, अपने काम के लिये, मकान के लिए, कुए की मरम्मत आदि में लिए। चूंकि वह सब टिनेन्ट है, इसलिये वहां से पत्थर नहीं निकाल सकता, सूखी लकड़ी भी प्राप्त नहीं कर सकता और कुए, मकान आदि की मरम्मत के लिये सारी की सारी चीजें जो कि उसको अपनी जमीन में उपलब्ध हैं, उनका उपभोग नहीं कर सकता, तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का रेस्ट्रिक्शन रखना नाजायज होगा, न्याय संगत नहीं होगा।

[श्री भैरोंसिंह]

अगर इसी प्रकार करना था तो जो ओरिजिनल बिल में 'खातेदार टिनेन्ट' है, उसको उसी रूप में स्वीकार किया जाता और उसको यहां 'खातेदार' एडजस्ट करना भी ठीक होता। एक जगह तो आपने उसको हटा दिया और अगर दूसरी जगह उसको रखते हैं तो यह विवादास्पद होगा और कानूनी उलझनें भी आवेंगी। एक जगह जमीन है, वहां खातेदार टिनेन्ट पत्थर लेगा और अगर वह जमीन किसी सब टिनेन्ट को दी हुई है तो उसका भी पत्थर खातेदार टिनेन्ट लेगा और सब-टिनेन्ट नहीं ले सकता। तो इस प्रकार की उलझन को हटाने के लिए यहां 'खातेदार' शब्द समाविष्ट नहीं किया जाय।

दूसरा सुझाव है कि जैसे क्लॉज १७ में—"Subject to rules, if any, framed by the State Government in this behalf, a Khatedar tenant shall have the right, free of charge..." है तो यहां भी 'फ्री ऑफ चार्ज' ये शब्द जोड़ दिए जांय, जैसे:—"Notwithstanding any thing contained in this Act or any other law for the time being in force, a tenant shall have the right..." के बाद ये शब्द जोड़ देने से सारी चीज कवर अप हो जाती है। इस कानून से महज उसको राइट दिया है। यह राइट नहीं दिया है कि वे इस्तेमाल कर लें। यह राइट दिया है 'खातेदार टिनेन्ट' को और दूसरे आदमी को कैसे अधिकार हो सकता है इस्तेमाल करने का? यह कहा जा सकता है, किन्तु राइट देने की मंशा यह है कि 'फ्री ऑफ चार्ज' उसको दें। इसलिए 'फ्री ऑफ चार्ज' यहां एडजस्ट कर दिया जाय।

"Notwithstanding anything contained in this Act or in any other law for the time being in force, a tenant shall have the right, free of charge, to remove and utilize for any work in connection with his holding or residential house, stones or other materials lying...... etc. etc."

तो इसका सीधा मतलब यह होगा, कि काश्तकारों को 'फ्री ऑफ चार्ज' का हमने अधिकार दिया है। अगर जिस तरह का यह क्लॉज़ है उसी रूप में इसको मंजूर कर लिया तो डिफिकल्टी हो जायगा, पाबन्दी डाल दी जायगी कि इतना पैसा देना पड़ेगा; तो उससे काश्तकारों को कोई लाभ नहीं होने वाला है। साधारण लोगों को जिस प्रकार के अधिकार है, उसी प्रकार उसके भी अधिकार हो जावेंगे। उसमें कोई सुविधा नहीं होगी। अगर यहां 'फ्री ऑफ चार्ज' जोड़ दिया जाता है तो जिनको, जिन काश्तकारों को आप सुविधा देना चाहते हैं, तो वे आपकी दी हुई सुविधाओं का फायदा उठा सकेंगे।

चूंकि यह संशोधन किसी ने मूव नहीं किया है और यदि माननीय मंत्री मेरे इस संशोधन को मान लेते हैं तो उससे उनकी मंशा भी पूरी हो जायगी। साधारण खातेदार की बात छोड़ दीजिये, जब आपने भाषण दिया था तो खातेदार के साथ सब टिनेन्ट को भी फायदा पहुँचाने की बात कही गई थी। यद्यपि उनके शब्दों के अन्दर काश्तकार को राहत पहुँचाने की मंशा है, तो मेरे इस

[श्री भैरूंसिंह]

एमेंडमेंट से सब टिनेन्ट को राहत मिलने वाली है, उनको असुविधा नहीं पहुँचेगी। यदि मेरे माननीय मित्र की यही मंशा है कि किसानों को, काश्तकारों को, राहत मिले, तो वे उनके संशोधन को विद्ड्रा कर लेगें। यह मैं आशा करता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, ज्यादा इसमें एड करने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक पहलू की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जो मौजूदा एमेंडमेंट प्रस्तुत किया गया है, वह करीब करीब गलत बल्कि इस एक्ट की काफी धाराओं का विपरीत सम्बन्ध कर देगा। मेरे माननीय मित्रों ने अभी जितने क्लॉज़ पास किये हैं, उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया है। किन्तु अब मैं उन क्लॉजेज़ का जिक्र करूंगा जो थोड़ी देर बाद शायद पास करने वाले हैं। उनमें सब टिनेन्ट को टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त बनने के जो सख्त अधिकार हमने दिये हैं, वे उन पर काबिज रहें इतना ही नहीं है, बल्कि कुछ फोर्मेलिटिज़ पास करने के बाद, वे खातेदार बन जांय। तो क्या यह समझा जाय कि जब तक वे फोर्मेलिटिज़ पूरी न करें, उस दरमियानी समय में, उनको वे अधिकार नहीं रहेंगे और खातेदार टिनेन्ट बनेगा तब ही रहेंगे? अगर ऐसी ही उसकी मंशा है तो मैं समझता हूँ कि उस मंशा को कभी मंजूर नहीं करना चाहिये, इस वजह से कि जो राइट उसमें दिया है वह 'incidental to the use and occupation of that land' जो भी काश्त करने वाला हो, उसका यह राइट होना चाहिये कि अगर खातेदार सब टिनेन्ट को काश्त करने के लिये जमीन दे दे, तो उस जमीन से निकलने वाले पत्थर से सिर फोड़ने का हक खातेदार को नहीं हो सकता है, जो काश्त करेगा उसी को हो सकता है। यह है उसूल की बात। इसलिये १९-२० साल तक इस वजह से खातेदारी हकूक नहीं मिले कि काश्त कर रहा है, घर बनाया, थोड़ी मिट्टी की दीवाल बना ली तो आप कहेंगे यह इस्तेमाल कर लिया।

इसमें खातेदार और गैर खातेदार के बीच में किसी प्रकार सब टिनेन्ट और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये। यह राइट सब टिनेन्ट को मिलना चाहिये। मौजूदा क्लॉज़ में यह जो संशोधन रखा गया है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। फ्री ऑफ चार्ज जो संशोधन रखा है वह इसमें कवर है या नहीं इसको साफ कर दिया जाय तो और अच्छा है।

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन महोदय, मैं एक दो शब्द अर्ज कर देना चाहता हूं। जब हमारे सदन में इस बिल के प्रिन्सिपल्स पर बहस हुई, वाद-विवाद हुआ, उस वक्त उस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों ने इस बिल की एक बात को लेकर भूरि भूरि प्रशंसा की। उस समय यह कहा गया था कि इस बिल में यह एक महत्वपूर्ण धारा थी। कहने को यहां तक कह गये कि हमने काश्तकारों को चाहे वे सब टिनेन्ट हों या खातेदार टिनेन्ट हो, सब को मकान बनाने के लिए मेटेरियल की आवश्यकता हो, तो वह बिना किसी प्रकार का खर्च किये अपने जमीन पर मकान बना सकता है। यह काश्तकारों को बहुत राहत देने वाली धारा है। इस बात को लेकर इसकी भूरि भूरि प्रशंसा की गई थी। आज वे उस वक्त वाद विवाद में कही हुई बातों को भूल गये, उन

[श्री जवानसिंह]

बातों को एक तरफ रख कर आज एक मामूली सा संशोधन पेश करके तमाम टिनेन्ट्स को जो हक प्राप्त थे, उनके तमाम हक खत्म करना चाहते हैं ओरिजनल बिल में हम काश्तकारों को हक देने जा रहे थे कि अपनी जमीन में जो भी मेटेरियल हो उसे अपने मकान बनाने के काम में वे ला सकते हैं, उसका उल्लंघन किया जा रहा है, उनको हकोंसे वन्चित किया जा रहा है।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसके साथ साथ में सदन का ध्यान एक दूसरी बात की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे उस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य श्री मथुरादास जी माथुर ने अपने संशोधन में जिसकी संख्या २५४ है, लिस्ट नं० १५ में एक अपना संशोधन पेश किया है इस कानून में, और उसमें यह लिखा हुआ है।

" No Khatedar tenant or his mortgagee shall sublet and no holder of Khudkasht shall let the whole or any part of his holding for a term which is less than five years." इस बिल में अबतक पांच वर्ष ज्यादा से ज्यादा अरसा रखा गया था, सब टिनेन्ट के लिये। कोई खातेदार टिनेन्ट खुदकाश्त होल्डरको अपनी जमीन का पांच साल तक सबलेटिंग करवाता है। जैसा कि संशोधन आया है उसके मुवाफिक इस बात को मानना चाहिये कि किसी भी खातेदार टिनेन्ट को हक है कि वह अपनी जमीन को सब लेट कर सके। उसमें पांच साल का पीरियड कम से कम रखा गया है, जिस जमीन के ऊपर सब टिनेन्ट को अधिकार मिलता है, कलटीवेशन का अधिकार मिलता है तो कम से कम पांच साल तक वह जमीन को जोतेगा, उसके बाद खातेदार टीनेन्ट अगर उसकी मियाद आगे नहीं बढ़ाना चाहता है तो पांच साल के अधिकार मिलेगें और पांच साल का अधिकार उसको देने का समावेश उसमें किया गया है। इस तरह से पन्द्रह साल का अधिकार सब टिनेन्ट को दिया गया है कलटीवेशन के लिये। इतने अरसे के लिये सब टिनेन्ट को काश्त करने के लिये अधिकार दिया गया है। जब आप इस प्रकार के हक खातेदार टिनेन्ट को देना चाहते हैं तो इसी प्रकार के हक सब टिनेन्ट को क्यों नहीं देना चाहते। जब आप एक तरफ पन्द्रह साल का अरसा काश्त करने के लिये देते हैं, तो फिर मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के हक देने में आनाकानी क्यों की जा रही है। आप जरा सब तरफ ध्यान रखिये, गंभीरता से सोचिये। जब आप सब टिनेन्ट को इस प्रकार के हक से वंचित करना चाहते हैं, टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को वंचित रखना चाहते हैं, तो क्या आप उनके साथ न्याय कर रहे हैं? एक खातेदार टिनेन्ट जिसने अपनी जमीन में अपना मकान बना रखा है और वह अपनी जमीन को सब लेट कर देता है तो क्या जिसे सब लेटिंग किया जाता है वह अपना मकान नहीं बना सकता? जब खातेदार टिनेन्ट को अपनी जमीन पर हक है तो सबलेट जिसको की जाती है, उसको भी हक होना चाहिये, उनके हकों में इस प्रकार की अड़चन पैदा करना एक प्रकार से उनके न्यायपूर्ण हकों पर कुठाराघात करना है। अतः मेरा फिर से माननीय मन्त्रीजी से निवेदन है कि वे इस पर फिर से विचार करें और इस संशोधन को स्वीकार न करें।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस संबंध में दो शब्द अर्ज कर देना चाहता हूं। बडे ही मजे की बात हैं कि हमारे दोस्त जिन्होंने आज एक एमेंडमेंट रखा है, जिसमें 'खातेदार' शब्द एड कर दिया है, वे ऐसे इलाके से तशरीफ लाते हैं जो कि एक तरह से मलेरियल इलाका है। मैं मानता हूं कि मलेरियल जगह से आये हुए दिमाग से ही ऐसी बात निकल सकती है। यह बात ध्यान में रखते हुए माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो कुछ जनाब ने एमेंडमेंड रक्खा हैं, उसको अस्वीकार करेंगे और उनसे साथ में यह भी निवेदन करूंगा कि आयन्दा ऐसे जो मलेरियल एमेंडमेंटस आवे, उनपर कोई ध्यान न दें। मेरा तो यह ख्याल है कि कोई भी बुद्धिमान इन पर ध्यान नहीं दे सकता और न ध्यान देने की चीज़ है कि सब टिनेन्ट और खातेदार जोड़ दिया जाय। कोई वजूहात तो होनी चाहिये इनके जोडने को। अगर कोई अपनी जमीन से पत्थर खोदता हैं तो वह कोई खान तो नहीं खोद रहा है, वह तो जितना पत्थर उसके लिये चाहिये उतना ही लेगा। यह भी कहा गया है कि अगर इस प्रकार की इजाज़त दे देते है, तो वह खेतों में गड्ढे ही गड्ढे कर देगा। अगर मान लिजिये कि किसी के खेत में बरसात से बहकर खेत में पत्थर आ जाते हैं यदि वह टिनेन्ट उनको हटाना चाहे और मेरे मित्र की बात मान लेते हैं तो सब टिनेन्ट उन पत्थरों को हटा नहीं सकेगा। जब खातेदार टिनेन्ट कहेगा कि पत्थर हटाइयें तभी वह पत्थर हटा सकेगा, नहीं तो वह उस पत्थर का उपयोग भी नहीं कर सकता, बिना इजाजत के। जिस वक्त माननीय सदस्य, जिन्होंने संशोधन रखा है वे वकालात करते होंगे तो गरीब किसान जो अपने सिर पर पत्थर की तगारियें लादकर या तो वे खातेदार टिनेन्ट के घर में डालेंगे या जिन्होंने संशोधन रखा है उनके सिर पर डालेंगे। इसलिए मैं मेरे माननीय मित्र से निवेदन करूंगा कि चाहे वे कैसे ही हों, अपने दिमाग को ठीक रख कर, सोच कर अपने इस एमेंडमेंट को विदड्रा कर लेंगे।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो एमेंडमेंट श्री श्रीदास गोयल ने रखा है, वह बहुत हद तक वाजिब है। अगर आज हम खातेदार काश्तकारों के अलावा दूसरे सब टिनेन्ट को अधिकार दे देते हैं तो फिर जमीन सही रहेगी या नहीं, यह भी विवाद का प्रश्न बन जायगा, क्योंकि सब टिनेन्ट को जब बारह महिने के लिये जमीन काश्त के लिये दी जाय और अगर वह उसमें गड्ढे ही गड्ढे खोद लेगा तो खातेदार की जिन्दगी कैसे चलेगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—खड्डे कर देगा तो वह काश्त करेगा कहां?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—खातेदार के मकान पर पत्थर डाल दिये जायेंगे, वे न टिनेन्ट के है, न सब टिनेन्ट के, यह जो माननीय सदस्य ने कहा अगर वे पत्थर ही खोदेंगे तो उसको बोयेंगे कब। उन्होंने अपने भाषण में यह भी कह डाला कि यह मलेरियल एमेंडमेंट है, किन्तु कहीं उनके दिमाग में मलेरिया तो नहीं है। जो खातेदार अपनी जमीन को किसी को देता है तो वह एक सद्‌विचार से देता है। उसमें खाद डालने आदि की क्रियायें उसको करनी चाहिये जिसको जमीन दी जाती है। वह किसी मजबूरी हालत में है कि वह खेती नहीं कर सकता, इसलिये सब टिनेन्ट को

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

वह दे देता है। अगर आप यह संशोधन मंजूर नहीं करते हैं, तो एक प्रकार से टिनेन्ट को अधिकार दे देते हैं कि वह चाहे जिस प्रकार से जमीन को बरबाद करे। मेरे लायक दोस्त जो कहते हैं कि यह मेटेरियल एमेंडमेंट है। मुझे पता नहीं, मलेरियल शब्द का क्या अर्थ है, उनकी डिक्शनरी में ? अपने दिमाग में तो यह बात आई नहीं। जो मेरे मित्र ने 'खातेदारी' शब्द एड करने की व्यवस्था की है, वह ठीक है 'खातेदार' शब्द एड किया जाना चाहिये।

एक सदस्य—क्योंकि आप खातेदार हैं।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—एक छोटे से क्लॉज़ पर इतना लम्बा चौड़ा वाद-विवाद हो गया। यदि आप बिल्डिंग स्टोन्स लेना चाहें तो ८ आने पर सौ मन के भाव से आप जहां कहीं ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। एक काश्तकार को आखिर मकान वगैरह बनाने में कितना पत्थर चाहिये ? आठ दस रुपये साल का। तो इस मामूली बात के लिये इतनी परेशानी क्यों हो रही है, मुझे समझ में नहीं आता ?

तो अगर कोई काश्तकार मकान बनावे, तो ज्यादा से ज्यादा जिन्दगी में एक बार बनावेगा। मकान हमेशा तो बनाता नहीं है। तो जिन्दगी में जब एक बार बनाता है तो उस पर उसको खर्चा ज्यादा से ज्यादा पांच सात रुपये होते हैं जोकि एक बहुत मामूली सी बात होती है। अब इस एक छोटी सी बात के लिए जाने किस-किस सिद्धान्त की दुहाई दी गई है, किसानों के न जाने कौन कौन से अधिकारों की दुहाई दी गई है ? इसमें ऐसा क्या नुकसान है जिससे किसान के किसी अधिकार का हनन होता हो या किसी ऐसे और सिद्धान्त का अहित होता हो। सिर्फ पांच, सात, दस रुपये का मामला है जिसमें कई कई सदस्यों ने लम्बी लम्बी वक्तृताएं देकर पूरे के पूरे ही प्रिन्सिपलों की दुहाई दी है।

तो यह इतना बड़ा कोई मसला नहीं है जिस पर इतनी लम्बी-चौड़ी तकरीरें हो गई। मैं समझता हूं कि श्री श्रीदासजी ने जो तरमीम रक्खी है वह ठीक है। उसमें टिनेन्सी रेंट्स भी शामिल हैं, जिसमें हमें कभी भी एतराज नहीं हो सकता।

मान लीजिये कि किसी ने अपने खातेदारी राइट्स मोर्टगेज कर दिये तो क्या इससे आप यह नतीजा निकालना चाहते हैं कि जो वह खाते की जमीन है और जिसमें सिद्धान्त रूप में काश्त करवाना चाहता है उसमें वह सिर्फ पत्थर ही पत्थर खुदवाएगा, जैसा कि श्री एच. के. व्यास ने कहा। और एक ने यह भी कह दिया कि खातेदार काश्तकार को सिर नहीं फोड़ने दिया जावेगा पत्थरों से। फोड़ ले, फोड़े; तो सब टिनेन्ट ही फोड़ेगा। हमारे यहां तो सिर फोड़ने का रिवाज है; ऐसा कोई कानून बनावें तो इस सदन से तो सम्भावना नहीं है सिर फुड़वाने की।

श्री हरिकृष्ण व्यास—बगैर कानून के ही सम्भावना रहती है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—तो यह तरमीम पेश की गई है वह वाजिब है, उसे स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर—माननीय उपाध्यक्षजी, प्रश्न बहुत ही छोटा था मगर महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बोलने से यह बड़ा बन गया, ऐसा मालूम पड़ता है; गोया कि इस तरमीम के विषय में ज्यादा सोचने और बोलने की आवश्यकता न थी पर चूंकि प्रगतिशील युवकों ने इसके बारे में रोशनी डाली है इसीलिए मुझे भी कुछ कहना जरूरी हो गया है।

अगर इस बिल को पूरी तौर से पढ़ा जावे और समझा जावे तो मालूम पड़ेगा कि इस बिल को बनाने वालों की और सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों की यह भावना रही है कि शिकमी काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा हक मिलें और यहां तक भी हमने इस बिल में संशोधन रक्खे हैं जिससे कि शिकमी काश्तकार अगर इस बिल के बनते वक़्त शिकमी काश्तकार हैं और अगर उसके पास पैसा नहीं है जिससे कि वह खातेदारी के हक खरीद सकता हो, फिर भी वह बेदखल नहीं किया जावेगा और जमीन को इम्प्रूव करने का उसका हक रहेगा। यह चीज हमने मानी है और प्लानिंग कमीशन की भी यही मंशा है। शिकमी काश्तकार को बेदखल नहीं किया जावे। और वह अगर खातेदारी हक़ूक खरीद सके तो खरीद ले; नहीं तो भी वह उस पर काबिज रहेगा, बेदखल नहीं किया जा सकेगा और उसको जमीन को इम्प्रूव करने का हक रहेगा। इस तरह की भावना इस बिल में रही है।

अगर 'खातेदारी' शब्द जोड़ दिया गया तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि फिर उस टिनेन्ट को जमीन को इम्प्रूव करने के लिए जो अधिकार थोड़े बहुत इसमें मिलते हैं वे क्लॉज़ २२ में कैसे रह जावेंगे? इसलिये यह अगर तरमीम मन्जूर कर ली गई तो फिर इस सब टिनेन्ट को जो अधिकार दिये जा रहे हैं, उसका परपज सर्व कैसे होगा? इसलिए मैं अनुरोध करूंगा मेरे साथी से (विरोधी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि) कि यह तरमीम वापस ले लें और मुझे इस बात की खुशी है कि विरोधी पक्ष के साथी भी जो अमूमन सब कमेटी में रहे और यह चाहते थे कि सब टिनेन्ट को अधिकार कम मिलें, वे भी यही भावना रखते हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—यह गलत है।

श्री हिम्मतसिंह—यह नहीं समझने के कारण है।

श्री मथुरादास माथुर—यह मानने में भी संकोच नहीं है। अब आप शिकमी काश्तकारों को हक दिलवाने के पक्ष में हैं, यह तो भविष्य बता देगा। अभी बिल बहुत बाकी है।

इस बात को आप भी याद रक्खें और मैं भी याद रक्खूंगा। तो यह जो कुठाराघात करने की योजना की जा रही है वह नहीं होनी चाहिये।

Page No.52

[श्री मथुरादास माथुर]

बाकी सवाल यह रहा कि मोर्टगेज का हक मिले या नहीं, इसमें व्यक्तिगत राय मेरी यह है, मेरी भावना यह है, कि मोर्टगेज और मोर्टगेजी दोनों को डिस्करेज किया जावे, सब टीनेन्सी डिसकरेज की जावे। अब गड्ढे खोदेंगे और खुदावेंगे तो खुदावाए, क्यों सब लैट करते हैं। यह अगर मान लें थियोरिटिकली जैसे कि कालेजों में थियोरिटिकली डिबेट होती है उस तरह, कि जमीन को काश्त करने के लिए लेते हैं और साल भर में गड्ढे ही गड्ढे खोद देंगे...

श्री हरिकृष्ण व्यास— एक विशेष प्रकार के आदमी कर सकते हैं यह।

श्री माथुरदास माथुर—अगर इस तरह खोदना ही शुरु करेंगे तो सौ बीघा जमीन है उस १०० बीघा जमीन में एक २ फुट के अन्तर से गड्ढे ही गड्ढे खोद देते हैं तो इसकी तो रिपोर्ट डाक्टर को क्यों की जावे सर्जन के पास भेजा जावे, उसे तो फिर।

अन्त में मेरी यह अर्ज है कि इस तरमीम को विद्ड्रा कर लिया जावेगा और इस दिलचस्पी के लिये धन्यवाद।

श्री जसवन्तसिंह—व्हिप इश्यू कर दो तो फिर।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—माननीय उपाध्यक्ष जी, इसके पहले कि क्लॉज़ पर कुछ कहूं अभी इस क्लॉज़ पर भी जो बहस हुई है उसको देखकर मुझे बड़ा सन्तोष हो रहा है।

आज खास तरह से हमारा विरोधी पक्ष इस मूड में ज्यादा मालूम होता है कि कैसे किसान का हित हो और इसलिए मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि आगे की धाराओं में जिनमें सब टिनेन्ट को, और टिनेन्ट को खातेदारी राइट्स देने वाली बातें हैं उनको आज की इसी हवा में ले लें तो ज्यादा अच्छा हो। मैं आशा करता हूं ...

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—आज इसका मुहूर्त नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ऐसी बात नहीं है तो मैं अर्ज कर रहा था कि मूल में 'टिनेन्ट' शब्द है ही और 'खातेदार' शब्द जोड़ने का संशोधन आया। इसके सम्बन्ध में किसको कितने राइट दिये जावें और कितने नहीं, यह अगर स्ट्रगल है तो खातेदार टिनेन्ट और खुदकाश्त होल्डर और उसके टिनेन्ट के बीच स्ट्रगल है, न कि सरकार के और किसी टिनेन्ट के बीच के झगड़े का यह सवाल है? और जैसा कि मैंने देखा कि सदन के अधिकतर सदस्यों की राय यह प्रतीत होती है कि हम 'टिनेन्ट' शब्द ही इसमें रखें। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं। 'खातेदार' शब्द इसमें जोड़ने की आवश्यकता पर मैं अपने साथी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि 'खातेदार' शब्द इसमें जोड़ने की बात आती है तो उसे हटा दें। आखिर जो शब्द ज्यादा उपयोग

Page No.53

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

में आयेगा वह उनके काम में आने वाला है। शहर वालों के लिए वह यूज नहीं हो सकेगा, यदि उनकी यह मन्शा थी और यही समझा जाय तो कोई नुकसान नहीं। इसी दृष्टि से उन्होंने यह संशोधन रखा था। उसको गलत समझने की आवश्यकता तो प्रतीत नहीं होती लेकिन गलतफहमी फैलाने का प्रयत्न किया जा सकता है और निरर्थक में यह बात आई थी उसके अन्दर कि कोई सब टेनेन्ट के राइट्स के बारे में कहीं पर इस बात को नहीं माना कि सब टेनेन्ट्स के राइट्स नहीं हैं। पर्सपेक्टिव में इसको देखते हैं तो 'टिनेन्ट' शब्द रहे तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं आशा करता हूं कि जिन्होंने 'खातेदार टिनेन्ट' शब्द यूज करने के लिए एमेन्डमेन्ट मूव किया है वे इसको वापिस ले लेंगे और मैं सदन के सदस्यों से आशा करता हूं कि और धाराएं आयेंगी उनको भी वे प्रोग्रेसिव लाइन पर पास करेंगे।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्ष, माननीय अपोजीशन के मित्रों के तरीके को देख कर और इनकी सात्विक भावनाओं की कद्र करते हुए, जिनको कि यह कायम रखेंगे आयन्दा भी, मैं इजाजत चाहूंगा कि मुझे एमेंडमेंट वापिस लेने की स्वीकृति दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि श्री श्रीदास जी गोयल अपना संशोधन वापिस लें।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री श्रीदास गोयल—I withdraw my amendment, Sir.

(श्री कपिलदेव अग्रवाल द्वारा करतल ध्वनि)

('Very good', 'Hear hear')

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २२ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २२ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड २३

श्री उपाध्यक्ष—अब इसमें श्री चांदमल मेहता।

श्री श्रीदास गोयल—नंबर क्लोज़।

श्री उपाध्यक्ष—No. 21, Serial No. 2

श्री चांदमल मेहता—Mr. Dy. Speaker, Sir, I beg to move the following amendment : "Delete the clause"

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज २३ इस प्रकार है :

"Bar to seizure, attachment and sale by process of Courts. The rights of a tenant in a holding shall not be liable to seizure, attachment or sale by process of any civil court."

उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ के देखने से यह क्लॉज़ बहुत अच्छा प्रतीत होता है और इसके पीछे जो भावना है वह बहुत अच्छी भावना मालूम होती है जिससे कि किसान कभी भी अपनी भूमि से हाथ नहीं धो बैठे दिवानी झगड़ों की वजह से। लेकिन क्या राजस्थान की स्थिति को देखते हुए यह क्लॉज़ किसान को उसकी भूमि उसके कब्जे में रखने में सहायता देगी या बाधा बनेगी, यह प्रश्न विचारणीय है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की स्थिति खास तौर की है। राजस्थान में हर तीसरे साल अकाल पड़ता है और अकाल के बाद दूसरा अकाल भी पड़ जाता है। इस तरह की संभावना भी होती है, और जब भी अकाल पड़ता है किसान को अपने मवेशियों को लेकर दूसरी जगह जाना पड़ता है। एक जगह अपनी काश्त करता है लेकिन उसको अपने मवेशियों को लेकर दूसरी जगह जाने का मौका आता है। इन सारी स्थितियों में उसको आवश्यकता होती है रुपये की, कर्ज की, और किसी भी व्यक्ति को कर्ज प्राप्त करने के लिए क्या बातें आवश्यक हैं? वह आप देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कर्ज प्राप्त करना चाहता है तो उसको रुपया मिलता है उसकी सम्पति के आधार पर, उसको रुपया मिलता है, इस आधार पर कि अगर रुपया दिया जाय तो रुपये को वापिस वसूल करने की क्या स्थिति है? यहां इस तरह की व्यवस्था होती है कि कोई भी जमीन वर्जित होगी दीवानी दावों में तो काश्तकार के सामने यह कठिनाई आ जायगी, क्योंकि कर्ज देने वाला सोचेगा कि इस कानून के अनुसार कि इस स्थिति में कर्ज दिया जाय या नहीं। उस स्थिति में क्या रास्ता रहता है? उस स्थिति में रास्ता रहता है मोर्टगेज करके का या बेचने का। तो जहां एक ओर वह जमीन अपने पास रख सकता है और फिर आमदनी करके अदा कर सकता है वहां उसके सामने समस्या इस बात की आयेगी कि मोर्टगेज करे या बेचे। मोर्टगेज करता है तो जिस जमीन के जरिये वह जीविका निर्वाह करना चाहता है उस जमीन में कमाई नहीं कर सकेगा और उसके कब्जे से वह जमीन चली जायगी और दूसरी ओर वह जमीन बेचता है तो जो कुछ आधार है वह खत्म हो जाता है।

अब मैं दूसरे पहलू पर आऊंगा। इस एमेन्डमेंट को रखने में यह भावना होती है कि किसानों के कब्जे में जमीन बची रहे। दूसरी क्लाज़ेज में उन लोगों के सोचने की बात हो जाती है जो हमारे सामने विचाराधीन है कि एक सब टिनेन्ट, खातेदार टेनेन्ट के अधिकार प्राप्त कर सकता है। प्राप्त करने के लिए कितनी गुना रकम देनी पड़ेगी, यह आगे विचाराधीन है; लेकिन कुछ न कुछ देना पड़ेगा। अगर वह दो साल में अदा नहीं करता है तो उसके सामने क्या स्थिति पैदा

[श्री चांदमल मेहता]

होती है कि उसकी जमीन फिर से खातेदार के पास में चली जायगी, तो ऐसी स्थिति में किसान यह चाहता है कि उसको कर्ज मिले और उसकी यह स्थिति हो कि वह जमीन को रहन रख सके। कर्जदार यह सोचेगा कि उस जमीन के जरिये कभी भी रुपया वसूल किया जा सकता है, तो रुपया मिलने में सुविधा हो सकती है, लेकिन जब यह क्लाज़ रहेगा तो रुपया देने वाला यह सोचेगा कि यह जमीन ऐसी सम्पत्ति नहीं है कि जिसको कुर्क करा सके और उस ढंग से जो जमीन उसके कब्जे में रहे वह एक तरह से कब्जे में से निकल जायगी तो वह रुपया नहीं देगा और उस क्लॉज़ के अन्तर्गत जो खातेदार टिनेन्ट को खातेदारी हक प्राप्त करने में पैसा देना पड़ेगा वह पैसा वह नहीं दे सकेगा।

दूसरे पहलू पर आता हूँ। काश्तकार रेन्ट नहीं देता है तो उस हालत में क्या स्थिति होगी? रेन्ट नहीं देने की हालत में क्लाज़ आये हैं, उनमें व्यवस्था की गई है कि जमीन नीलाम की जा सकती है, लेकिन इसके अन्तर्गत वह किसी भी हालत में नीलाम नहीं हो सकती है। किसी भी हिस्से से इस धारा पर विचार करने के बाद यह मालूम होता है कि उसको रेन्ट अदा करना है और रुपये की जरूरत है। रुपया नहीं है उसके पास और कोई साधन नहीं है तो वह मोर्टगेज करे या बेचान करे उस जमीन का, तो मोर्टगेज करने या बेचान करने को दृष्टि से उसके पास से जमीन जाने से बचाने के लिए यह अच्छा है कि इस तरह की स्थिति हो, उस सम्पत्ति की यह स्थिति हो कि उस सम्पत्ति के आधार पर कर्ज प्राप्त कर सके। मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करूंगा कि जहां तक इस क्लाज़ का सम्बन्ध है इसको यू० पी० से नकल किया गया है। यू० पी० के किसानों की हालत बहुत अच्छी है। वहां इस तरह के अकाल नहीं पड़ते हैं, वहां ऐसी स्थिति नहीं होती है कि समय समय पर कर्ज लेना पड़े। यू० पी० की स्थिति को देखते हुए यह क्लॉज़ ठीक हो सकता है, लेकिन राजस्थान की स्थिति को देखते हुए वह ठीक नहीं है। मैं यह मानूंगा कि इस क्लाज़ के पीछे भावना बहुत अच्छी है, वह होनी चाहिये, लेकिन दूसरी क्लॉजेज़ जो उसके समान हैं अगर उन क्लॉज़ेज़ के बारे में माननीय राजस्व मन्त्रीजी यह आश्वासन दें कि रेन्ट अदा नहीं करने की हालत में जमीन नीलाम नहीं होगी और खातेदारी हक एक्वायर करने के लिए जो रकम देनी पड़ेगी वह रकम नहीं दे सकने की हालत में वह उन हकों से महरूम नहीं रहेगा, तो फिर मुझे इस एमेन्डमेंट को पास कराने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। अगर दूसरी क्लॉज़ेज़ में यह व्यवस्था रहती है, खातेदारी राइट्स एक्वायर करने के लिए यह परेशानी हो तो मैं राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस धारा पर सोचें। इस दृष्टि से सोचें कि धारा दिखावामात्र की न हो, बल्कि उससे काश्तकारों को हक मिले, राहत मिले। मैं मानता हूँ कि यह धारा बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर उनमें दिखावे की नहीं, बल्कि वास्तव में काश्तकारों को राहत पहुँचाने की भावना होगी तो माननीय राजस्व मंत्रीजी इस पर सोचने की कृपा करेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, ऐसा मालूम हो रहा है कि इस सदन में कुछ विचित्रताएं हो रही हैं। एक विचित्रता तो यह कि सब ने जिक्र किया हाउस के उधर बैठने

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

वाले माननीय मित्रों ने कि सब टेनेन्ट को अधिकार मिले; इस प्रकार रुख लाना शुरू किया, लेकिन दूसरी विचित्रता अब हमारे सामने आ गई कि एक हमारे माननीय मित्र जो काश्तकारों के हित का समर्थन करने वाला संशोधन पेश करते हैं आज उन्होंने काश्तकारों के हित के समर्थन का एमेंडमेंट देने के बजाय मेरा ख्याल है कि सामन्तवाद का संशोधन किया है। सामन्तवाद का केवल एक ही मतलब हम आज तक समझते आये हैं और वह समझते आये हैं रेन्ट का। रेन्ट की ओर सारी दुनिया का ज्यादा ध्यान है। लेकिन सामन्तवाद का एक दूसरा और अर्थ है और वह है ब्याज के जरिये किसानों को लूटना। यह भी सामन्तवाद का एक जबर्दस्त अंग है। आज जो संशोधन आया है वह सामन्तवाद के उस रूप का प्रतीक है। मैं इसका विरोध इसलिए करना चाहता हूं कि किसानों के कर्जे पर रोक नहीं होने से उनको नुकसान होगा। किसानों को कर्जा न मिलने का यदि किसी को दर्द है तो उनको इनके लिये कानून लाना चाहिये था, डेट कंसीलियेशन के लिए बिल लाना चाहिए था। किसानों को ब्याज खोर चूस रहे है, उनसे मुक्ति दिलाने के लिए कानून लाना चाहिये था। किसानों को यदि कोई कर्जा दे तो उसकी जमीन अटेच करवाकर वापिस नहीं कर सकता, इसके लिए प्राइवेट मेम्बर्स की तरफ से बिल लाना चाहिए था। इतना करने पर यदि मनिलेंडर्स उनको कर्जा नहीं दें तो राज्य की ओर से कोऑपरेटिव बैंक आदि खोले जाकर किसानों को राहत पहुँचाने का प्रबन्ध करवाना चाहिये या राज्य उनको जेल की सजा दे जो किसानों को ब्याज या सूदखोरी के चंगुल में फंसाना चाहते हो। जो किसान कर्ज से दबे हुए हैं उनको वहां से निकालने का उपाय सोचना चाहिए। आप यू. पी. की बात करते हैं। यू. पी. में जो बात लागू होती है उससे दस गुना ज्यादा हमारे यहां राजस्थान में लागू होती है। हमारे यहां हर तीसरे साल काल पड़ता है और इस कारण से किसान कर्जे से दबे हुए हैं। कर्जे पेटे यदि उनकी जमीन अटेच होकर नीलाम होने लगे तो यह किसानों के हक की बात नहीं है। जागीरदार या मनीलेंडर्स उनसे बेजा फायदा उठाना चाहते हैं तो बरार में मारवाड़ियों की जो हालत हुई उसी प्रकार राजस्थान में स्थापित करना चाहते हैं। यह काश्तकारों के हित की बात नहीं है, बल्कि खिलाफ बात है। मैं निवेदन करूंगा कि इस संशोधन का सख्त से सख्त विरोध किया जाय। यही नहीं बल्कि इस प्रकार का जो संशोधन प्रस्तुत करते हैं उन पर गम्भीर दृष्टि न सिर्फ आम लोग रखें बल्कि पार्टी को भी उनकी ओर शंका की दृष्टि से देखना चाहिए। यह एक प्रवृत्ति है जिसका मेल सामन्तवाद से है और वह भी सीधा और ऐसा कि जिसकी ओर हमें शंका की दृष्टि से देखना चाहिए।

मैं एक बात के लिए उनको धन्यवाद भी देता हूं क्योंकि सामन्तवाद का यह स्वरूप जिसकी ओर सदन ने आज तक ध्यान नहीं दिया, राजस्थान से नहीं गया है। माननीय मित्र ने यह संशोधन लाकर हमारा सब का ध्यान इस ओर दिलाया, इस बात के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं; लेकिन कानून में जो संशोधन आपने रखा है उसको उठने से पहले ही गाड़ देना चाहता हूं।

श्री कंवरलाल जैलिया—माननीय उपाध्यक्षजी, जो संशोधन पेश किया गया मैं उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहला विरोध हुआ है वह उनके दृष्टिकोण से था। मैं कहूंगा कि और बैठनेवाले सदस्य ने संशोधन रखा है वे खुद यदि इस पर विचार करेंगे तो वे महसूस करेंगे कि यह किसानों की भावना को ठेस पहुंचाने वाला है, उनके हित में नहीं है।

(श्री हरिकृष्ण व्यास: "हिअर हिअर")

मुझे आपके दृष्टिकोण से भिन्न बात कहनी है। इस खूबी के साथ उन्होंने इसे अपने पक्ष में रखा था कि जिससे जाहिर होता था कि उनकी मंशा एक पूंजीपति वर्ग को पोषण देनेवाली है और जो राजस्थान की स्थिति देखते हुए उत्तरप्रदेश का उदाहरण दिया उसके बारे में मैं कहूंगा कि उत्तरप्रदेश के काश्तकारों की दशा यदि आप उन्नत मानते हैं तो आप राजस्थान के काश्तकारों को भी वही दरजा दिलवाइये जिससे कि उत्तरप्रदेश के किसानों की जो आर्थिक दशा है वही राजस्थान के काश्तकारों की भी बन जावे। राजस्थान की विधान सभा को किसानों को यह विश्वास दिलाना चाहिये कि राजस्थान की विधान सभा पूंजीपतियों के पक्ष को मजबूत करने के लिये नहीं है। राजस्थान में कई पूंजीपति लोग ब्याज लेकर किसानों को बरबाद करते हैं। यदि इसके विपरीत उस वर्ग के ऊपर कानून द्वारा रोक लगा देते हैं तो हम मनेंगे कि किसानों को वास्तव में राहत दी गयी है। यदि राजस्थान के किसानों को राहत देनी आवश्यक है तो सहकारी समितियों के जरिये उनको कर्जा दिलाया जाय। सूदखोरों को नेस्त-नाबूद करना आवश्यक है। हमें पूंजीपतियों को राहत न देकर किसानों को राहत देनी है। मुझे अफसोस है कि हमारे सदस्य ने इस प्रकार का संशोधन पेश किया है जो कानून की मंशा के खिलाफ है। राजस्व मंत्रीजी स्पष्टीकरण करें, उससे पहले ही यदि वे वापिस लेलें तो अच्छा रहेगा वरना मैं हाउस से अर्ज करूंगा कि वह इसे रिजेक्ट करें।

श्री भैरूसिंह (वि० सं० १६)—माननीय उपाध्यक्ष जी,....

श्री मथुरादास माथुर—Let them exploit to the full.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Take care that next time nobody brings in such a vulnerable amendment.

श्री भैरूसिंह (वि० सं० १६)—माननीय उपाध्यक्षजी, आज जिस तरह से माननीय सदस्य ने संशोधन उपस्थित किया उससे ऐसा मालूम होता था कि आज शायद बोहरों का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने आया हो, और उसने इनको प्रेरणा दी हो कि यदि यह क्लॉज़ जिस तरह है उसी तरह स्वीकार हो गया तो हमारा क्या हाल होगा। सोचना यह है कि जिन लोगों की प्रेरणा से और जिस मौके पर यह आया है, यदि ऐसा नहीं और स्वयं की प्रेरणा से यह

[श्री भैंरूसिंह]

संशोधन आया, जिनको नुकसान होने का डर सदस्य महोदय को है वह नुकसान उस नुकसान से ज्यादा नहीं है जो इस प्रकार का क्लॉज़ पास न होने से काश्तकारों को होता। आज समाज को आवश्यकता थी सामन्त प्रथा को समाप्त करने की और उसे समाप्त कर भी दिया जिसके कारण से गरीब काश्तकारों को राहत मिलेगी, लेकिन अब यह सोचना पड़ेगा कि क्या काश्तकारों का शोषण करने की समाज में अब भी कोई प्रवृति है जिससे काश्तकारों को नुकसान होगा तो पता चलेगा कि ऐसी प्रवृति अब भी मौजूद है और वह है काश्तकारों को रुपया देकर व्याज वसूल करने की। यदि इस प्रवृति को नहीं रोका गया तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जितना फायदा काश्तकारों को सामन्ती प्रथा को रोकने से हुआ है उससे कहीं अधिक नुकसान इससे होगा। आज दूसरे प्रान्तों का उदाहरण देते हैं तो मैं कहूँगा कि वहां ऐसे कानून भी लागू हैं जिनसे किसानों को इस दिशा में पूरी राहत मिलती है; जैसे पंजाब में पंजाब मनीलेंडर्स एक्ट है। किसी भी प्रकार से काश्तकारों को राहत मिले उस प्रकार की योजनायें अन्य प्रान्तों के विचाराधीन है या कार्यरूप में आरही है। मेरी समझ में नहीं आया कि इस प्रकार के संशोधन से महज यह डर लगा कि यह क्लॉज़ रहा तो काश्तकारों को पैसा नहीं मिलेगा। आर्थिक स्थिति सुधारने के और भी कई तरीके हैं। उनको अपनी जमीन मोर्टगेज करने के भी अधिकार हैं। यदि जटिल समस्या अर्थ की उनके सामने हुई तो काश्तकार मोर्टगेज करके या ट्रान्सफर करके राहत पा सकता है। लेकिन यदि यह अधिकार दे दिया गया तो समस्या और अधिक जटिल हो जायगी। किसी काश्तकार ने किसी से १०० रुपये उधार लिये तो उसका व्याज आदि जोड़ने के बाद उसको ३०० रुपये वापिस चुकाने होंगे और आज जिस तरह से रिश्वतखोरी का बाजार गर्म हो रहा है उसके जरिये हाकिमों और अहलकारों से मिलकर किसानों पर डिक्री करा देंगे और डिक्री की वसूली में काश्तकारों की जमीन अटेच हो जायगी। राजस्थान में किसी प्रकार का बंधन लगाने की आवश्यकता है तो इस तरह के शोषण पर बंधन लगाने की आवश्यकता है।

तो मैं तो स्पष्ट कहूँगा कि काश्तकारों को राहत तभी मिलेगी जब कि इस कानून का भार किसानों का शोषण रोकने वाली शक्तियों के ऊपर ज्यों का त्यों रहेगा, जैसा कि इस क्लॉज़ में है। अगर इस क्लॉज़ को नहीं रखा गया तो किसानों को राहत मिलने के बजाय किसानों का शोषण करने वालों को राहत मिलेगी।

अतः मैं मेरे माननीय सदस्य से अपील करूंगा कि वे अब इस पर वाद-विवाद को छोड़ दें, और अगर उनके पास बोहरों के प्रतिनिधि मंडल के आदमी आये हों तो उनकी परवाह नहीं करते हुए और प्रगतिशील विचार धारा के पोषक होते हुए इस एमेंडमेंट को विद्ड्रा कर लें।

श्री श्रीदास गोयल—श्री चांदमलजी ने एमेंडमेंट रखा है इस क्लॉज़ को ड्रोप करने के बारे में। जहां तक आपका एमेंडमेंट है जैसी दलीलें आपने दी हैं, दलीलों में हम गड़बड़ी नहीं पाते बोनाफाइडी साफ है, किसानों को राहत देने के लिये उन्होंने रखा है। दफा ६०, प्रोसिजर कोड में भी

[श्री श्रीदास गोयल]

यह प्रोविजन है कि सिविल डिक्रीज़ में सीविलियन्स के मुकाबले में कुछ चीजों को एग्ज़ेम्प्ट किया है, काश्तकारों के काश्तकारी के टूल्स वगैरह के लिये प्रोविजन है। जयपुर में भी था और दूसरे यू. पी. आदि प्रान्तों में भी ऐसा है। इसलिये यह क्लॉज़ तो बदस्तूर यों का यों रहना चाहिये, वह नहीं रहने से किसानों के अन्दर केऑटिक कन्डीशन्स पैदा कर देता है।

मैं समझता हूं कि यह अमेंडमेंट देते समय पड़ौस में श्री मानसिंहजी महार बैठे थे शायद उनकी सूझ बूझ का असर आ गया हो और कुछ शायद कुंवर साहब की प्रगतिशील भावनाओं का असर पड़ गया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—मैं यह कभी आशा नहीं करता था कि इस क्लॉज़ पर भी बहस की गुंजायश हो सकती है। लेकिन दुख के साथ मानना पड़ता है कि एक इस प्रकार का एमेंडमेंट आया कि जिसमें जो प्रगति की बात तक नहीं करते हैं उनको प्रगति पर कहने का मौका दिया।

मैं कहता हूं कि जो आवश्यक है उसको हम महसूस करते हैं और इसके लिये जल्द ही एक कानून इस सदन में लाना चाहते हैं कि जो एक्सप्लोइटेशन काश्तकारों का बोहरों के द्वारा होता है उस पर काफी प्रतिबन्ध लगाये जांय, हमारा व्याजखोरों के ऊपर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है।

यह जो धारा है इसको हटाने के लिये कोई कहे तो यह तो मेरी कल्पना में भी नहीं आता था और वह भी फिर उनकी तरफ से कहा गया जो प्रगतिशील होने की कई बार बातें कहते हैं, और इसी पक्ष की तरफ के हैं, तो मुझे दुख हुआ है इस प्रकार के अमेंडमेंट से। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि अब इस धारा पर विशेष वाद-विवाद में न पड़ कर अपने इस एमेंडमेंट को वापिस ले लें।

श्री चांदमल मेहता—माननीय उपाध्यक्ष, मैंने धारा २३ के ऊपर जो विचार जाहिर किये उन विचारों को कई साथियों ने अलग अलग ढंग से बताने की कोशिश की है। शायद वे, अमेंडमेंट को रखते वक्त मेरी वास्तविक भावनाएं क्या थीं, नहीं समझ सके हैं। मैं माननीय रेवेन्यू मन्त्री से यह आश्वासन चाहता था कि वास्तव में किसानों का इतना हित किये जाने की बात हो कि उनकी जमीन नहीं जाय तो खातेदारी राइट्स लेने के लिये कई गुना जमीन (जमीन की कीमत) देनी पड़ेगी तो खातेदार को उतने पैसे नहीं देने की वजह से उसकी जमीन उससे छिन न जाय इसके लिये कोई न कोई हल निकालते। दूसरी ओर रेन्ट के सिलसिले में अदा नहीं करने की हालत में उनको बेदखल किये जाने की जो बात है....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वे खन्ड बाकी हैं। वे आयें तब इस बात की चर्चा की जाय अभी तो जो मूल क्लॉज़ है उसी पर चर्चा की जाय।

श्री चांदमल मेहता—जिन क्लॉज़ों को रखा जा रहा है वह ऐसे व्यक्ति हैं जिनको यह कहा जा सकता है कि वे गवर्नमेंट की ओर से क्लॉज़ रक्खे जा रहे हैं, गवर्नमेंट की ओर से वे धाराएं इसी रूप में देते हैं तो सम्भव है कि जैसा कहा जाता है कि मेरे इस संशोधन से सामन्तवाद फैलेगा, उसके बजाय इन क्लॉज़ों के पास होने की वजह से कहीं अधिक सामन्तवाद फैलेगा, इससे नहीं।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर-मेरवाड़ा हमारी रियासत का पड़ौसी है, वहां की और किशनगढ़ की जमीन में कोई फर्क नहीं हो सकता, किन्तु आज अजमेर-मेरवाड़े के किसानों से किसनगढ़ के किसानों की हालत अच्छी है, अजमेर-मेरवाड़े के किसानों को हर अकाल के समय कई दफा अपनी जमीनें बेचनी पड़ती हैं।

तो इस तरह की धारा रखने से पहले ऐसी कोई कानूनी व्यवस्था करनी आवश्यक थी कि किसान को आवश्यकता पड़ने पर आर्थिक मदद दी जा सके। अगर ऐसी व्यवस्था होती तो यह एमेंडमेंट रखने की ही नौबत नहीं आती।

मैं समझता हूं कि किस तरह मेरे कहने का मतलब लिया गया है, जो प्रगतिशील होने की बात कही, जो इस प्रकार का भाषण आज देते हैं उनसे तो मैं ज्यादा प्रगतिशील हूं। मैं यह भी बता दूं कि कोई बोहरों का डेपुटेशन मेरे पास नहीं आया। आज अजमेर-मेरवाड़ा के किसानों की हालत देख कर ही मुझे ख्याल आया कि कहीं सारे राजस्थान के किसानों की हालत वैसी नहीं हो जाय। इसी भावना से प्रेरित होकर मैंने यह एमेंडमेंट रखा था। राजस्थान सरकार अगर इस तरह का कानून बनाने को तैयार है कि जिससे किसानों की जमीन मोर्टगेज नहीं हो, बेची न जावे तो मैं इस एमेंडमेंट को वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं। किसानों को किसी हलत में जमीन बेचने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा, ऐसा कानून राजस्थान सरकार लायेगी। मैं आशा करता हूं कि सरकार ऐसा कानून लाकर साबित कर देंगी कि वे प्रगतिशील हैं।

मैं अपना अमेंडमेंट वापिस लेने की सदन से आज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री चांदमल मेहता को उनका संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत

संशोधन वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना एमेंडमेंट वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २३ विधेयक में अंगरूप से जोड़ा जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २३ विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

(विराम)

श्री मोहनलाल सुखाडिया—क्लॉज़ १६

श्री जवानसिंह—क्लॉज़ेज १४ और १५ भी बाकी हैं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इसके बाद में ले लेंगे, पहले १६ ले लें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पहले ११ ए. क्यों नहीं लिया जाय ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं पहले कह चुका हूं कि इसे ३६ और ३७ पास होने के बाद लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज़ १६ ए अब लेना चाहिए।

श्री कुं० जसवन्तसिंह—मेरा निवेदन है कि यह क्लॉज़ १४ का संबन्ध सब टिनेन्ट की डेफिनिशन से है, इसलिए दोनों को सिलसिले वार चलायें तो संबन्ध ठीक रहेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जब मन्डे को मीट करेंगे तो इसको ले लेंगे।

श्री हिम्मतसिंह—क्लॉज़ ४ का सब क्लॉज़ (४३) 'ट्रेसपासर' भी बाकी है। पहले इसको ले लिया जावे।

(अनौपचारिक चर्चाएं)

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज़ १६ ए.

श्री मथुरादास माथुर— we can go ahead with CHAPTER IV.

श्री उपाध्यक्ष—श्री किशनलाल शाह।

श्री श्रीदासगोयल—Amendment number, Sir ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—At this late stage ?

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इसमें इम्पोर्टेन्ट क्लॉज है, अभी वे गैर हाजिर है; इस कारण उनके एमेंडमेंट लेप्स हो जावेंगे। या तो उनके एमेंडमेंटस को रिटेन कर दें या कल लें। उनको पोस्टपोन कर दें। उनको मालूम नहीं था कि उनके एमेंडमेंट अभी लिये जावेंगे।

श्री सोहनलाल भटनागर—जब कल पोस्टपोन किया गया था उस वक्त यह स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि कल लिये जावेंगे। इसलिये जिन मित्रों ने अपने अमेंडमेंट मूव किये थे उनको हाजिर रहना चाहिये था, एबसेन्ट नहीं रहना चाहिये।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—कल का समय तो निकल गया। उनको क्या पता था कि उनका एमेंडमेंट आज अभी ले लिया जा रहा है। वे हाउस के बाहर है उन्हें बुला लिया जावे। All the Members are taken unaware as regards their amendments.

श्री उपाध्यक्ष—श्री श्यामलाल गोयल अपना एमेंडमेंट जब तक मूव कर दें और जब श्री किशनलाल शाह आजावेंगे तो उनके एमेंडमेंट ले लिये जावेंगे।

श्री मथुरादास माथुर—we can take Chapter IV, if you have no objection.

श्री हिम्मतसिंह अटरू—All the Members are taken unaware as regards their amedments.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—चैपटर ४ क्यों नहीं लिया जा सकता ?

अध्याय ४—खण्ड (२४)

श्री उपाध्यक्ष—चैपटर ४, क्लॉज़ २४ श्री नाथूराम मिर्धा।

श्री मथुरादास माथुर—I think the amendment is in my name, Sir.

श्री हरिकृष्ण व्यास—You are both transferable and mutually replaceable.

श्री मथुरादास माथुर—List No. xv, Amendment No. 245.

My amendment is very technical. It is an improvement on the language of the original clause This original clause reads as such —

"24. Interest of tenants-The interest of a tenant is heritable but not transferable except as laid down in this Act." Now it will be, "Save as provided in this

[श्री मथुरादास माथुर]

Act. the interest of a tenant in his holding is heritable but not transferable." I hope it will be accepited.

श्री मथुरादास माथुर—(अश्रव्य)

कं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मैं इस एमेंडमेंट में एमेंडमेंट रखना चाहता हूं अगर आपकी आज्ञा हो तो।

(आज्ञा प्रदान की गई)

ये भी मेरे माननीय मित्र एक बहुत बहादुर आदमी हैं और किसी से डरने या खतरा रखने वाले नहीं हैं जिन्होंने यह एमेंडमेंट रखा है। फिर भी इनके एमेंडमेंट में डरने की भावना दिखाई देती है, उनको खतरे की भावना भी हो सकती है। उनकी भावना ठीक है। काश्तकारों से बहुत काम लेना है। काश्तकार एक बहुत बड़ी शक्ति है, उससे डरना पड़ता है, उनसे वोट का काम भी पड़ता है। इसके हर काम में डरने की भावना इम्पलीकेट की है और उसको मिटाने के लिए मेरे मित्र मेरे से इत्तफाक करेंगे और मेरा एमेंडमेंट है वह उनके एमेंडमेंट से भी ज्यादा सिम्पल है और लेन्गवेज को इम्प्रूव करेगा और थोड़ा lurking फीअर है उसको भी दूर करेगा। मैं मेरे मित्र का जो एमेंडमेन्ट है उसको पढ़ता हूं और उसमें तरमीम रखना चाहता हूं "Save as provided is this Act. the interest of a tenant in his holding is heritable and not transferable."

मैं चाहता हूं कि काश्तकारों को यह बिलकुल साफ मालूम हो जाना चाहिये की उनके क्या हक हैं। वे जमीन के मालिक है और जमीन पर उनका पूरा हक है। वह जमीन का पूरा मालिक है और उसको उस जमीन पर हक ट्रांसफरेबल है और वे इस एक्ट का मूल तत्व समझें और इसको जान समझें। हर टिनेन्ट और काश्त करनेवाले को मालूम होना चाहिये कि वह जब चाहे अपना हक ट्रांसफर कर सकता है; वे यह कहने की हिम्मत नहीं करते हैं। मैं उनको यह कहने की हिम्मत दिलाने की कोशिश करता हूं कि वे निडर होकर यह कह दें।

"Save as provided in this Act, the interest of a tenant In his holding is heritable and transferable." जो यह एमेंडमेंट में लिखा गया है मैं समझता हूं डरते हुए रखा गया है और जिस तरीके से रखना चाहिये नहीं रखा गया है "not transferable" के बजाय 'transferable" होना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर—माननीय उपाध्यक्ष, मैंने तो आपके…… ……

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a Point of order, Sir, is the Hon'ble Member exercising his right of reply before the Hon'ble Member in charge of the Bill exercises his, because that will conclude the debate.

श्री मथुरादास माथुर—If the Hon'ble Member does not want to say anything why should I wait for him ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—Because that will conclude the debate.

श्री मथुरादास माथुर—No Member was ready to speak and therefore I am exercising my right of reply.

श्री सोहनलाल भटनागर—No formal amendment has been moved and as such every Member has a right to object.

श्री मथुरादास माथुर—I was only objecting that the Hon'ble Member who has moved an amendment on my amendment is not premissible under the Rules of Business, because you can give an amendment even now if the Hon'ble Deputv Speaker permits and no body objects. You have suggested an improvement to this. So I say, my objection is that your amendment is not in order.

कं० श्री जसवन्तसिंह—It is absolutely in order. This is the system we have established. According to this procedure not only at the last hour but at the twelth hour amendments are being accepted. On this stand, I hope the Chair will permit me to give my amendment in writing.

श्री उपाध्यक्ष—I have allowed you to give in writing,

श्री जवानसिंह—At least I have the right to speak over this amendment.

माननीय उपाध्यक्ष, इस धारा में अभी संशोधन के ऊपर एक संशोधन और प्रस्तुत किया गया है; इस विषय में मैं दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं। वैसे सरसरी तौर से देखा जाय तो जैसी कि ओरिजिनल बिल में शब्दावली है और जैसी कि संशोधित रूप में यह धारा सदन के समक्ष प्रस्तुत की गई है, उस संशोधित धारा पर भी संशोधन प्रस्तुत किया गया है। कोई वैसी बात नहीं है सिवाय इसके कि एक-दो शब्दों का हेर फेर ही नजर आता है, लेकिन इसके पीछे एक बड़े सिद्धांत का सवाल है। प्रोपर्टी के राइट्स किस प्रकार के होने चाहिये ? किस प्रकार की प्रोपर्टी के सिद्धांत को लेकर हम आगे किसानों को हक देने जा रहे हैं ? तो ये तमाम चीजें हैं, ये

[श्री जवानसिंह]

तमाम अधिकार हैं, प्रोपर्टी की कीमत इस एक धारा में निहित है । इसीलिए गम्भीरतापूर्वक विचार करें तो इस क्लॉज़ में हमें इस बात की पुष्टि मिल जायगी कि हम काश्तकारों को उसकी लेन्ड के लिए किस प्रकार का हक देने जा रहे हैं । इस बात को मानता हूँ कि जिस प्रकार दूसरी जायदाद शहर में किसी एक आदमी के पास होती है और उस पर, यानि उस जायदाद पर उस व्यक्ति का कितना अधिकार होता है ? इस चीज को मैं मानता हूं कि पहली चीज़ जो इनहेरिटेबल जमीन है उसको हमने मन्जूर किया तो ट्रान्स्फर का सवाल पैदा होता है । मेरा ख्याल है साधारण तया प्रोपर्टी की डेफिनिशन होती है । उसके अन्दर जो निहित गुण होते हैं उसकी तरफ ख्याल करें तो हमें मालूम हो जायगा कि यहां पर हमने प्रोपर्टी की कीमत सीमित ही रखी है । अगर उस प्रोपर्टी का ठीक तरह से एनेलेसिस किया जाय तो उसके अलग अलग गुण मालूम होंगे और सर्व गुण सम्पन्न इस प्रोपर्टी की परिभाषा को नहीं पाते, काश्तकारों के हक़ूक के सिलसिले में । तो मैं यह निवेदन करना जरूरी समझता हूं कि इस बात को हमें सबसे पहले तय कर लेना है कि हमें काश्तकारों को उनकी जमीन पर पूरी तरह से स्वतन्त्रता पूर्वक अधिकार देना चाहिये, और अगर हमने इस सिद्धांत को मान लिया और हर एक सदस्य इस बात को जानता है कि काश्तकारों को उनके अधिकार देना चाहिए, उनको हम अधिकार देना चाहते हैं, और जो जो प्रोविज़न्स दो चार धाराओं में हमने रखे हैं, और आगे भी प्रोविजन्स आ रहे हैं हमें उन पर विचार करना है । तो यह स्पष्ट रूप से मालूम हो जायगा कि इस धारा २४ के जरिये आया कि प्रोपर्टी के क्या गुण होने चाहिए, जहां पर काश्तकारों को हक़ूक दें, और उसको उसकी जायदाद मानकर चलते हैं, तो जो उस प्रोपर्टी के गुण उस लैन्ड में निहित हैं तो क्या हम वे गुण उन्हें देने जा रहे हैं या नहीं ? इसलिए यह एक सिद्धांत की बात पैदा हो जाती है और जो मामूली सा संशोधन विरोधी दल के नेता ने रखा वह एक गहरे विषय से सम्बन्धित है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमें इस बात को इस वक्त सही तौर पर सोच लेना है कि हम किसानों को क्या अधिकार देने जा रहे हैं ? जहां तक इस ओर बैठने वालों का सवाल है मैं उनकी ओर से निवेदन करूं कि हम इस बात से सहमत हैं कि हर किसान को उसकी प्रोपर्टी पर पूरा हक हो । जैसे शहर में रहने वाला एक निवासी का उसकी जायदाद पर पूर्णतया हक होता है उसी प्रकार एक किसान का उसकी जायदाद पर, जिसमें कि केवल जमीन है, उस पर उसका पूरा हक होना चाहिए, उसका उस पर पूरा अधिकार होना चाहिए । मैं इस बात को अच्छी तरह और खुले शब्दों में सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं, इस ओर बैठने वालों की ओर से, आपकी ओर से जब हम इस चीज़ को मानते हैं तो फिर यह सीमा बन्दी क्यों प्रोपर्टी के ऊपर, लैन्ड के ऊपर लगायी जा रही है ? " नोट ट्रान्सफरेबल " जो शब्द रखे गये हैं मैं उनको मानने के लिए कतई तैयार नहीं हूं । मैं यह मानता हूं कि लैन्ड के ऊपर, प्रोपर्टी के ऊपर किसान का अधिकार होना चाहिए । इस चीज को हमें मानना चाहिये और इस चीज को मानते हुए यहां पर " लैन्ड ट्रान्सफरेबल और इन्हेरिटेबल " दोनों ही होने चाहिये । अगर उसके साथ यह सोचें कि हम उसके ऊपर किसी तरह का बन्धन लगायें ट्रान्स्फर करने के लिए तो उन बन्धनों को, इस सिद्धान्त को मानते हुए दूसरे

[श्री जवानसिंह]

शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं और ये ज्यादा उपयुक्त होंगे "Except as provided in this Act" ट्रान्सफर और इनहेरिटेबल अगर आप इस सिद्धान्त को मान लेते हैं, तो आप पूर्ण अधिकार लैन्ड पर किसानों को दे रहे हैं और जैसा कि बहबूदी के लिए ख्याल एक रूप में रखते हैं और उनके ऊपर कुछ बन्धन लगाने हैं तो आप उन बन्धनों को एक एक्सेशनल रूप में ला सकते हैं। किन्तु सिद्धान्त रूप से इस सिद्धान्त का इस धारा में प्रोविजन करना जरूरी है। इस चीज को तो मानना ही पड़ेगा, और हमें जिस प्रकार शहर में रहने वाले व्यक्ति के पास जो प्रोपर्टी है उस पर उसका अधिकार है उसी प्रकार काश्तकारों के पास भी जो प्रोपर्टी है, जिनके पास केवल काश्त करने की जमीन है, उस पर उनका अधिकार हो, इसमें कोई फर्क नहीं करना है।

शुरू में ही धारा (५) पास की है और उसमें इस बात को मान लिया है कि लैन्ड होल्डर की तारीफ में सरकार भी आयगी। मैं धारा (५) का अर्थ सीमित मानता हूं। वह तो केवल प्रोसिजर के लिये है, जहां तक कि कानूनी मामलों का सवाल पड़ता है और मालिकाना हक़्क़ का सवाल नहीं पैदा होता। कानून के नाते जहां प्रोसिजर का सवाल है वहां लैन्ड होल्डर को उस हिसाब से मानते हैं, लेकिन जहां मालिजाना हक़्क़ का सवाल है इसको निश्चित रूप से और खुले आम मानना होगा कि किसानों को जमीन पर पूरे अधिकार देने होंगे। जिस प्रकार दूसरे लोगों का अपनी प्रोपर्टी पर अधिकार होता है, उसी प्रकार किसान को भी उसकी जमीन पर जिसको कि वह जोतता है, जो कि उसके जीवन निर्वाह का एक मात्र जरिया है, जिसको वह सब कुछ मानकर अपनी उसी के सहारे जिन्दगी व्यतीत करता है, वैसे ही हक देने हैं। तो जो अमेन्डमेन्ट विरोधी दल के नेता द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह उसी सिद्धान्त को घोसित करता है कि किसान स्वतन्त्रता पूर्वक अपनी जमीन पर आजीविका निर्वाह करे और वह उसके अधिकार में रहे। हमें उसी सिद्धान्त को पुष्ट करना चाहिये। अतः मैं निवेदन करूंगा कि विरोधी दल के नेता ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है और इस सिद्धान्त को पुष्ट किया है कि किसानों को उसकी जमीन पर मालिकाना हक मिलना चाहिए, उसको आप पास करके बतावेंगे कि आप जानकर भी मालिकाना हक़्क़ देना चाहते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय उपाध्यक्ष, जो यह मूल क्लॉज़ है उस पर डीडवाना से आने वाले महानुभाव ने जो एमेन्डमेन्ट पेश किया है वह केवल भाषान्तर है और उसको स्वीकार करने में मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो एमेन्डमेन्ट के ऊपर एमेंडमेंट पेश किया गया है वह मैं समझता हूँ कि बिल के देखने से स्पष्ट हो जायगा। ट्रान्सफर के बारे में हमने प्रतिबन्ध लगाये हैं आगे जाकर भी, और हम उन प्रतिबन्धों को आवश्यक समझते हैं। उनसे अधिकारों का छीना जाना या और दूसरी बातों का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इसमें कुछ सीमायें दी हुई हैं उसी सीमा तक ही ट्रान्सफर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। आम तौर पर सोशल जस्टिस को पोइन्ट ऑफ व्यू से भी इतना ही रखा जाना आवश्यक है। आखिर जो अधिकार

Page No.67

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

ट्रान्सफर्स के हैं उसी हद में ट्रान्सफर कर सकते हैं। बिना प्रतिबन्ध के ट्रान्सफर करना चाहें तो यह हक अब टिनेन्ट्स को देना उचित नहीं होगा। कु. श्री जसवन्तसिंहजी ने जो जबानी एमेन्डमेन्ट रखा है उसको मैं मानने में असमर्थ हूँ और मेरे मित्र श्री मथुरादासजी माथुर ने जो संशोधन पेश किया है उसको स्वीकार करता हूँ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने मेरे एमेन्डमेंट का अर्थ ही गलत समझा है। मेरा कभी यह आशय नहीं कि जो प्रतिबन्ध ट्रान्सफर्स के इसके अन्दर दिये हैं उनको न माना जाय। मेरा कहना तो यह है कि जो मूल सिद्धान्त हैं, फंडामेन्टल राइट्स हैं ट्रान्सफर के, वे हक हरेक को मिलने चाहिये; जिस हक को हम मानते हैं, जिसका मतलब मेरे मित्र मथुरादास जी द्वारा रखे हुए संशोधन में मौजूद हैं। मैं अपने एमेन्डमेंट द्वारा यह कार्य सीधे रस्ते से करना चाहता हूँ, उसी पॉइन्ट को घुमा फिरा कर मेरे मित्र राउन्ड दी बुश होकर करना चाहते हैं। मेरे एमेन्डमेंट में और उनके द्वारा दिये हुए एमेन्डमेंट में कोई फर्क नहीं। मुझे पता नहीं कि माननीय मंत्री जी ने ऐसा कैसे कहा कि उन प्रतिबन्धों को मेरा अमेन्डमेंट तोड़ना चहता है। मेरी मंशा साफ है कि जहां कहीं भी फंडामेन्टल राइट्स की सुविधायें दी हुई है उस तावे इस बात को खुल्लम खुल्ला मानना चाहिये। ट्रान्सफर के राइट हर इन्सान को हैं, मगर इसके साथ साथ इस बिल में मौजूदा रूप में ट्रान्सफर पर जो प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है "Save as provided in this Act" इसके मायने यह हुए कि जो प्रतिबन्ध लगाये जायेंगे वह ट्रान्सफर पर लगेंगे। मथुरादास जी ने अपने एमेन्डमेंट में घुमा फिराकर रखा है। 'बट नॉट' इसके मायने यही हुए। मेरे संशोधन को मानना या न मानना यह तो माननीय मंत्रीजी की मरजी पर है, किन्तु है यह वाजिब। इसके साथ-साथ में यह भी नम्रता से निवेदन करूंगा कि मेरा एमेन्डमेंट इन प्रतिबन्धों के विरुद्ध नहीं जा रहा है और मेरी कतई यह मन्शा भी नहीं है। इसलिये माननीय मंत्री जी के समझने में शायद गलतफहमी हो गई है, किन्तु स्पष्ट रूप से किसानों को यह बतलाना चाहता हूं कि उनके जो इनहेरेन्ट राइट्स हैं वे मान लिये गये हैं मेरे एमेन्डमेंट द्वारा, और जो प्रतिबन्ध उनके हित के लिए जरूरी है वे भी प्रतिबन्ध कायम हैं।

श्री मथुरादास माथुर—माननीय उपाध्यक्ष जी, विरोधी दल के नेता ने जो तरमीम रखी है उसे मैं मानने के लिये मजबूर हूँ। उनकी तरमीम से मेरी तरमीम में कोई प्रेक्टिकल एक्सप्रेशन में फर्क नहीं पड़ने वाला है। वे यह कहते हैं कि किसानों को हक होना चाहिये अपनी जमीन और अपने राइट्स को ट्रान्सफर करने का। मेरा मतलब है कि जो हक कानून देता है वही हक उनको होना चाहिये। आखिर उनके और हमारे संशोधन में प्रेक्टिकल एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं, किन्तु अप्रोच दोनों का जुदा-जुदा है। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात को बहुत साफ किया है। हमें यह मानना है कि जमीन का मालिक कौन है? आज जमीन की प्रोप्रोइटरशिप वेस्ट (Vest) करनी है सरकार में या टिनेन्ट में। यह सिद्धान्त की बात है।

[श्री मथुरादास माथुर]

हमारे प्रेजेन्ट कानून में प्रोप्राइटरशिप है सरकार में वह किसानों को जमीन देती है और उसकी एवज में किसान रेन्ट और लेन्ड रेवेन्यू सरकार को देता है। इस सम्बन्ध में। सिलेक्ट कमेटी में भी काफी बहस हुई व आखिर यह मान लिया गया। कानून की जो मन्शा है वह मान लिया गया है। जमीन का मालिक किसान है, किन्तु ऑनरशिप वेस्ट करती है सरकार में, यह सिद्धान्त हमने मान लिया। जब सरकार में जमीन की ऑनरशिप वेस्ट करतो है तो किसान को ऑक्यूपेन्सी राइट्स दिये हुए हैं। सरकार ने जो जमीन दी है उसकी एवज में वह सरकार को रेन्ट रेन्ट देता है। हमने यह उसूल मान लिया कि ऑनरशिप किसानों में वेस्ट नहीं करती, केवल ओक्यूपेन्सी राइट दिये हुए हैं और यही इस एक्ट में भी माना गया है। यू०पी० में भी यही माना गया है और दूसरी स्टेटों में भी यही माना गया है। इस तरह से आपके एमेंडमेंट से मेरे एमेन्डयेट में कोई अन्तर पड़ने वाला नहीं। जो आप किसानों को राइट्स दिलाना चाहते हैं वे तो मिले हुए हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस एक्ट की मन्शा को देखते हुए, इसके सिद्धांन्त को देखते हुए मेरी तरमीम ही मुनासिब होगी। अगर हम आपके एमेन्डमेन्ट को मान लेते हैं तो होल फन्डामेन्टल को बदलना होगा, और फिर इस एक्ट की भाषा और क्लॉज़ की भाषा को बदलना होगा और इस तरह से सारे एक्ट में तब्दीली करनी होगी। मुनासिब यही समझा गया है, और भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन ने भी यही सिद्धान्त माना है। आपकी तरमीम से कोई प्रेक्टिकल एक्सप्रेशन में अन्तर पड़ने वाला नहीं है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह— माननीय उपाध्यक्ष, मैं एक स्पष्टीकरण करवाना चाहता हूँ; चाहे तो उस बात का माननीय मंत्री जी स्पष्टीकरण करें या मेरे मित्र मथुरादास जी। मेरे ख्याल में कुछ कनफ्यूजन हो रहा है। मुझे अभी तक साफ बात मालूम नहीं हुई। उदाहरण के लिये, ख्याल कीजिये, गंगानगर कोलोनी को आप लीजिये, जहां के किसानों ने एक-एक मुरब्बे के हजारों रुपये देकर प्रोप्राइटरी राइट्स हासिल कर लिये हैं, जिस जमीन की कीमत इतनी राजस्थान में मिलने वाली नहीं। एक-एक मुरब्बा के १५, १५ हजार रुपये देकर उन्होंने प्रोप्राइटरी राइट्स हासिल कर लिये है। अब क्या यह समझा जाय कि जैसा कि मथुरादासजी ने भाषण दिया उसके मायने यह समझे जावें, कि यही गवर्नमेंट पॉलिसी है कि जो प्रोप्राइटरी राइट्स गंगानगर जिले में लोगों ने बहुत कीमत देकर हासिल किये हैं क्या उनको अब प्रोप्राइटर नहीं समझा जायगा ? क्या वह जमीन सरकार की समझी जायगी? क्या उस पर सरकार का हक होगा ? मथुरादासजी माथुर के भाषण से तो यही प्रतीत होता है कि उस पर सरकार का अधिकार होगा। यह हम लोगों की मन्शा को एजीटेट करने लगा है कि सरकार की यह मन्शा है कि इतनी बड़ी कीमत देकर जिन्होंने प्रोप्राइटरी राइट्स हासिल किये हैं वे केन्सिल कर दिये जायेंगे। अगर वास्तव में सरकार की मन्शा यही है तो मैं यह कहूंगा कि उनके फंडामेन्टल राइट्स, जो उन्हें संविधान के अधीन प्राप्त हुए हैं, उसके विपरीत होगा। यह विपरीत ही नहीं होगा, मैं तो उन सब गंगानगर के काश्तकारों को यह सलाह दूंगा कि यदि वास्तव में हमारी सरकार की यही मन्शा है तो वे रिट्स करें, इस मामले

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

को हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ले जावें। जहां तक मेरा ख्याल है उनको इसमें कामयाबी हासिल होगी।

श्री मथुरादास माथुर—Sir, after my right of reply why the debate continues ? I only clarified a point raised by the Leader of opposition because he wanted some clarification. Now as a matter of fact if the Members are allowed to speak. I have no objection but I must be given a right of reply.

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)—आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं, माननीय मंत्रीजी इसका जवाब देंगे।

श्री मथुरादास माथुर—Because the amendments are mine. I want a ruling by the Chair.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—उन्होंने जो बात कही कि सारा नुकसान करते हैं गंगानगर में; मैं समझता हूं कि गंगानगर के जमींदारों का जिनको पट्टेदारी राइट्स हैं उनसे इसका सम्बन्ध नहीं जुड़ता है। हमें इसको सेपरेट रखकर चलना चाहिये। जनरल प्रिन्सिपल की बात आपने कही है, सारे राइट्स स्टेट में आकर के वेस्ट करते हैं; ऐसी बात कहीं नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—उन्होंने शब्द 'occupancy' बतलाया था इसलिये झगड़ा पड़ गया। occupancy rights and not the proprietary rights.

श्री कपिल देव अग्रवाल—You force them,

श्री उपाध्यक्ष—उनको कम्पन्सेशन मिलेगा उसके लिये।

श्री मथुरादास माथुर—मैंने यह कहा था कि अगर इस एक्ट में यह मूलभूत बात थी ...

श्री उपाध्यक्ष—अब मेरे ख्याल से एक्सप्लेशन की जरूरत नहीं है .. ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—I am not satisfied what my friend, the Revenue Minister, has just said.

श्री मथुरादास माथुर— Thank God, you are satisfied.

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—अब हम समझ गये कि आपका (श्री मथुरादास) एक्सप्लेनेशन अनऑथोराइज्ड था।

श्री उपाध्यक्ष—जमींदारी के लिए अलग एबोलिशन का बिल लाने की बात चल रही है। यह तो टिनेन्सी बिल की बात है।

अब प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जसवन्तसिंहजी ने श्री मथुरादास माथुर के संशोधन पर प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—माननीय उपाध्यक्षजी, इसके पहले कि आप एमेंडमेंट पर मत लें मैं इतना......

श्री उपाध्यक्ष—आप कहां रह गये थे इतनी देर?

श्री भैंरोसिंह—टिनेन्ट 'शब्द' वहां पर था और 'पट्टेदार' जागीरी टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत। इससे बाद में कठिनाई पैदा हो सकती है। इसलिए इस पर माननीय मन्त्री महोदय थोड़ा प्रकाश डाल दें तो अच्छा हो।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—पट्टेदारी तो आगे कई बार आवेगी, तब देख लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री मथुरादास माथुर ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २४, संशोधनानुसार, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

[श्री उपाध्यक्ष]

खंड २५—श्री मथुरादास माथुर ।

खंड (२५)

श्री मथुरादास माथुर—"In clause 25, after the words 'bequeath his' the words 'interest in the' be inserted." It will read—

"25. Bequest.—A Khatedar tenant may by will bequeath his interest in the holding or part thereof...

It is self-explanatory, if you have followed it.

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, इसके लिए तो मैं एमेंडमेंट मूव करने की इजाजत चाहूंगा । यह जो एमेन्डमेन्ट माननीय मथुरादासजी ने रक्खा है उसके माने, मैं तो यह समझूंगा कि जो सिर्फ होल्डिंग में इन्ट्रेस्ट रक्खेंगे वह लिमिटेड इंन्ट्रेस्ट होगा । असल बिल में जो प्रोविजन रक्खा गया है इस माफिक है—

"A Khatedar tenant may by will bequeath his holding or part thereof in accordance with the personal law to which he is subject, bequeath his holding" बिक्वीथ होल्डिंग मिलाना चाहते हैं तो लिमिटेड इन्ट्रेस्ट से काम नहीं चलेगा ? तो मेरा एमेन्डमेंट इस प्रकार होगा:—"A khatedar tenant may by will bequeath his holding or interest in the holding or part thereof in accordance with the personal law to which he is subject."

ये दोनों बातें जरूर हों । लिमिटेड इन्ट्रेस्ट जैसा कि मथुरादासजी करना चाहते हैं वह और इसी तरह से बहुत सी होल्डिंग्स में फ़ुल इन्टरेस्ट भी होगा वह । तो यह दोनों बातें इसमें रहें ।

"Bequeath his holding as well as interest in his holding"

दोनों बातें अलग-अलग हैं और मेरे एमेंडमेंट के माफिक होगा 'bequeath his holding as well as interest in his holding or part threof' यह एमेंडमेंट होना जरूरी है ।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दर असल होल्डिंग इन्टरेस्ट लिमिटेड इन्टरेस्ट है या साझेदारी होल्डिंग; इसका खुद इतना ही लिमिटेड इन्ट्रेस्ट है खेत की काश्त पर और इस एक्ट के तहत जितने राइट्स उसको इस एक्ट में दिये गये हैं उतने ही वह

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

बिक्वीथ कर सकता है। इसके आगे बहुत से इन्ट्रेस्ट हैं। वह सब-लेट नहीं कर सकता है, मोर्टगेज नहीं कर सकता है। मगर वह सब इस प्रोविजन के खिलाफ है। जिसका इन्ट्रेस्ट नहीं है वह बिक्विथ नहीं कर सकता है। जितना खुद का अधिकार है उसके आगे वह नहीं जा सकता है।

इसमें लफ्ज 'इन्ट्रेस्ट' ही रहेगा, पर होल्डिंग तो कभी मालिक की है ही नहीं, सेम लिमिटेड होल्डिंग का अधिकार है। इसलिए माथुर साहब की तजवीज वाजिब है और मेरे ख्याल से माननीय जसवन्तसिंहजी को कन्फ्यूजन हो गया है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—कन्फ्युजन तो जरूर है। पर लीगल्ली लैंग्वेज तो ठीक है।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—इस तरह से ऑक्युयेन्सी राइट्स और प्रोपर्टी राइट्स पैदा हो गये हैं। यह कन्फ्युजन हो गया है। खातेदार को प्रोपर्टी राइट्स हैं या नहीं और ओक्यु-पेन्सी राइट्स भी हैं या नहीं? अगर प्रोपर्टी राइट्स हैं तो किसी समय पर बिक्वीथ कर सकता है। इसलिये यह मन्त्री महोदय साफ करें कि प्रोपर्टी राइट्स हैं या नहीं किसान को?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—Whatever interest he has got.

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—This is a matter which is not to be kept in ambiguity.

श्री श्रीदास गोयल—जो चैप्टर ३ में क्लॉज १४ है उसमें खातेदार टिनेन्ट को खुदकाश्त में क्या अधिकार है यह बहुत अच्छी तरह से डील विथ कर दिया गया है और यह फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल है कि खातेदारी राइट्स हैं वे कन्डीशल राइट्स हैं, एब्सोल्यूट राइट्स नहीं हैं, और यह भी एक प्रिन्सिपल है कि ऑल लैण्ड वैस्ट्स इन दी गवर्नमेन्ट है।

तो यह जो अधिकार दिया गया है कि एक आदमी अपने किसी लड़के को या रिश्तेदार को या अपने किसी डिपेन्डेन्ट को गिफ्ट देने में अपने अधिकार को यूज कर सकता है; इस तरह से जो एमेन्डमेन्ट है वह दूसरे क्लॉज़ के अन्तर्गत सही है और जिस क्लॉज़ की दलीलें मेरे माननीय मित्रों ने दी हैं वे कहीं बैठती नहीं हैं। फिर जो भी इन्ट्रेस्ट हैं वह होल्डिंग में ही है, और कहीं नहीं हो सकता। यह बहुत साफ हो जाना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर—Mr. Deputy Speakre. Sir......

श्री उपाध्यक्ष—Let the Minister reply.

श्री सुखाड़िया—माननीय उपाध्यक्ष, "Bequeath his holding as well as interest in holding." दलीलों से यह बात स्पष्ट हो गई है कि इन्ट्रेस्ट इन हिज़ होल्डिंग से उसका सम्बन्ध आता है। सारा का सारा इसके साथ जोड़ने का प्रश्न नहीं आता है। उस हालत में भी इस एमेंडमेंट को स्वीकार किया जाय तो मैं समझता हूँ कि जिस कन्फ्यूजन के बारे में संकेत किया गया है कि फुल राइट्स होने चाहिए, यह बिल उसको लेकर चल रहा है; उन राइट्स के मामले में हमने कई जगह सोचा, इसलिए इन चीजों के लिए इन्ट्रेस्ट रखा है वह दूर हो जायगा। साथ में यह स्पष्ट करने वाला आवश्यक सुझाव है। इससे कन्फ्यूजन जो था या हो, वह दूर हो जायगा।

कु० श्री जसवन्तसिंह—कन्फ्यूजन इसलिए भी होगा कि दोनों बातों में, 'Bequeath his holding' as well as interest in the holding'- नहीं आती हैं। टिनेंट दो प्रकार की कायम हैं, और वे दोनों ही राजस्थान में हैं। तो यह कन्फ्यूजन दोनों के इन्ट्रेस्ट को पैदा करने के लिए " Bequeath his holding as well as interest in the holding ". विपरित सिद्धान्त के नहीं जा रहे हैं और हर किस्म की टिनेन्सी को फोलो करने वाले के लिए ऐसे फन्डामेन्टल डिफरेन्स नही हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है।

श्री मथुरदास माथुर—माननीय उपाध्यक्ष, फिर वही बात हुई। मेरी यह अर्ज है कि टेनेन्सी लॉ में अगर कोई राइट्स बिक्वीथ कर सकता है तो टेनेन्सी राइट्स ही कर सकता है। मेरी अर्ज है कि टेनेन्सी लॉ है वह खातेदार टिनेन्ट को बिक्वीथ करने का हक है जो इन्टेरेस्ट खातेदार का होल्डिंग में है, वह बिक्वीथ कर सकता है कि नहीं कर सकता है। खुदकाश्त टिनेन्ट है तो बिक्वीथ करने के राइट्स के अन्तर्गत वह खुदकाश्त के राइट्स के इन्टेरेस्ट को वह बिक्वीथ कर सकता है— He can't bequeath much more than what he has got. इसलिए वह जो सदेह आपने पैदा किया है कि टिनेन्ट को क्या राइट्स हैं, तो सेक्शन १४ और १५ को पढ़िये। आपका सवाल 'गोइंग टू' इनकर की तरफ जो है वह खातेदारी राइट्स नहीं गये हैं। जागीर एवोलिशन एक्ट में उसका फैसला हो सके, यहां नहीं होने वाला है टेनेन्सी एक्ट में :

The Tenancy Law can only confer tenancy rights aud therefore yon caunot bequeath a holdlng. You can bequeath only the interest in the holding. Therefore my amendment is correct aud legally justified.

अब आपका वह कन्फ्यूजन 'गोइंग टू इनकर' है तो वह जागीरदार के प्रोप्राइटरी राइट्स एबोलिश होंगे तब जाकर यह मामला फैसल होने वाला है, otherwise in this Act we would have given to a Khatedar Khatedari rights plus something more.

श्री मथुरादास माथुर--तो प्रोप्राइटरी राइट्स वगैरह जो है वे इसमें नहीं लिये गये है।

[श्री मथुरादास माथुर]

They don't come in the Tenancy Law. They have to be provided in any other law. I think it is very clear. That is what I understand.

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—ओन ए प्वाइन्ट ऑफ एक्स्प्लेनेशन, सर,..........

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, यह भी हम मान कर चलें कि प्रोप्राइटरी राइट्स टिनेन्सी में नहीं हैं। मेरी अर्ज है कि आपने टिनेन्सी एक्ट में जितना किया। You have already done in those chapters. उससे तीन तरह के टिनेन्ट्स हैं—'खातेदार', 'सब टिनेन्ट' और 'खातेदार टिनेन्ट', उनको जो राइट्स दिये हैं, वह पढ़ लिये जायं। वह उनको अलावा खातेदारी राइट्स के राइट मानते हैं और गंगानगर वाले आ जाते हैं, तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर—उस सेक्शन में आते हैं। नहीं तो फिर गंगानगर वालों को बरगलाने की कोशिश की जाय और फिर एबोलिशन ऑफ जमींदारी से ही फैसला होगा। उन्हें हक मिलेंगें या जायेंगें।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मथुरादास माथुर ने क्लॉज़ २५ पर प्रस्तुत किया है, वह स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २५, एज़ एमेंडन्डेड, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

Clause 25, as amended, is added to the Bill.

खंड २६

श्री उपाध्यक्ष—क्लाज नं० २६, श्री वेदपाल त्यागी।

श्री कपिलदेव—वह तो गये, साहब।

श्री उपाध्यक्ष—श्री वेदपाल त्यागी।

श्री हिम्मतसिंह—मौजूद नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष—The question is that clause 26 be accepted.

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)—इस पर बोलना है।

श्री श्रीदास गोयल Mr. Deputy speaker, Sir, there are amendments, Sir, On clause 26 I have moved an amendment that clause 25 of the original Bill may be substituted in place of the present clause 26 of this Bill.

श्री उपाध्यक्ष—यह तो अभी आपने दिया है, just Now.

श्री श्रीदास गोयल—Yes Sir, that is why I have been moving this amendment. This amendment is very important, it demands all original, fundamental differences on the principles of inheritance and succession, और इसके सिलसिले में मुझे यह गुजारिश करना है कि यहां पर सबटिनेन्ट हैं..

श्री उपाध्यक्ष—इसका नोटिस तो मिला नहीं।

श्री श्रीदास गोयल—(अपना भाषण जारी रखते हुए) That is the convention and your honour is in the position. ओरीजिनल बिल को ध्यान में रखते हुए सिलेक्ट कमेटी ने जो इसको डील विद किया है और सिलेक्ट कमेटी ने रिपोर्ट दी है, उसको चेलेन्ज इसलिए करता हूं कि उन्होंने यह लिखा है रिपोर्ट में कि जितनी भी और स्टेटस थीं उनमें भी जैसा कि क्लॉज़ २६ मौजूदा है, वैसी ही क्लॉजेज़ थीं।। इसलिए हम ड्राफ्ट बिल की क्लॉज़ २५ को चेन्ज करते हैं और वह क्लॉज़ २६ रखते हैं। That is with due respect to the report of the Select Committee, I pray that it is not correct और वह इस तरह से कि जयपुर टेनेन्सी एक्ट का मुलाहिजा फरमाया जाता जो कि टेनेन्सी एक्ट को लाकर नकल किया गया है; तो उसमें भी क्लॉज़ २५ आफ दी ड्राफ्ट बिल की जो है उसके अनुसार था। उसमें खास तौर से बहुत उसूल थे। तो पहला उसूल यह था कि जमीन के मुताल्लिक जो हक़ूक सक्सेशन के हैं वे इतने वाइड न रखे जांय जैसा कि हिन्दू लॉ में है। हिन्दू लॉ को कर दिया तो आगे आने वाले जो लोग हैं वे बराबर के आ जाते हैं, तो आगे जाकर फ्रेगमेन्टेशन आफ होल्डिंग्स में दिक्कत आती है, लिटीगेशन में पड़ने की गुंजाइश पैदा हो जाती है। इसीलिए २५ वीं क्लॉज़ इस तरह से ओरीजिनल बिल के अन्दर रखी गई थी और सक्सेशन के लिए एक हद कायम करदी थी और फादर्स ब्रदर्स सन तक महदूद कर दिया था इस प्रकार के सक्सेशन को। तो मैं यह निवेदन करता हूं कि जो अभी २६ वीं धारा है उसके स्थान पर क्लॉज़ २५ आफ दी ओरीजिनल बिल अगर रखा जाता है तो उसूलन यह दुरुस्त रहेगा और उससे किसानों को वास्तव में राहत पहुंचेगी वरना इसका इफेक्ट यह होगा कि जो मौजूदा २६ वीं क्लॉज़ है उसके बदस्तूर रहने के पश्चात् लिटीगेशन रोजमर्रा के बहुत

[श्री श्रीदास गोयल]

बढ़ जायेंगे और फ्रेगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग के लिए भी गुंजाइश होगी और बावजूद इसके पार्टीशन ऑफ लेन्ड के मुताल्लिक कुछ क्लॉजेज़ रखी हैं कि इससे ज्यादा फ्रेगमेन्टेशन के सम्बन्ध में पार्टीशन नहीं किया जायगा, उसका मतलब फ्रस्ट्रेट हो जायगा। ऐसी स्थिति में यह चाहता हूं कि सक्सेशन टू मेल टेनेन्ट जो मूल क्लॉज़ २५ में है और जिसमें यह दूसरी बातें की गई हैं कि..

"When a male tenant dies his interest in his holding shall devolve in accordance with the order of succession given below:

(i) male lineal descendants in the male line of descent;

provided that no member of this class shall inherit, if any male descendant between him and the deceased is alive and lastly father's brother's son,"

तो यदि "फादर्स ब्रदर्स सन्स' को छोड़कर हम हिन्दू लॉ के अनुसार या पर्सनल लॉ है; जो था मुस्लिम लॉ, जो इससे ज्यादा कांप्लीकेटेड है, उसके अनुसार हम अधिकार देते हैं तो बड़ी कठिनाई होगी। वहां भूआ, भतीजी, मामी और न जाने कौन कौन आजायेंगी? मुस्लिम लॉ के अन्तर्गत आते हैं तो किसानों के लिये, जो इल्लिटरेट हैं और गांवों में रहते हैं उनके लिये और भी कठिनाई हो जायगी। इसलिये क्लॉज़ २५ को बदस्तूर रखा जाय।

श्री मथुरादास माथुर—Sir, has the amendment been admitted ?

श्री उपाध्यक्ष—If nobody has any objection.

श्री मथुरादास माथुर—I raise an objection. I want to know this thing that there may be a number of amendments at the spur of the moment for moving. If an amendment is allowed I have no objection personally in this case but that would mean that we will move here at the nick of time any number of amendments. Nobody would care for giving proper notice.

श्री उपाध्यक्ष—I disallow this amendment.

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्ष, मुझे इतनी प्रार्थना करनी थी कि श्री वेद-पालजी त्यागी और दूसरों के भी एमेंडमेंट इसी तरह से आये थे और उन पर भी विचार करना जरूरी हो गया था। टीनेन्सी लॉ बनाने जा रहे हैं इसलिए हमको तमाम पहलू पर सोचना है।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—यह तो आपके फायदे की बात है।

श्री श्रीदास गोयल---उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह माना जाय कि आयन्दा भी जो एमेंड-मेंट्स एन टाइम पर आयेंगे वे डिसअलाउ होंगे ? Is it a discretion ?

श्री उपाध्यक्ष---Yes, I use my discretion and disallow the amendment. यहां ओब्जेक्शन रेज़ किया गया है । I allow the objection and reject the amendment,

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २६ विधेयक में अंग रूप से स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २६ विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

श्री वेदपाल त्यागी का एमेंडमेंट क्लॉज़ २६ (ए) के लिये है और वे आज गैर हाजिर हैं, इसलिये उनका अमेन्डमेंट नहीं लिया जायगा ।

(विराम)

खण्ड २७

श्री मथुरादास माथुर—I want to substitute clause 27 by a new one. My amendment is—we will have the head lines instead of the 'Provision in case of female heirs' as" Clause 27.—"PROVISION IN CASE OF WOMEN:— Where a woman, who has inherited the interest of a tenant in a holding, dies or marries or re-marries, as the case may be, or abandons or surrenders such holding or part thereof, such interest shall devolve on the heirs of the last male tenant in accordance with the personal law which is for the time being applicable to her."

इसमें एक तो लफ़्ज़ "फीमेल" की जगह "विमेन" किया गया है और एक 'मेरेज' के आगे 'or re-marries' और एड किया गया है और फिर आगे जाकर :

"such interest shall devolve on the heirs of the last male tenant in accordance with the personal law which is for the time being applicable to her." कर दिया है ।

श्री जसवन्तसिंह—माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहूँगा कि माननीय सदस्य को फीमेल्स क्यों घृणा है ? संसार की उत्पत्ति फीमेल्स के बगैर नहीं होती है, और यदि फीमेल्स नहीं होतीं तो यह सदन भी उनके बिना नहीं हो सकता था ।

श्री मथुरादास माथुर—I don't distinguish between a female and a male in that sense.

कु० श्री जसवन्तसिंह— यू. पी. का टिनेन्सी एक्ट देखेंगे तो उसमें भी 'फीमेल' शब्द काम में लिया गया है। 'विमेन' इतना सुन्दर शब्द 'फीमेल' के मुकाबले में नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर—May I know the difference between a woman and a female ?

श्री कपिलदेव—He says instead of 'women' you write 'female',

कु० श्री जसवन्तसिंह—यू. पी. टिनेन्सी बिल के क्लॉज़ ३६, ३७ देखेंगे तो उनमें सबमें 'फीमेल' शब्द है। यदि उनको वीमेन से खास प्रेम है तब तो मुझे एतराज नहीं है और 'फीमेल' से घृणा है तो कोई बात नहीं है। लेकिन उनको कारण बताना चाहिये कि 'फीमेल' से क्यों घृणा है और वीमेन से क्यों प्रेम है ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—जो सुझाव कुंवर साहब ने दिया है वह वाजिब है। विमेन और 'फीमेल' में बड़ा फर्क है A girl can't be called a woman, she will be regarded as a female. 'woman' टेक्निकल सेन्स में यूज होता है जहां 'फीमेल' आया है, वहां 'फीमेल' ही रहना चाहिये।

श्री श्रीदास गोयल—२७ क्लॉज़ के सिलसिले में यह प्रार्थना है कि आपने यह एमेन्डमेंट दिया : "Where a woman, who has inherited the interest of a tenant is a holding, dies or marries or re-marries, as the case may be." तो अब में यह गुजारिश करूं कि एक लड़की बिना शादी-सुदा है। उस लड़की को पिता की प्रोपर्टी उसके भाई वगैरह नहीं होने से मिल गई है। अब वह बिना शादी-सुदा लड़की शादी करती है। उसको १६ साल की उम्र में प्रोपर्टी इसलिये मिली कि उसके पिता के लड़का नहीं था। यदि वह शादी करती है, जैसा कि यह क्लॉज़ रखा है और जैसा कि ओरिजिनल बिल में है, उसके अनुसार बावजूद हिन्दू लॉ के उस लड़की का लड़का उसका मालिक बनेगा: Yet she will enjoy all the rights though they are limited तो इस क्लॉज़ का मतलब यह हो गया कि यदि कोई फीमेल बिना शादी-शुदा कन्या है और अपने बाप की प्रोपर्टी इनहेरिट करती है तो शादी होते ही उसका हक खत्म हो जायगा और फिर भाई-भतीजों में हक डिवोल्व हो जायगा, यह रखा है ओरिजनल बिल में और यही बात लॉ ऑफ सक्सेशन में हैं। इसलिये यह एमेन्डमेंट होना जरूरी है।

माई एमेन्डमेन्ट इज "मेरीज़" को हटाकर 'रि-मेरीज़' रख देना चाहिये। एक औरत की एक दफा शादी हो जाती है और बाद में उसका पति मर जाता है तो वह विडो हो जाती है; मीणे, जाटों और दूसरी कई कोमों में नाते करने का रिवाज़ है। विडो मेरिज

[श्री श्रीदासगोयल]

एक्ट पास होने पर तो हर कौम में विधवा-विवाह हो सकता है। इसलिए 'मेरीज़' की जगह 'रि-मेरीज़' रखा जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पार्लियामेंट ने एक्ट पास कर दिया है permitting divorce, तो फिर इसे भी एमेन्ड करना पड़ेगा।

श्री जवानसिंह—It is not necessary.

श्री मथुरादास माथुर—We will discuss 're-marriage' tomorrow.

(Laughter).

श्री हरिकृष्ण व्यास—Has the marriage been solemnised already?

श्री मथुरादास माथुर—I could not listen to you.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Even on a matter like marriage you will not listen to him?

(विधान सभा की बैठकों के लिए अनौपचारिक चर्चायें)

श्री उपाध्यक्ष—चूंकि समय हो गया है आज की कार्यवाही स्थगित की जाती है। वापिस सोमवार को ४ बजे शाम को मीटिंग होगी।

(सदन की बैठक १२-३ बजे, सोमवार दिनांक २३ अगस्त, १९५४ के ४-०० बजे सायं तक के लिए स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक २० अगस्त, १९५४।

मनसाराम पुरोहित
सचिव
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १.

(तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि प्रश्नकर्ताओं की अनुपस्थिति में सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित करने की सम्बन्धित मंत्री महोदय की अनुमति है ।)

प्रश्न

१४८५. (१३१/एम. एच. एम.) श्री प्रभुदयाल एम. एल. ए. डिवीजन नम्बर ११६:—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सच है कि स्टेट हॉस्पिटिल, राजगढ़ (जिला चूरू) में दवाइयों व यन्त्रादि की कमी से वहां की जनता को उसका पर्याप्त लाभ नहीं पहुंच पा रहा है ?

(ख) क्या यह भी सच है कि १८० गांवों की इस तहसील राजगढ़ की यह एकमात्र स्टेट अस्पताल है और वहां दवाइयों वगैरहा के खर्चे का बजट रु० २२००) वार्षिक से घटा कर अभी रु० १५००) वार्षिक कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इस कमी से जनता की आवश्यक चिकित्सा भी नहीं हो पाती है ?

(ग) क्या मामूली ऑपरेशन व साधारण दवाइयों के लिए भी जनता को अन्यत्र भटकना पड़ता है ?

(घ) क्या सरकार का इस स्थिति को सुधारने का विचार है ? यदि हां, तो किस रूप में और कब तक ?

उत्तर

(क) जी हां, औषधि एवं यंत्रादि पर्याप्त हैं ।

(ख) जी नहीं, डिसपेन्सरी के औषधि आदि की बजट में कोई कमी नहीं की गई है ।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

प्रश्न

1487 (455/C. M.) Shri Bishambhanath Joshi, M.L.A, (Div. No. 21) : Will the Chief Minister please state as to by whom and in what manner the selection of various areas for community project blocks and National extension service blocks is made ?

[श्री विशम्भरनाथ जोशी]

(b) What are the criteria on the basis of which this selection is made ?

(c) Does the Government of Rajasthan make any suggestions, recommendations or proposals regarding the areas to be selceted for community project blocks and the National extension service blocks ?

(d) If so, which department of the provincial Government is responsible for the formulation of such suggestions, recommendations or proposals ?

(e) What is the total population of the Jaipur and Sawai Madhopur dictricts respectively and what is the total number of villalges and persons served by community project blocks and extension service blocks in both these districts respectively ?

(f) Why has sub-division Dausa been entirely left out of the operation of community project scheme as well as the National extension service scheme when the adjoining sub-division Hindaun has been given the benefits of both the schemes ?

उत्तर

सामुदायिक विकास योजना एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं के अन्तर्गत क्षेत्रों का चुनाव राजकीय विकास समिति स्टेट डेवलपमेंट कमेटी द्वारा होता है।

(ए) क्षेत्रों के चुनाव के लिये सामुदायिक योजना प्रशासन की ओर से निम्न योग्यताए निर्धारित की गई है :

(१) सिंचाई के साधन ओर वर्षा का निश्चित परिमाण जिससे विशेष प्रयत्न करने पर अच्छे परिणाम निकल सकें।

(२) क्षेत्र के नजदीक कृषि शिक्षा या प्रसार केन्द्र का होना।

(३) ऐसे क्षेत्र का पास होना जहां पहले ही काम शुरू कर दिया गया हो ताकि वह एक ही शासन सम्बन्धी इकाई में आ जावे।

(बी) हां।

(सी) विकास विभाग।

(डी) जयपुर एवं सवाई माधोपुर की जन संख्या क्रमशः १६,५६,०६७ और ७,६५,१८२ है।

दोनों जिलों में चुने हुए क्षेत्रों की जन संख्या एवं ग्रामों की संख्या निम्न प्रकार है :

जिला जयपुर

राष्ट्रीय विकास सेवा क्षेत्र	ग्रामों की संख्या	जन संख्या
बस्सी	२०७	७२,०००
जोबनेर	११६	६३,५०८
योगः	३२६	१,६५,५०८

जिला सवाई माधोपुर

सामुदायिक विकास योजना क्षेत्र-हिन्डोन	१६२	१,०५,६४५
राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्र-महुआ	१५१	७८,१७१
योगः	३१३	१,८४,११६

(ई) प्रारम्भ में सामुदायिक विकास प्रशासन कार्यालय (Community Projects Adm.) की ओर से राजस्थान को सात क्षेत्र सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत दिये गए थे। इनमें से एक-एक क्षेत्र प्रत्येक डिविजन में खोला गया और शेष दो क्षेत्रों में से एक भीलों के लिये डूंगरपुर में और एक हरिजनों के लिए अलवर में खोला गया।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना के अन्तर्गत क्षेत्रों का चुनाव उपरोक्त सिद्धान्तों के अनुसार किया गया। यह सम्भव नहीं था कि प्रत्येक सब डिविजन को एक २ क्षेत्र दिया जाता क्योंकि क्षेत्रों की संख्या केवल १२ ही थी।

महुवा में क्षेत्र खोलनें का कारण हिन्डोन सब डिविजन में पूर्व से सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत क्षेत्र का होना था। योजना कमीशन की नीति के अनुसार सारे राज्य में द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्त तक राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्र खोल दिए जायेंगे।

Page No.83

परिशिष्ट २

(श्री नाथूराम मिर्धा के क्लॉज़ २१ पर प्रस्तुत किये गये संशोधन पर विभाजन)

'हां' पत्त—६३

विभाजन सूची

१ श्री बद्रीलाल
२ श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
३ के. श्री झुझारसिंह
४ मेजर ठा. श्री भैरूसिंह (सोजत देसूरी)
५ श्री भैंरूसिंह (राजसमन्द रेलमगरा)
६ श्री भवानी सहाय शर्मा
७ ठा. श्री भीमसिंह
८ श्री भोगीलाल पंड्या
९ श्री भोलानाथ
१० विश्वम्भर नाथ जोशी
११ ले. क. श्री बिशन सिंह
१२ श्री छुंगा
१३ श्री दलीप सिंह
१४ श्री दामोदर लाल व्यास
१५ श्री दीनबन्धु परमार
१६ ले. के. आर. एस. श्री दिलीप सिंह
१७ श्री रामनिवास मिर्धा
१८ श्री घासीराम
१९ श्री घीसी सिंह कटेला
२० श्री गुलाब चन्द कासलीवाल
२१ श्री हंस राज आर्य (भादरा)
२२ श्री हरि शंकर सिद्धान्त शास्त्री
२३ सरदार श्री हरलाल सिंह
२४ श्री हजारी लाल शर्मा
२५ श्री द्वारकादास पुरोहित
२६ श्री जय चन्द्र मोहिल
२७ श्री कान सिंह
२८ श्री कंवरलाल जेलिया
२९ श्री कस्तूर चन्द
३० श्री केसरी सिंह (सोजत मुख्य)
३१ महाराज श्री केसरी सिंह (पाटन)
३२ श्री खेतसिंह
३३ श्री मोहम्मद अब्दुल हादी
३४ श्री लाल बहादुर
३५ श्री लालू राम
३६ श्री लछमण हीरात
३७ श्री चांद मल मेहता
३८ श्री मन्ना भील
३९ श्री मनफूल सिंह
४० श्री मथुरादास माथुर
४१ श्री मोहनलाल सुखाडिया
४२ श्री मोटाराम चौधरी
४३ श्री मोतीलाल चौधरी
४४ श्री मोतीराम
४५ श्री नारायण चतुर्वेदी
४६ श्री नाथूराम मिर्धा
४७ श्री प्रभु दयाल
४८ श्री बृजसुन्दर शर्मा
४९ श्री रामदयाल उपाध्याय
५० श्री रामरतन टिक्कीवाल
५१ श्री रिद्धचन्द पालीवाल
५२ श्री रोशनलाल शर्मा
५३ केप्टिन श्री सज्जन सिंह
५४ श्री सम्पत राम
५५ श्री अगद राम
५६ महाराज श्री शिवदान सिंह

विभाजन संख्या	सदस्य का नाम
५७ श्री श्रीदास गोयल	६१ श्री तेजपाल
५८ श्री सोहन लाल भटनागर	६२ श्री उदयलाल बरदिया
५९ श्री सोमा वालू भील	६३ श्री वीरेन्द्र सिंह
६० श्री सुगन चन्द जैन	

ना पक्ष १७

विभाजन संख्या	सदस्य का नाम	विभाजन संख्या	सदस्य का नाम
१	श्री अवनिकुमार मुकर्जी	१०	टा० श्री केसरी सिंह (नागौर पश्चिम)
२	ले. क. राजाधिराज श्री अमरसिंह	११	टा० श्री माधो सिंह (बाड़मेर 'सी')
३	श्रीमती यशोदा देवी	१२	श्री मंगल सिंह कछवाहा (जोधपुर तहसील उत्तर)
४	श्री भैंरूसिंह (दाता रामगढ़)	१३	श्री नाथू सिंह
५	श्री छीतर लाल शर्मा	१४	श्री संतोष सिंह कछवाहा
६	श्री गणपत सिंह	१५	राव राजा सरदार सिंह
७	श्री हनवंत सिंह	१६	रावत श्री शम्भू सिंह
८	कु० श्री जसवन्त सिंह	१७	श्री वेदपाल त्यागी
९	श्री जवान सिंह सोलंकी		